खण्ड-176, अंक-3
शुक्रवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1878
(10 अगस्त, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 176 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३०)

अंसमानसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री

चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तारावन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़जलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री

बेचनराम, श्री
बचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री

लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखपालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाने की मांग

**१—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उर्दू बोलने तथा पढ़ने वाले लोग उर्दू को क्षेत्रीय जबान मानने की मांग सरकार से कर रहे हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इस बारे में कुछ संस्थाओं इत्यादि से पत्र आये थे।

**२—श्री राजनारायण (अनुपस्थित)—क्या सरकार को कुल हिन्द मौतामर उर्दू ने इस बात की सूचना दी है कि आगामी २३ अगस्त को विधान सभा के सामने उर्दू को क्षेत्रीय भाषा मनवाने के लिय प्रदर्शन होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के पास यूनियन के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी के यहां से इस किस्म का कोई कागज आया है जिसमें प्रदेश के २० लाख हिन्दू, मुसलमान और सिक्खों ने इस बात की मांग की थी कि उर्दू को यू० पी० की एक क्षेत्रीय भाषा बना दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मुझे याद है राष्ट्रपति जी के यहां से कोई सूचना नहीं आयी है, लेकिन हां, यह मालूम है कि कुछ लोगों के दस्तख़त से इस क़िस्म का कोई काग़ज़ गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आये उन पर यू० पी० की सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा अपनी क्या नीति घोषित की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तर प्रदेश सरकार तो ऐसा काम नहीं कर सकती जो गैर-कानूनी हो और जो इस सदन और विधान परिषद् की स्पष्ट आज्ञा के विरुद्ध है और जब सन् १९५१ में उत्तर प्रदेश आफिशियल लेंगुयेजेज ऐक्ट दोनों सदनों ने पास किया उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में स्वतंत्र नहीं है कि दोनों सदनों की स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध कोई अलग अपनी नीति घोषित करे।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार उस संस्था के सभापति का नाम बताने की कृपा करेगी जिसका जिक्र प्रश्न २ में किया गया है और वह संस्था कब कायम हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं जानता कि उसका सभापति कौन है और वह संस्था कम कायम हुई ? लेकिन एस इशहाक इल्मी साहब नाम के सज्जन हैं जिनकी ओर से यह सूचना तार से दी गई थी ?

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार उर्दू को यहां की भाषा बनाने के लिये अधिनियम में परिवर्तन कराने या कोई अमेंडमेंट लाने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

नोट—अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न १—२ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि सरकार ने अंजुमने तरक्कियें उर्दू को मान्यता प्रदान की है और पिछले कुछ वर्षों में कुछ आर्थिक सहायता भी उस को दी है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने यू० पी० की सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अपनी राय भेजी है कि उर्दू को भी क्षेत्रीय जबान माना जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कई बार चिट्ठी पत्री होती रहती है कई लोगों से और सरकार से और उसके क्या जवाब दिये जाते हैं वह वैसी चीज नहीं है जो मजबूरन पबलिक की जाय।

तारांकित प्रश्न

शहीद हायर सेकेण्डरी स्कूल मधुबन, जिला आजमगढ़ के प्रबन्ध में गड़बड़ी

*१---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहीद हायर सेकेन्डरी स्कूल मधुबन, जिला आजमगढ़ के प्रबन्ध के सम्बन्ध में उनके पास कोई शिकायत अभी हाल में आयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर सीताराम)---जी नहीं।

*२---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला विद्यालय निरीक्षण आजमगढ़ ने पुरानी कमेटी से अधिकार छीन करके २४-३-५६ को नयी कमेटी को सुपुर्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, यह सही है। मान्यता लेन और देने की तिथि २४-३-५६ नहीं है बल्कि २१-३-५६ है। कारण यह था कि पुरानी कमेटी के प्रबन्धकाल में स्कूल में बहुत-सी गड़बड़ियां हुईं और उप-शिक्षा संचालक, चतुर्थ मण्डल बनारस के आदेश देने पर भी गड़बड़ियां ठीक नहीं की गईं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस कारण से पुरानी कमेटी से अधिकार लेकर नयी कमेटी को अधिकार दिये गये, वह शिकायत सरकार के पास नहीं आयी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---जी नहीं, कोई शिकायत अभी तो नहीं आयी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन कौन से कारण थे जिससे जिला विद्यालय निरीक्षक ने पुरानी कमेटी से अधिकार छीन कर नयी कमेटी को दिये ?

श्री हरगोविन्दसिंह---उस शिक्षा संचालक ने जो जो गड़बड़ियां बतायीं उनमें से उसने किसी को दूर नहीं किया तथा शिक्षा संचालक के हुक्म की वह अवहेलना करती रही।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार को मालूम है कि नयी कमेटी की व्यवस्था के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दाखिल हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी हां, शायद दाखिल हुआ है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी ने इस विद्यालय के संबंध में जिलाधीश आजमगढ़ को व्यवस्था के बारे में कोई संकेत किया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं, मैंने सिर्फ ए० डी० के पास शिकायत आदि आयी होगी तो भेज दी होगी, पुरानी कमेटी के मुताल्लिक।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि पुरानी कमेटी पर यह आरोप था कि उसने कुछ रुपये का भी गबन कर लिया है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, मेरे ख्याल से २ हजार रुपये के गबन करने का आरोप था।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह रकम विद्यालय के काम में ही खर्च कर दी गयी थी अथवा किसी और काम में ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मेरे ख्याल से गबन की परिभाषा यह है कि अपने काम के लिये उसको अलग रख लिया जाय ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी अपनी कुछ दिन पहले की घोषणा को याद करेंगे जब कि उन्होंने इसी सदन में कहा था कि विद्यालय का रुपया विद्यालय के ही काम में दूसरी मद में खर्च हो जाय तो गबन नहीं कहा जा सकता ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जब मैंने यह कहा होगा तो वह रुपया विद्यालय के ही काम में खर्च हुआ होगा। लेकिन जब मैं गबन की कहता हूं तो उसका मतलब है कि वह रुपया विद्यालय के काम में खर्च नहीं हुआ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतायेगी कि गबन का मुकदमा चल रहा है या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—अभी मुझे इतनी सूचना नहीं है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि यह रुपया मैनेजर महोदय ने अपने पास रख लिया था और स्कूल की मदद में वह खर्च नहीं हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, इसीलिये मैंने उसको गबन कहा।

*३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[हटा दिया गया।]

पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का प्रबंध

*४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार पाठ्यपुस्तकों के आदर्श संस्करण तैयार करने के लिये कोई कमेटी बैठाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

*५—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार का इरादा पाठ्य पुस्तकों को स्वयं प्रकाशित करने का है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो पुस्तकें सरकार तैयार कराती है वे किसके द्वारा तैयार करायी जाती हैं और उन तैयार करने वालों को क्या पुरस्कार दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—दर्जा एक से पांच तक तो विभागीय अधिकारियों से तैयार कराया जाता है और दर्जा ६, ७, और ८ की किताबें लोगों से लिखा करके उनका रिव्यु करा करके इस प्रकार से तैयार करायी जाती हैं और उसी प्रकार से हाई स्कूल और इंटरमिडियेट की किताबें तैयार करायी जाती हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो पुस्तकें इस प्रकार से तैयार करायी जाती हैं उनके प्रकाशित करने का क्या तरीका है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---दर्जा एक से ५ तक का प्रकाशन सरकार द्वारा होता है। जूनियर हाई स्कूल की किताबें भी सरकार द्वारा प्रकाशित होती हैं लेकिन वे और लोगों को छापने के लिये दी जाती हैं, प्रकाशकों को जिनकी किताबें स्वीकृत होती हैं, सरकार उस पर कोई रायल्टी इसलिये नहीं देती है जिसमें किताबों का दाम कम हो जाय और लोगों को सस्ती किताबें मिल सकें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ये जो संस्करण तैयार कराये जाते हैं, ये बार-बार हर साल करीब-करीब बदल क्यों दिये जाते हैं ? उसका कोई कारण है बार-बार बदल देने का ?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी नहीं, बदला नहीं जाता। दर्जा एक से ५ तक में चूंकि नयी लिपि शुरू हुई है उस के कारण बदलने की आवश्यकता हुई जिसमें नयी लिपि का प्रवेश हो सके। और जूनियर हाई स्कूलों की किताबें चार-पांच वर्ष के अन्दर कोई बदली नहीं गयी हैं। सिर्फ इसी वर्ष हाई स्कूल और इंटरमिडियेट के कुछ सब्जेक्ट्स की किताबें, सब विषय की नहीं, ५ वर्ष के बाद बदली गयी हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन कक्षाओं की पुस्तकें प्रकाशकों को प्रकाशित करने के लिये दी जाती हैं वह सरकार उन्हें अपने चवायस पर देती है या टेंडर मंगवा कर उनके जरिये प्रकाशकों को प्रकाशन के लिये दी जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न इससे उठता नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मान्यवर, जवाब मिला है कि दर्जा ५ तक की किताबें तो सरकार द्वारा प्रकाशित होती हैं और दर्जा ६ तथा ऊपर दर्जे की किताबें दूसरों से प्रकाशित करायी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष---लेकिन आप उसका ब्योरा नहीं पूछ सकते हैं। आपके पूछने का इरादा सिर्फ यह था कि सरकार प्रकाशित करती है या नहीं। प्रश्न की सीमा के बाहर थोड़ा बहुत कुछ पूछा जा सकता है लेकिन उसका पूरा ब्योरा नहीं पूछा जा सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पुस्तकें दूसरे प्रेस वालों को छापने के लिये दी जाती हैं उन प्रेसों के साथ सरकार ने कोई शर्त भी नियत कर रखी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---मैंने शायद इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दर्जा एक से लकर ५ तक की पुस्तकें सरकार द्वारा प्रकाशित होती हैं और सिर्फ उनकी छपाई, चूंकि गवर्नमेंट प्रेस में शायद उनकी छपाई निश्चित समय के अन्दर सम्भव नहीं होती इस वजह से हम दूसरे प्रेस वालों को वे किताबें छाप कर बेचने का अधिकार दे देते हैं और जूनियर हाई स्कूल की किताबें जैसा कि मैंने अर्ज किया था जितनी मांग की जाती है लोग अपनी किताबें लिख करके उनको सबमिट करते हैं। सरकार उनका रिव्यु कराती है और रिव्यु करा कर जिनकी पुस्तक स्वीकृत होती है वे ही उसको प्रकाशित करते हैं। सरकार उसका दाम निश्चित कर देती है कि यह किताब बाजार में इतने दाम पर बिके और उसका प्रकाशन उन्हीं को दिया जाता है जिनकी किताबें रिव्युअर द्वारा स्वीकृत हो जाती हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या सरकार उन कारणों को बताने की कृपा करेगी कि जिनके कारण से किताबें गवर्नमेंट प्रेस में समय से नहीं छपतीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—पहले गवर्नमेंट प्रेस से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि सवाल किताबों के कवर का था, क्योंकि किताबों की संख्या ६०,६५ और ८० लाख की भारी संख्या होती है इसलिये हम पूरी नहीं छाप सकते हैं और केवल कवर ही छाप सकते हैं।

अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम को आगरे में लागू करने की मांग

*६—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संशोधित १९३३ के यू० पी० अनैतिक व्यापार निरोध कानून की सब धाराओं को वह आगरा में कब से लागू करना चाहती है ?

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगल किशोर)—यू० पी० अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम १९३३ (U. P. Supersession of Immoral Traffic Act, 1933) को आगरा की सब धाराओं में लागू करने के प्रश्न पर अभी कोई विचार नहीं हो रहा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस ऐक्ट का पूरा न लागू करने की वजह से आगरे में यह अनैतिक व्यापार और खास तौर से नाबालिग लड़कियों से वेश्या-वृत्ति कराने का व्यापार बहुत बढ़ रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस प्रकार का व्यापार तो बहुत से शहरों में चल रहा है। सम्भवतः आगरे में भी हो लेकिन इस कानून को लागू करने में दिक्कतें हैं इस वजह से उसको पूरा नहीं लागू कराया गया और केवल धारा १० और ११ लागू करा दी गयी हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि आगरा के जिलाधिकारियों ने, वहां के जिलाधीश ने, पुलिस विभाग के अधिकारियों ने, वहां के प्रकाशक ने और आगरा की आल इंडिया मारल हाईजीन लीग ने मांग की है कि वहां उन धाराओं को लागू किया जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसकी मुझे इस समय कोई सूचना नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में मारल हाईजीन लीग के प्रतिनिधि माननीय मंत्री महोदय से मिल चुके हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, कई मास हुये मुझको मिले थे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या उन्होंने माननीय मंत्री महोदय से यह मांग की थी कि वहां इन धाराओं को लागू किया जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, उनकी ओर से यह मांग आयी थी कि प्रान्त में उन्हें सब जगह लागू कर दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सरकार को अन्य स्थानों पर उन धाराओं को लागू करने में कौन-कौन सी दिक्कतें पड़ रही हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—उस के इनफोर्समेंट के लिए पहले इस बात की आवश्यकता है कि हमारे पास पुलिस का इतना फोर्स हो ताकि हम ठीक से उसको लागू कर सकें। दूसरे उनके लिये गृह भी बनाने पड़ेंगे जहां पर हमें ऐसी स्त्रियों को रखना पड़ेगा और तीसरे यह कि जब तक जनता का पूरा सहयोग इसके लिये हमें प्राप्त नहीं होता तो गवर्नमेंट के लिये पूरे तौर से पुलिस फोर्स से ही मनवाना बड़ा मुश्किल होता है ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगरे में जिस अपराध के रोकने की चर्चा हो रही है कि जिसको रोकने के लिये बड़े भारी पुलिस फोर्स की आवश्यकता बतायी गयी है तो क्या प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---आगरे के लिये नहीं, मैंने सारे प्रदेश के लिये कहा था ।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)---आगरे में इस प्रकार के बढ़ते हुये व्यापार की दशा को देखकर क्या सरकार वहां पुलिस फोर्स बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर---विचार करने को तो हम हमेशा तैयार रहते हैं लेकिनअगर सम्भव होगा तो जरूर इसके बारे में कुछ काम करेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी के इस स्पष्टीकरण का यह अर्थ लगाया जाय कि प्रदेश भर में कहीं भी आगरे के अलावा यह धारायें लागू नहीं हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---धारा ११ तो २० जिलों में लागू है और धारा १० केवल दो जगह आगरा और वाराणसी में लागू है ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या सरकार आगरे में जो यह व्यापार चल रहा है उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर इस व्यापार को रोकने की कोशिश करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---इस सम्बन्ध में यह कोशिश की जा रही है कि धारा ११ जो अभी तक नान कागनेजिबल आफेन्स है उसको कागनेजिबिल आफेंस बना दिया जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्तपालीवाल---क्या सरकार को यह मालूम है कि आगरे के अधिकारियों की, जनता की और समाचार-पत्रों इन तीनों की यह राय है कि धारा ११ और १२ जो लागू हैं वे इस व्यापार को बन्द करने व इसको रोकने में बिलकुल बेकार और नाकाबिल साबित हुयी हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैंने अभी पहले प्रश्न के उत्तर में बतलाया था इसको और इसलिये इस बात की कोशिश की जा रही है कि कागनिजेबिल बना दिया जाय ताकि डायरेक्टली पुलिस फोर्स से इसको एनफोर्स करा सकें ।

कारखानों के लाभ व प्रबन्ध में मजदूरों का भाग

*७---**श्री श्री कृष्णदत्तपालीवाल**---क्या सरकार ने कल कारखानों के सम्बन्ध में मजदूरों का क्या भाग होगा और उनके प्रबन्ध में मजदूरों को किस तरीके से हिस्सा मिलेगा, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति निर्धारित की है ? अगर हां, तो क्या ?

आचार्य जुगल किशोर---जी नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार वह कारण बतलाने की कृपा करेगी जिसकी वजह से वह यह नीति निर्धारित नहीं कर रही है ?

आचार्य जुगल किशोर---इसका कारण यह है कि वह यह अवश्य चाहती है कि इस तरह के आपस में कुछ श्रमिकों और नियोजकों में ऐसे सम्बन्ध हो जायं जिससे उनके कार्य में एक दूसरे से मदद मिल सके और उनकी कोई नीति अभी तक निर्धारित नहीं की गयी है जिसके कारण उन्हें मजबूर किया जाय कि वह ऐसा करें ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार इसका परीक्षण पहले अपने कारखानों में करेगी ताकि वह दूसरे लोगों के लिये सबक हो सके ?

आचार्य जुगल किशोर---जी हां, इसके ऊपर विचार हो रहा है ।

श्री गेंदासिंह---यह कब तक हो जाने की उम्मीद की जाय ?

आचार्य जुगल किशोर---यथाशीघ्र गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस तरह का कुछ प्रबन्ध करे कि जो सरकारी फक्टरीज हैं उनक मैनेजमेंट में कोई ऐसा तरीका निकल आये जिससे जो झगड़े वगैरह होत ह व ज्यादा न हों ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार के सामने अपनी निजी फैक्टरियों के लिये यह योजना भी विचाराधीन है कि मुनाफे में भी कुछ हिस्सा मजदूरों को दिया जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं, बोनस के अलावा ऐसी कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जिस प्रकार से टाटा से आयरन एंड स्टील कम्पनी में भी है जिसमें मजदूरों के साथ मैनेजमेंट ने समझौता किया है उसी तरह से क्या उत्तर प्रदेश में भी मिल मालिकों को मजबूर किया जायगा कि वे मजदूरों के साथ समझौता करें ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैं यह तो नहीं कह सकता कि टाटा कम्पनी में जो हुआ है उसी तरह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने यहां करेगी लेकिन मेरे कहने का मतलब यह अवश्य है कि गवर्नमेंट इस बात की कोशिश कर रही है कुछ न कुछ ऐसा प्रबंध गवर्नमेंट फैक्टरीज में हो जाय जिससे झगड़े कम हों और हों तो आपस में ही निबटारा हो जाय ।

एम्प्लायमेण्ट एक्सचेन्ज को राज्य सरकार के अधीन लेना

*८---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज उसके हाथ में सौंप दिये गये ? अगर हां, तो सरकार ने उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिये कुछ किया ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी, अभी नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस बात की आशा कब तक है कि यह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज प्रांविशियल गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दिये जायेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, हमने उनको सूचना दी है कि १६ अगस्त से हम उनको अपने हाथ में ले सकते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनायी है कि किन शर्तों पर वह इन एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज को अपने हाथ में लेगी । इसके जो कर्मचारी हैं उनका क्या होगा, उनके वेतनों की शर्तें क्या होंगी । इस सम्बन्ध में कोई नीति निश्चित की है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, वह तो साथ कुछ शर्तें जरूर तय हुयी हैं और उन्हीं के आधार पर यह स्टेट उनको ले रही है । शर्तें कई हैं । एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जो आदमी हैं उनकी सर्विसेज सुरक्षित रखी गयी हैं और जिस अनुपात में वह धन देते हैं एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को वह अनुपात भी कायम रहेगा ।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या सरकार ने कोई ऐसी भी योजना बनायी है जिस योजना के अनुसार जितने भी मिल हैं उनमें अगरचे मजदूरों की भर्ती हो तो वह भी एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज द्वारा ही की जायं ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार ने इम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज को प्रादेशीय सरकार के हाथ में आने पर अधिक एफीसेंट बनाने की योजना बनायी है ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैं समझता हूं कि इफीसेंट तो हैं और भी ज्यादा उपयोगी बनाने की गवर्नमेंट जरूर कोशिश करेगी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या इस नयी योजना में इस बात की भी सम्भावना है कि कुछ एम्प्लायमेंट एक्सचेंज कम कर दिये जायं या कुछ बढ़ा दिये जायं ?

आचार्य जुगलकिशोर---कम करने का कोई प्रश्न तो है नहीं। बढ़ाने का जरूर विचार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या केन्द्रीय सरकार इन इम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज को देने के बाद भी कुछ धन उनको चलाने के लिये प्रदेशीय सरकार को देती रहेगी? यदि हां, तो कितना?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां। मैंने कहा कि उसी अनुपात में रुपया देती रहेगी जैसे अब तक देती आयी है, ६० और ४० के अनुपात में।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के प्रदेशीय सरकार के हाथ में आने पर उसके ऊपर खर्चे का भार ज्यादा बढ़ेगा?

आचार्य जुगलकिशोर---मेरे खयाल में ज्यादा भार नहीं बढ़ेगा।

जिला हरिजन सेवक संघ, जालौन को आर्थिक सहायता

*९---श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरिजन सेवक संघ, जालौन को सन् १९५३-५४, १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में प्रतिवर्ष अलग-अलग कितनी-कितनी आर्थिक सहायता राज्य सरकार की ओर से प्रदान की गयी?

डाक्टर सीताराम---यह सूचना निम्न प्रकार है :---

	रु०
१९५३-५४	१,०००
१९५४-५५	२,०००
१९५५-५६	१,०००

श्री बसन्तलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन सहायक संघ जालौन को जो आर्थिक सहायता दी गयी है वह किन कार्यों पर वितरण की जाती है और वितरण करने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं?

श्री अध्यक्ष---आप दो-तीन सवाल साथ-साथ पूछ रहे हैं। एक-एक सवाल पूछिये।

श्री बसन्तलाल---हरिजन सहायक संघ, जालौन को जो सहायता दी जाती है वह किन कार्यों में खर्च की जाती है?

डाक्टर सीताराम---छुआछूत की भावना को दूर करने के लिये।

श्री बसन्तलाल---हरिजन सहायक संघ के पदाधिकारी और सदस्य कौन-कौन हैं बताने की कृपा करेंगी?

डाक्टर सीताराम---इसके पदाधिकारी श्री चन्द्रभानु विद्यार्थी हैं। उन्हीं को रुपया दिया जाता है और उन्हीं की एक कमेटी है और उसके सेक्रेटरी साहब उस रुपये को लेकर खर्च करते हैं जो विभाग की नीति है उस नीति को लेकर अच्छी तरह से कार्य करते हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल---यह जो रुपया खर्च होता है क्या उसका सालाना आडिट होता है?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी हां। और ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है कि रुपये का दुरुपयोग हुआ है।

श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५४-५५ में २ हजार रुपया क्यों दिया गया, १९५३-५४ और १९५५-५६ में एक हजार रुपया दिया गया?

श्री हरगोविन्दसिंह---प्रयोजन पहले ही बता दिया गया कि अस्पृश्यता निवारण के लिये दिया गया ।

श्री तुलाराम रावत---मैंने यह प्रश्न किया है कि १९५४-५५ में दो हजार दिया गया और १९५३-५४ और १९५५-५६ में एक हजार दिया गया इतनी कमी क्यों हुयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---वह जो उनका कार्यक्रम उन्होंने बनाया उसी के अनुसार बनाया था। उस साल केंद्रीय सरकार ने भी उसके लिये रुपया दिया तो इसलिये दो हजार वह कर दिया गया। नहीं तो यों तो सरकार एक हजार देती ही थी उसके लिये ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो आडिट कराया गया उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आयी या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह डिपार्टमेंट से आडिट हुआ करता है और अगर कोई शिकायत की बात होती है तब तो सरकार के पास आती है नहीं तो डिपार्टमेंट में ही एक सन्तोष-जनक आडिट होने के कारण रह जाती है ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह हरिजन सेवक संघ के द्वारा कार्य किया जाता है उसकी जांच का तरीका क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---वहां जितने काम जिले के स्तर पर होते हैं वह प्लानिंग आफिसर होता है, प्लानिंग कमेटी होती है उसी के अन्तर्गत यह काम होते हैं। उसके अलावा कई-कई जिलों का पांच-पांच, छः-छः जिलों का हमारा एक रीजनल आफिसर है, वह देखता है, उसके ऊपर डिप्टी डाइरेक्टर और डाइरेक्टर हैं, वह भी उसकी निगरानी करते हैं।

वेश्यावृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में जानकारी

*१०---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वेश्यावृत्ति पर पाबन्दी लगाने की किसी योजना पर वह विचार कर रही है ?

*११---यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है, यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर---वेश्यावृत्ति पर कोई पाबन्दी लगायी जाय या नहीं, इस प्रश्न पर अभी विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जा रहा है ।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या यह सही है कि इधर हाल में वेश्यावृत्ति इस प्रदेश में बढ़ रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मोटे तौर पर उन विभिन्न दृष्टिकोणों के विचार क्या हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, मैंने प्रश्न ६ के उत्तर में भी कहा था कि चन्द स्थानों पर इस तरह के गृह खोले जायं कि जहां पर ऐसी स्त्रियों को ला कर रखा जाय । इसके साथ-साथ जो धारायें हैं सप्रेशन आफ इम्मारेल ट्रैफिक ऐक्ट की, उनको ज्यादा सख्ती के साथ लागू कराया जाय । म्युनिसिपैलिटीज को भी हिदायतें दी गयी हैं कि वह इस ऐक्ट के अन्तर्गत पूरे तौर से कार्यवाही करें। इसके अलावा कुछ और कार्य ऐसे किये जा रहे हैं कि जिनसे इसमें कमी होनी चाहिये जैसे समाज कल्याण के सिलसिले में जो कार्यकर्तागण हैं उनसे कहा गया है कि वह कोशिश करें कि उनके क्षेत्र में ऐसा वातावरण पैदा हो कि इस प्रकार की वेश्यावृत्ति हमारे देश में न रहे ।

नोट---ताराँकित प्रश्न १०-११ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछे ।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या सरकार वेश्यावृत्ति घट रही है या बढ़ रही है, यह जानने के लिये आंकड़े इकट्ठा कराने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसके बारे में मैं इस समय नहीं कह सकता हूं। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आयेगा तो उस पर विचार होगा। लेकिन इस तरह के आंकड़े इकट्ठा कराने में काफी समय और काफी धन भी लगेगा और मैं समझता हूं कि इसका अधिक उपयोग न होगा। हम इस तरह के आंकड़े इकट्ठा करें इसके पहले इस बात की जरूरत है कि जितनी यह है उसको रोकने की क्या कोशिश की जाय इसके लिये गवर्नमेंट विचार कर रही है।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सप्रेशन आफ इम्मारेल ट्रैफिक ऐक्ट के फलस्वरूप और जो राय म्युनिसिपैलिटीज को गवर्नमेंट ने दी है उसके फलस्वरूप वेश्यावृत्ति कम हो रही है या बढ़ रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री तुलाराम रावत---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैंने लगभग डेढ़ साल पहले वेश्यावृत्ति निरोधक विधेयक गैरसरकारी तौर पर लाने की सूचना दी थी, उसके बारे में वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष ---वह तो आप खुद पेश कर सकते हैं, सरकार से पूछ नहीं सकते।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार के सामने इस प्रकार का प्रश्न विचाराधीन है कि ऐसी स्त्रियों की समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षा कराई जाय और डाक्टरों द्वारा उनको सार्टिफिकेट लेना पड़े ?

आचार्य जुगलकिशोर---नहीं, इसके बारे में अभी कोई ऐसी योजना हमारे सामने विचाराधीन नहीं है।

देवरिया जिले में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के छात्रों को छात्रवृत्तियां

*१२---श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार १३ जनवरी, १९५६ के ४२वें प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेगी कि १,०४४ विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थी किन-किन स्कूलों के हैं ?

डाक्टर सीताराम---[1]सूची की एक प्रति सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है। छात्रवृत्तियों की सही संख्या १,००३ है। पूर्व अवसर पर बताई गई संख्या १,०४४ गलत थी।

*१३---श्री रामसुभग वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वजीफा देने का आधार क्या है ?

डाक्टर सीताराम---सदस्य महोदय का प्रश्न स्पष्ट नहीं है क्योंकि वजीफे कई प्रकार के हैं। कुछ शिक्षा कोड के अन्तर्गत दिये जाते हैं कुछ के लिये विशेष राजाज्ञायें हैं।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या दी गयी है उन स्कूलों की कुल छात्र संख्या क्या है और उनमें से किन-किन स्कूलों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम---माननीय सदस्य महोदय की मेज पर छात्रवृत्ति की संख्या तो बतला दी गयी है। कितना रुपया खर्च किया गया है उसके लिये सूचना नहीं है।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसका सेलेक्शन किस आधार पर होता है ?

---

[1] सूची छापी नहीं गयी है।

डाक्टर सीताराम---१२ नम्बर के प्रश्न के उत्तर में इनकी संख्या बतलाई गयी । कुछ छात्रवृत्तियां उनको शिक्षा कोड के अनुसार दी जाती हैं। शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ११३ में प्राविजन है कि अगर दो विद्यार्थी भाई या बहन हों तो एक की फीस माफ होनी चाहिये। फिर ११४ में यह प्राविजन है कि अगर कोई भी अध्यापक पढ़ाता हो और उसके घर का कोई हो चाहे पुत्र हो या और कोई हो तो उसकी फीस माफ होनी चाहिये। १५ और १६ में भी प्राविजन है कि दस फीसदी और १५ फीसदी का जो होता है वह हाफ होता है।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्षति-ग्रस्त पाठशालाओं के भवनों के निर्माण के लिये कितना अनुदान दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम---१०६ प्राइमरी स्कूल्स के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्वयं रुपया खर्च करता है और जितने जूनियर और हायर सेकेंड्री स्कूल्स हैं उनको ४०,५०६ रुपये का अनुदान दिया गया है।

देवरिया जिले में बाढ़ से क्षति ग्रस्त शिक्षा संस्थाओं के भवनों के निर्माणार्थ सहायता

*१४---**श्री रामसुभग वर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में उन पाठशालाओं के भवनों की संख्या क्या है जो गत वर्ष बाढ़ और अति वृष्टि से ध्वस्त हो गये हैं ? उन इमारतों के बनवाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---जिला देवरिया में गत बाढ़ और अति वृष्टि से ध्वस्त पाठशालाओं के भवनों की संख्या शून्य है। किन्तु जिन भवनों को क्षति पहुंची है उनकी संख्या निम्न है:---

प्राइमरी स्कूल	.. ..	१०६
जिला परिषद के जूनियर हाई स्कूल	.. ..	१४
प्राइवेट हायर सेकेंड्री स्कूल	.. ..	१८
प्राइवेट जूनियर स्कूल	.. ..	९
प्राइवेट संस्कृत पाठशालायें	.. ..	१०

क्षति-ग्रस्त पाठशाला भवनों के लिये अनुदान दिया गया है।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षतिग्रस्त और ध्वस्त से सरकार क्या मतलब लगाती है ?

श्री अध्यक्ष---आप राय पूछते हैं। आप स्वयं जान सकते हैं, भाषा को आप समझ सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन स्कूलों से क्षति होने की कोई तालिका आई थी, यदि आई थी तो वह कितनी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी हां, तालिका मंगाई गई थी और वह आई थी उसी के अनुसार रुपया दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---उस मांग के किस अनुपात से धन दिया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---रुपया मांग के अनुपात से नहीं दिया गया है बल्कि नुकसान के अनुपात से दिया गया है।

जालौन जिले में 'नदीगांव' के अध्यापकों को नवीन वेतन-क्रम

*१५—श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन)—क्या सरकार को विदित है कि विलीन क्षेत्र "नदीगांव" के अध्यापकों को जालौन जिला बोर्ड के शेष अध्यापकों के मुकाबिले में निश्चित ग्रेड के अनुसार तनख्वाह नहीं मिल रही है। यदि हां तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जिला बोर्ड के अन्य अध्यापकों के लिये जो निर्धारित वेतन क्रम है वह विलीन क्षेत्र के अध्यापकों को भी १-४-१९५५ से देने के हेतु जिला बोर्ड जालौन को अनुदान दिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

*१६—श्री चित्तर सिंह निरंजन—क्या सरकार उक्त बोर्ड को कुल अध्यापकों को उनकी योग्यता (qualifications) के अनुसार एक-सा वेतन दिलाने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम—प्रत्येक पद के लिये अध्यापकों की योग्यतायें निर्धारित हैं और वेतन-क्रम भी निर्धारित है। निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अध्यापक उस पद विशेष के लिये निर्धारित वेतन से अधिक वेतन नहीं दिया जा सकता।

श्री चित्तरसिंह निरंजन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नदी गांव उत्तर प्रदेश में कब विलीन हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—सन् १९५० ई० में।

श्री चित्तरसिंह निरंजन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अध्यापकों को १९५० से उसी वेतन ग्रेड के अनुसार तनख्वाह देने के लिये सरकार कुछ विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं, यह निश्चित हुआ कि १९५५ से दिया जाय।

उन्नाव जिले में महिला मंगल केन्द्र खोलने की योजना

*१७—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में कहां-कहां महिला मंगल केंद्र खोले गये हैं ? क्या सुमेरपुर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के अन्तर्गत महिला मंगल केंद्र खोलने की योजना है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उन्नाव जिले में महिला मंगल केंद्र अवतारपुर, मकूर तथा नवाबगंज में खोले गये हैं। सुमेरपुर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के अन्तर्गत महिला मंगल केंद्र खोलने की योजना विचाराधीन है ?

*१८—श्री देवदत्त मिश्र—(अनुपस्थित) क्या सरकार तहसील पुरवा, जिला उन्नाव के ग्राम बीघापुर, घाटमपुर, बारा, टेढ़ा और मगरायर के सामाजिक एवं सांस्कृति महत्व को देखते हुये इन ग्रामों में महिला मंगल केंद्र खोलने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

शिक्षा कोड का नवीन संस्करण

*१९—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार को ज्ञात है कि शिक्षा कोड कई वर्षों से नहीं छपा और बाजार में अप्राप्य है ? क्या सरकार इसका नया संस्करण निकालने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, शिक्षा कोड का नया संस्करण शीघ्र ही निकाला जा रहा है।

नोट—तारांकित प्रश्न १७-१८ श्री रामदुलारे मिश्र ने पूछे।

श्री तेजासिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नया एडीशन जो छापा जा रहा है वह अंग्रेजी में या हिन्दी में छापा जा रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---मेरा खयाल है कि हिन्दी में छपेगा और शायद अंग्रेजी में भी छपे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कब तक ग्राहकों को प्राप्त हो जायगा ?

डाक्टर सीताराम---जब छपकर आ जायगा प्राप्त हो जायगा।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह किस प्रेस को दिया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह सब गवर्नमेंट प्रेस से छपता है और मेरा खयाल यह है कि शायद जुलाई के आखीर में आ गया है या आता ही होगा।

मेरट जिले में हरिजनों के लिये पेय जल के प्रबन्ध पर व्यय

*२०---**श्री तेजा सिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिला को १९५५-५६ में हरिजनों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये कितना धन मिला था ? उसमें से कितना व्यय हुआ और कितना बच रहा ?

डाक्टर सीताराम---हरिजन सहायक विभाग से ६,००० रु० मिले थे जिसमें से ६,३०० रु० व्यय हुये तथा २,७०० रु० बच रहे हैं।

*२१---**श्री तेजा सिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस धन में से गाजियाबाद तहसील में कितना व्यय किया गया है ?

डाक्टर सीताराम---इस धन में से १,१५० रु० तहसील गाजियाबाद में व्यय हो चुके हैं तथा २०० रु० दूसरे कुएं के बन जाने पर दिये जायेंगे।

श्री तेजा सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह रुपया जो खर्च होता है यह किस अधिकारी की मारफत खर्च होता है और इतना अधिक धन जो बच रहा है उसकी क्या वजह है ?

डाक्टर सीताराम---जिला नियोजन अधिकारी इस कार्य को देखते हैं और रुपये का जिस तरह से वितरण होता है उसके लिये जिले में प्लानिंग कमेटी है और यह उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है किस जगह पर कितने कुयें के लिये क्या धनराशि दी जाय।

श्री तुलाराम रावत---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिस गाँव में कोई कुंआ नहीं है और वहां के लोग पानी दूर-दूर से लाते हैं लेकिन वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि दरख्वास्त देकर रुपया उसमें कुछ लगा सके, तो ऐसे गांव के लोगों के लिये पीने के पानी के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---उसके लिये नियम जो है उसमें तो यह जरूरी है कि कोई आगे आकर रुपया लगा कर पीने के पानी का कुंआ बना सके लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि जहां ऐसी व्यवस्था न हो सके वहां जिलाधीश को और प्लानिंग अफसर को यह अधिकार है कि सम्पूर्ण खर्चा सरकार से दिला करके कुंआ बनवा दिया जाय।

श्री तेजा सिंह---मैंने पिछले प्रश्न में पूछा था कि यह जो इतना रुपया बचा है इसकी क्या वजह है, तो क्या इसका यह अंदाजा लगाया जाय कि अब कुंओं की जरूरत नहीं रही है या अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है जिसकी वजह से यह रुपया बच रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---"बचा है" से यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि वह सरेंडर हो गया। यह हो सकता है कि कुएं बन रहे हों, लेकिन डिफरेंट स्टेजेज पर उनके बनने के अनुसार रुपया दिया जाता है। तो संभव है जिस वक्त में यह सवाल पूछा गया था उस वक्त

में और कुंयें बन रहे हों और उन्हों का कंप्लीशन सर्टिफिकेट न हो इसलिये वे दो हजार रुपये आप को बचत के दिखलाई पड़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब जिला अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि जहां कोई हरिजन व्यक्ति ऐसा न हो जो स्वयं कुंये के लिये आंशिक रूप में कुछ अपने पास से लगा सके वहां अगर आवश्यकता हो तो कुंआ सरकार की तरफ से कुल खर्चा दे कर बनवा दिया जाय। तो बचत का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि कुंओं की जरूरत नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि जिलाधीशों और प्लानिंग अफसरों को इस प्रकार का है कि जहां के हरिजन गरीब हों वहां पीने के पानी के कुयें का पूरा खर्चा प्लानिंग कमेटी दे?

श्री हरगोविन्दसिंह---वह तो आप देख सकते हैं। वह तो जिलों में भी गया है। आप प्लानिंग कमेटी के मेम्बर होंगे, वहां भी देख सकते हैं।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जब इतना रुपया शेष बच रहता है वह आगे न बचे और कठिनाइयां दूर हो जायं उसके लिये कोई विशेष कदम उठायेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह---मैंने उत्तर दिया कि बचने का इसमें कोई सवाल नहीं होता। मतलब यह है कि जिस वक्त जवाब मांगा गया उस वक्त इतना रुपया दिया जा चुका था और दो हजार रुपया नहीं दिया जा चुका था। इससे यह मतलब नहीं निकालना चाहिये कि इस दो हजार रुपये के हिसाब में कुयें बन नहीं रहे थे।

श्री तेजासिंह---यह प्रश्न मैंने जुलाई सन् १९५६ में पूछा है और साल मार्च ३१ को खत्म हो जाता है। तो आया जो इस साल कुयें बन रहे हैं क्या उनका रुपया भी पिछले साल के खर्च में डाला जायगा?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह रुपया तो वहां जो हमारे प्लानिंग अफसर हैं उनके पर्सनल लेजर एकाउन्ट में रहता है। वह मार्च में खत्म हो जाय या दूसरे साल में हो, उसमें यह सब चीज लागू नहीं होती।

*२२---**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)---३१ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२३-२४---**श्री बाबूनन्दन** [७ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२५-२६---**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा** (जिला गोरखपुर)---[७ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७-२८---**श्री ब्रजवासी लाल** (जिला फैजाबाद)---[७ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९-३१---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---[२७ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

गढ़मुक्तेश्वर के सोमवती अमावस्या के मेले में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है। वह इस प्रकार है।

"गढ़मुक्तेश्वर के मेले में सरकार द्वारा उचित प्रबन्ध न होने के कारण भीड़ से बहुत आदमियों के मरने तथा घायल होने से जो भीषण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर विवाद करने के लिये सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इस सिलसिले में उन्होंने कोई सूचना सिवाय इस प्रस्ताव के इस घटना के बारे में नहीं दी है। मैं समझता हूं यह अनिश्चित-सा है और मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। इस विषय में, मैं समझता हूं, उन्हें प्रश्न पूछना चाहिये था।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)---मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर कुछ रोशनी डालने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---मैं दूसरा कामरोको प्रस्ताव भी ले लूं उसके बाद उनको मौका दे दूंगा।

चमुहा, जिला मथुरा में सोशलिस्ट पार्टी के प्रति पुलिस के दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी का है जिसमें उन्होंने कहा कि "कल ८ अगस्त सन् १९५६ को जब कि मथुरा जिले के चमुहा नामक स्थान में दिन के ९ बजे सोशलिस्ट पार्टी की सार्वजनिक सभा हो रही थी उस समय पुलिस के एक दल ने स्टेज पर हमला किया और लाउड स्पीकर छीन लिया तथा उसी स्थान पर यह एलान किया कि अब इस स्थान पर दफा १४४ लागू की जा रही है। उसी वक्त पुलिस ने मथुरा के पार्टी नेता सर्वश्री, राधेश्याम द्विवेदी, लक्खीसिंह, पुजारी टीकाराम, भारतसिंह, रामसिंह तथा अन्य २० आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के इस अप्रजातान्त्रिक तथा बर्बर कार्य से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसमें कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं है कि सरकार का इससे संबंध कहां पर आता है। इसमें स्पष्ट ही यह केवल स्थानीय घटना दिखाई देती है। इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है जिसमें सरकार को शिकायत की गयी हो या यह बात स्पष्ट हो कि सरकार का इस विषय से संबंध है। एक तार उनके पास आया उसी की बात लेकर उन्होंने यह काम रोको प्रस्ताव मेरे पास भेज दिया है। तो जो तार मथुरा से उनके पास आया उसको भी उन्होंने मेरे पास भेज दिया है। यह तार सोशलिस्ट पार्टी पानदरीबा, लखनऊ के पते से भेजा गया था जिसमें तार भेजने वाले ने यह कहा है कि इस तरह का हाल है फलां-फलां आदमी गिरफ्तार हुये हैं इसलिये हमको सलाह दीजिये कि हम आगे क्या कार्यवाही करें। इसकी बुनियाद पर, यह कामरोको प्रस्ताव यहां पर आया है। सरकार का कोई प्रत्यक्ष संबंध इस घटना से दिखाई नहीं देता है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

इन दोनों मामलों के संबंध में कोई सूचना माननीय मंत्री जी देना चाहें तो माननीय सदस्यों को दे सकते हैं, मैं इसकी इजाजत उनको दे दूंगा लेकिन इन विषयों पर कोई बहस नहीं हो सकती।

कालपी संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य के गुंडों द्वारा पीटे जाने के फलस्वरूप हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक प्रस्ताव और रह गया है जो श्री रामसुभग वर्मा का है जो इस प्रकार है कि "कालपी के संस्कृत पाठशाला के प्रधान आचार्य को कुछ गुंडों द्वारा पीटे जाने के फलस्वरूप सारे शहर में हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति पर सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।" मैं समझता हूं कि यह विषय बिलकुल ऐसा नहीं है जो कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के लायक हो। यह बिलकुल स्थानीय प्रश्न है और वास्तव में प्रधानाचार्य को इस पर अदालत में चाराजोई करने का अधिकार है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक मथुरा वाली घटना का संबंध है वह मेरी सूचना के अनुसार इस प्रकार है : मथुरा में कोई जगह चमुहा है वहां कांग्रेस वालों ने पहले से नोटिस छपवा कर इस बात की घोषणा कर रखी थी कि हम वहां पर ८ तारीख को एक मीटिंग करेंगे। १० बजे उस मीटिंग में और लोगों का भी भाषण होने वाला था और साथ ही चौधरी चरण सिंह मालमंत्री का भी भाषण उस स्थान पर होने वाला था जिसको वहां पर "मुरली जोगी की बगीची" कहते हैं। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी ने यह तय किया कि ६ तारीख को वह भी उसी जगह पर जहां इनकी मीटिंग होने वाली थी उसके ३० गज की दूरी पर अपनी मीटिंग करेंगे और लाउडस्पीकर का प्रबन्ध भी करेंगे। तो पहले तो उनके पास तहसीलदार भेजा गया और उनसे कहा गया कि आप इस बात को मान जाएं कि आप मीटिंग करने का टाइम बदल दें या थोड़ी दूर पर करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि सबेरे १० बजे से ५ बजे तक हम अपनी मीटिंग रखेंगे और जिस वक्त कांग्रेस की मीटिंग होगी उस समय वहां हर एक जलूस लेकर जावेंगे। फिर जब वे तहसीलदार से नहीं माने तो सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट को भेजा गया उनको समझाने के लिये। उनको भी वही जवाब दिया और कहा कि अगर आप हमें गिरफ्तार करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, हमारा उससे फायदा ही है। फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गये और उनको छपा हुआ नोटिस दिखाया कि वे पहले से तय कर चुके हैं और इसलिये उसका कुछ लिहाज करना चाहिये। सोशलिस्ट पार्टी के २ व्यक्तियों ने कहा कि हम अपने आदमियों से सलाह ले लें और एक शख्स है कोई झक्की सिंह, उनसे उन्होंने राय लेने को कहा। उन्होंने वहां आने से इंकार कर दिया, लेकिन फिर एस० डी० एम० वहां भेजे गये मगर वह नहीं माने। तब एस० डी० एम० ने देखा कि ब्रीच आफ पीस होगा और जिस दिन ८ तारीख को मीटिंग होने वाली थी दोनों ओर के लोग जमा हुये। सोशलिस्ट पार्टी ने २० गज के फासले पर अपना लाउडस्पीकर लगाया और तब अधिकारियों ने दफा १४४ लगाई कि मुरली जोगी की बगीची के इतनी दूर तक आप मीटिंग न करें। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग गिरफ्तार हुये बल्कि केवल ८ आदमी गिरफ्तार हुये, इसलिये कि १४४ को उन्होंने तोड़ा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सोशलिस्ट पार्टी की एक ट्रेनिंग कैम्प वहां पहले ही से हो रहा था और ८ तारीख को उसका दीक्षांत भाषण होने वाला था और कांग्रेस की मीटिंग वहां बाद में रखी गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरी इत्तिला यह है कि कांग्रेस वालों की मीटिंग होना पहले तय हो गई थी और सोशलिस्ट पार्टी वालों ने बाद को तय किया कि हम उससे २० गज की दूरी पर लाउड स्पीकर लगाकर मीटिंग करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---वह कैम्प कब से हो रहा था, क्या माननीय मंत्री इसकी तहकीकात कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने स्पष्ट कहा कि मीटिंग हो रही थी, उसके बारे में आपने जवाब दिया। कैम्प के बारे में कोई सवाल नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दूसरी घटना यह है कि ६ अप्रैल को गढ़मुक्तेश्वर में सोमवती अमावस्या का स्नान का मेला था। वहां पर ब्रिज हाल्ट स्टेशन पर सुबह ६ बजे एक गाड़ी मुरादाबाद से आई जिसमें से करीब १,५०० मुसाफिर उतरे। जहां प्लेटफार्म ऊंचाई पर है वहां से नीचे को एक जीना है जिसमें २० सीढ़ियां ९ फीट चौड़ी है। वहां से एक कच्चा रास्ता गंगाजी को जाता है। कुछ लोग सुबह ४,५ बजे नहाकर ऊपर चढ़ रहे थे। और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ये १,५०० के करीब आदमी नीचे उतर रहे थे दोनों भीड़ें मिल गईं और २ आदमी दबकर मर गये, एक तो कोई २५ वर्ष का था और एक ४५ वर्ष की वृद्धा स्त्री थी। ४ आदमी वहां बेहोश हो गये, लेकिन बाद में होश में आने पर वे अपने घर चले गये। जो २ आदमी मरे उनके घर के मौजूद थे और उनकी लाश को ले गये। बहुत ज्यादा आदमी मरे या घायल हुये, यह बात गलत है। अफसोस की बात जरूर है। लेकिन उसमें खासतौर से किसी का दोष नहीं है। अब रेलवे वालों ने निश्चय किया है कि आइन्दा के लिये उस सीढ़ी को चौड़ा करेंगे और दो हिस्से कर देंगे ताकि एक से लोग चढ़ सकें और दूसरे से उतर सकें।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--जब वहां इतनी भीड़ होने की आशंका थी तो वहां सरकार ने पहले से पुलिस वगैरह का क्यों नहीं प्रबन्ध किया ताकि वे रास्ते का ठीक प्रबन्ध करते और मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब इस घटना की खबर दी गई तो वहां के अधिकारी लोग उस स्थान पर क्यों नहीं आये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझको सूचना यह दी गई थी कि और किसी साल भी ८-१० हजार से ज्यादा भीड़ नहीं हुई लेकिन किन्हीं कारणों से इस साल २०-२५ हजार की भीड़ हो गयी। जितना इंतजाम रक्खा जाता था उतना रक्खा गया। खबर लगने के बाद ही अधिकारी लोग वहां पहुंच गये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां खुद गये। यह जाहिर बात है कि वे काफी देर से पहुंचे।

उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६ पर विचारार्थ समय निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी ९ अगस्त, १९५६ की बैठक में निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय--

सामान्य विवाद--डेढ़ घंटा

खंडों पर विचार तथा पारण--उसी दिन सदन के उठने तक।

यह डेढ़ घंटे का जो समय है वह १४ तारीख को दोपहर तक जो कार्यक्रम निश्चित है उसके बाद होगा। इसके अतिरिक्त एक और स्पष्टीकरण मैं दे देना चाहता हूं वह यह कि इसके ऊपर प्रस्ताव आज नहीं होंगे क्योंकि आज असरकारी दिन है। आज मैंने सूचना मात्र दे दी है। इसके ऊपर जो प्रस्ताव माननीय सदस्य प्रस्तुत करेंगे वह १३ तारीख को करेंगे।

प्रदेश में सूखा से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचारपत्रों में अपने प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से से सूखा के समाचार रोज प्रकाशित हो रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व सरकार से इस विषय में सूचना मांगी गयी थी। अगर सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है तो वह बताये। कहा यह जाता है कि हालत बहुत बुरी है तो इसको सरकार बतलाने की कृपा करे तथा इस सदन में सरकार यह भी बताने की कृपा करे कि उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--आज माल मंत्री जी नहीं हैं। सरकार के पास अवश्य ही ऐसी सूचना होगी। सोमवार को जब असेम्बली बैठेगी तब यह बताया जा सकेगा।

*न्याय पंचायतों को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब श्री द्वारका प्रसाद मौर्य के संकल्प पर, जो २७ जुलाई, १९५६ को उपस्थित किया गया था विचार जारी होगा। श्री कैलाश प्रकाश उसका उत्तर दे रहे थे।

†स्वशासन उपमन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—श्रीमान्, मैं कल निवेदन कर रहा था कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने कोई ऐसी दलील इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं दी जो उस कमेटी के सामने न रही हो जो सन् ५३ में बैठी थी। सबसे बड़ी दलील यही दी गयी कि मुकदमों की तादाद अदालत पंचायतें होने से बढ़ गयी हैं। इस सम्बन्ध में मैं उस रिपोर्ट के अध्याय ६ का १२वां पैरा पढ़ देना चाहता हूं—

"अदालती पंचायतों के ऊपर एक और दोषारोपण किया जाता है। यह कहा जाता है कि इस संस्था के स्थापित करने में मुकदमेबाजी बढ़ेगी जिससे कटुता और झगड़ों में वृद्धि होगी। निस्संदेह यह आलोचना कुछ हद तक सत्य थी। अदालती पंचायतों के द्वारा ही दलित और पिछड़ी हुई जनता की मांगें प्रकाश में आई हैं। बनावटी सामाजिक व्यवस्था, जमींदारों की झूठी श्रेष्ठता की भावना, कुछ वर्ग की झूठी, किन्तु परम्परागत विशेषाधिकार की मांग के कारण पैदा हुई अनियमितता से गरीब, दुर्बल, अभागे तथा अभिशापितों को अपना अधिकार मांगने, न्याय मांगने, अपनी शिकायतों को दूर कराने का किसी अदालत में अवसर नहीं मिलता है जहां वे पहुंच सकें। झगड़ा करने, तथा आपसी मतभेद की आदत न तो थी और न हाल में यह पैदा हो गयी है। इन पंचायतों में मुकदमेबाजी का बढ़ना दोष न था। शिकायतों को दबाने का कार्य अधिक हद तक कम हो गया है।"

श्रीमन्, यह जो मुकदमों में वृद्धि हुई है वह इस कारण से नहीं हुई है कि हमारे यहां न्याय पंचायतों की स्थापना हो गयी। माननीय सदस्यों को एक विशेषाधिकार समिति है। तो केवल विशेषाधिकार समिति की स्थापना से विशेषाधिकारों का उल्लंघन होगा, यह बात नहीं हो सकती। यदि किसी जगह एक डाक्टर को नियुक्त कर दिया जाय और रोगी उस डाक्टर के पास आने लगें और वह संख्या पहले के मुकाबले में कुछ अधिक दिखलाई दे, तो यह सिद्ध नहीं होता कि केवल डाक्टर की नियुक्ति से रोगी बढ़ गये। यह बात अपनी जगह सही है और यह इस बात को सिद्ध करती है कि जो लोग पहले अपने झगड़े, जैसा कि अभी मैंने इस पैरे को पढ़ा, अदालत में नहीं ले सकते थे, उनको उसकी सुविधा नहीं थी, इन न्याय पंचायतों की स्थापना से उनके लिये यह सुविधा प्राप्त हुई है और वे इन चीजों को उनके सामने रख सकते हैं।

श्रीमन्, एक यह भी बात कही गयी प्रस्ताव को पेश करते समय भी और प्रस्ताव का उत्तर देते समय भी इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कि इन पंचायतों की स्थापना के कारण मुकदमे अदालतों में भी बहुत बढ़ गये हैं। मैंने इस बात की थोड़ी सी कोशिश की, इस बात का मुकाबला करके देखने की, कि आया न्याय पंचायतों की स्थापना से ही क्या इनकी संख्या बढ़ गयी है? अंग्रेजी शासन काल में भी १९२० में पंचायतों का एक अधिनियम बना था। इस प्रदेश के कुछ भागों में पंचायतों की स्थापना हुई थी। उस समय के जो थोड़े बहुत आंकड़े मिल सके उनसे यह स्पष्ट है कि सन् ३१-३२ में जो पंचायतें स्थापित हुई और जितने क्षेत्र में वे कार्य करती थीं, उनके आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि १०० आदमी के पीछे एक मुकदमा उस समय दायर हुआ था, सन् ३७-३८ में उन्हीं पंचायतों के द्वारा १३२ आदमी के पीछे एक मुकदमा दायर हुआ।

---

* ९ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही से क्रमागत।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि हम इन पंचायतों को देखें और इस समय के आंकड़ों से मुकाबला करें तो हम यह देखते हैं कि सन् ५०–५१ में जो मुकदमे दायर हुए, वह १०० के पीछे एक मुकदमा दायर हुआ, सन् ५३–५४ में २४० आदमी के पीछे एक मुकदमा दायर हुआ, ५४–५५ में २७५ आदमी के पीछे एक मुकदमा दायर हुआ और ५५–५६ में ५७५ आदमी के पीछे एक मुकदमा दायर हुआ। इससे यह बात स्पष्ट है कि केवल पंचायतों के बन जाने से और स्थापित होने से कोई मुकदमों की संख्या नहीं बढ़ गयी या ये पंचायतें न होतीं तो ये मुकदमे नहीं होते ?

श्रीमन्, इसी सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों की स्थापना से एक गति हमने यह देखी कि वहां फैसले बहुत जल्द होते हैं, क्योंकि न्याय वहां सस्ता मिलता है तो झगड़ों की तादाद में, मुकदमों की तादाद में कमी होती जाती है। जो पंचायतें सन् १९२० के अधिनियम के दौरान में स्थापित हुई थीं उनके कुछ साल के आंकड़े लें तो सन् २२–२३ में १,२२,७७० मुकदमे हुए, सन् २७–२८ में १,२४,६०६ मुकदमे हुए और सन् ३१–३२ में ९१,४७६ मुकदमे हुए। सन् ३७–३८ में ६७,२३३ मुकदमे हुए और सन् ४५–४६ में ३३,९६९ मुकदमे हुए। इससे यह बात स्पष्ट है कि यदि ये पंचायतें कार्य करती रहें तो मुकदमेबाजी भी कम हो सकती है, क्योंकि जो झगड़ा करने वाले हैं उनको शीघ्र दंड दे दिया जाय, शीघ्र उनका न्याय कर दिया जाय तो फिर आदमी की यह आदत नहीं होती है कि वह अधिक झगड़ा करे। मैं सदन का अधिक समय इसमें नहीं लेना चाहता। यदि हम वर्तमान पंचायतों के वार्षिक आंकड़े देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुकदमों की संख्या घटती चली जा रही है साल ब साल। इसलिये यह तर्क उपस्थित करना कि उसका असर अच्छा नहीं है, यह कुछ न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। श्रीमन्, एक बात और है कि इन पंचायतों की वजह से मुकदमों के फैसलों में देर नहीं होती है। उन पंचायतों में भ्रष्टाचार है। मैं यदि आपके सामने निवेदन करूं कि कुल पंचायतों में जो मुकदमे दाखिल हुए उनकी संख्या १९,११,२०० है और उन मुकदमों में से ६ लाख ४७ हजार के करीब ऐसे थे जिनका रिवीजन दाखिल हुआ, तो यह संख्या केवल ६ प्रतिशत आती है, तो जिन लोगों को शिकायत है....

श्री अध्यक्ष—आपको आंकड़ों के बारे में कुछ भूल तो नहीं हो रही है ? आपने कुल १९ लाख के करीब बताये हैं और उनमें से आपने कहा कि ६ लाख में रिवीजन दायर हुआ। क्या ये सही आंकड़े हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—कुल १८,९०,६६१ का फैसला हुआ और मुझे क्षमा किया जाय ६२,५७८ मुकदमे ऐसे हुए जिनका रिवीजन दायर हुआ। इसके साथ ही प्रस्तावक महोदय ने यह भी कहा कि उनमें से कुछ ही मुकदमे ऐसे हैं जो फैसल हुए हैं। इन पंचायतों को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह था कि वह वादियों का आपस में समझौता करा दें, अगर झगड़ा हो तो उसको सुनें और दोनों पार्टियों के सामने एक चीज को रख कर समझौता करा दें। यह बहुत बड़ा ध्येय था जो अदालतों में पूरा नहीं हो सकता था। इसी दृष्टि से इन तमाम मुकदमों में ६ लाख ४७,०६१ ऐसे मुकदमे हुए जिनका इन अदालतों में समझौता कराया गया, यह इतनी बड़ी संख्या है और इसका इतना जबरदस्त असर ग्रामीण क्षेत्र के वातावरण पर पड़ सकता था क्योंकि जहां कटुता तक फैल गई थी, उनमें उन्होंने समझौता कराया, यह बहुत जबरदस्त कार्य था। यह जो मैंने १८ लाख की संख्या दी कि जिनके फैसले इन पंचायतों ने किए और यह जो मैंने ६ लाख की संख्या दी, जिनका समझौता कराया, उनमें एक बात यह भी है कि बहुत सी दफात ऐसी हैं कि जिनमें समझौता हो ही नहीं सकता और अगर हम ऐसे मुकदमों की संख्या उसमें से निकाल दें, जिनमें समझौता नहीं हो सकता तो इन ६ लाख समझौते वाले केसेज की संख्या ५० फीसदी बैठती है। तो जो संस्थायें ऐसी हैं कि जिनमें जो मामले आये उनमें से ५० फीसदी का फैसला

[श्री कैलाशप्रकाश]

वह समझौते द्वारा करा दें तो उनकी स्थापना करने से या उनके रहने से नुकसान कैसे हो सकता है और कैसे गांवों में कोई क्षुब्ध वातावरण पैदा हो सकता है यह हमारी समझ में नहीं आता और ठीक नहीं प्रतीत होता।

श्रीमन्, माननीय प्रस्तावक महोदय ने विशेषकर अपने उत्तर में इस बात पर बड़ा जोर दिया कि इन गांव की न्याय पंचायतों की स्थापना करके अदालतों का काम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि वहां ट्रान्सफर और रिवीजन आदि की अर्जियां जाती हैं। पहली बात तो मैं यह नहीं समझा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे झगड़े कि जिनमें १९ लाख आदमियों को न्याय पंचायतों के सामने जाने की जरूरत हुई तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अदालतों में जाते, ऐसे कम से कम ५० प्रतिशत जरूर होंगे जिनको अपना उपचार अदालत में जाकर तलाश करना पड़ता और इसके माने यह हुए कि करीब दस लाख मुकदमे ऐसे होते जो अदालतों के सामने जाते और कम से कम १०० रुपया फी मुकदमा खर्च होता, बिला लिहाज इस बात के कि एक गांव वाले को तहसील और जिले में जाने में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है और न मालूम कितनी बार उसको वहां जाना पड़ता है। इन परेशानियों के अलावा अगर यह भी समझ लें कि १०० रु० फी मुकदमा खर्च होता तो श्रीमन्, १० करोड़ रुपया ग्रामीण जनता को अपने आपसी झगड़ों के निपटारे में लगाना पड़ता। इसके अलावा यह दस लाख मुकदमे अदालतों के सामने जाते, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया। अब जो रिवीजन के मुकदमे गये उनमें ६२ हजार ही मुकदमे गये वर्ना १० लाख जाते। तो इससे भी यह सिद्ध नहीं होता या अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अदालतों का बोझा इन न्याय पंचायतों के स्थापित होने पर बढ़ गया है, बल्कि सिद्ध तो बात दूसरी होती है। अगर न्याय पंचायतें स्थापित नहीं होतीं तो अदालतों का बोझा और बढ़ जाता और ग्रामीण लोगों को जो मुसीबत और परेशानी होती वह तो होती ही।

श्रीमन्, एक बात यह कही गई कि गांव के लोगों को कानून आता नहीं है, वे जानकारी रखते नहीं हैं, इसलिये वे ठीक तरह का न्याय नहीं दे सकती हैं। मेरे एक साथी माननीय श्री शिवशरण लाल जी ने कल सदन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि इन पंचायतों के द्वारा किस तरीके का न्याय देने की चेष्टा और इच्छा की गई थी और उद्देश्य क्या था। इस सिलसिले में मैं फिर उस कमेटी की राय पढ़ देना चाहता हूं जिसके सामने भी यह प्रश्न उपस्थित था। "अदालती पंचायतों के अधिकतर आलोचकों के साथ कठिनाई यह है कि वे इस देश में अंग्रेजों द्वारा चालू की गई प्रणाली से अन्यान्य प्रणाली का अनुमान नहीं कर सकते। जब अभी न्याय प्राप्त करने का विचार हुआ न्याय में लगी अदालतों, जजों, मैजिस्ट्रेटों और वकीलों का चित्र दिमाग में आ जाता है, हमारी शिक्षा अथवा वातावरण का ऐसा प्रभाव है। देश की श्रेष्ठ संस्कृति तथा प्राचीन परम्पराओं से कोई भी संस्था उतनी अधिक घिरी न होती और कोई भी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था के उतने अनुकूल न होती जितनी कि अदालती पंचायतें हैं। उनमें विश्वास केवल उन लोगों का कम है जो अदालतों में जाने के आदी हैं तथा जो न्याय के स्थान पर कार्यवाही न हो अथवा न्याय में विलम्ब होने की संभावना से मुकदमेबाजी करते थे। अदालती पंचायतें हमारे देश की जनता के लिये नई नहीं हैं और ज्यों-ज्यों उनमें कार्यक्षमता बढ़ती जायगी, उनमें लोगों का विश्वास दृढ़ होता जायगा।"

श्रीमन्, यह भी एक बात कही गई और प्रस्तावक महोदय ने कहा कि इन न्याय पंचायतों के स्थापन से गांव में बड़ी पार्टीबन्दी हो गई, हालांकि उन्होंने कहा कि कहीं-कहीं इन पंचायतों में सर्वसम्मति से भी चुनाव हुए हैं। श्रीमन्, यदि इन आंकड़ों को देखा जाय तो कहीं-कहीं नहीं बहुत जगह सर्वसम्मति से चुनाव हुए हैं। कितना जबरदस्त और कितना बड़ा यह काम था। इन न्याय पंचायतों के चुनाव का जहां तक सम्बन्ध है इस

बात से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि ७२ हजार से अधिक पंचायतें हैं जिनका चुनाव हुआ है। श्रीमन् १,४२,२८२ चुनाव क्षेत्र हैं, जिन चुनाव क्षेत्र में चुनाव किया गया, उनमें १३ लाख ८ हजार से अधिक मेम्बर हैं जिन मेम्बर्स का इनमें चुनाव हुआ है। कितना जबर्दस्त काम है। कितने चुनाव क्षेत्र बने। देहात में चुनाव हुआ। सब बालिग मताधिकार रखते थे। इतना जबरदस्त काम और फिर श्रीमन्, हाथ उठा कर यह चुनाव कराया गया। यह चुनाव शान्ति के साथ सम्पन्न हुआ। कहीं एक आध, दो चार जगह, कुछ किस्सा हुआ हो, चुनाव स्थगित करना पड़ा हो, यह बात दूसरी है। लेकिन प्रदेश भर में बहुत शान्ति के साथ चुनाव हुआ। यह कितनी जबर्दस्त बात है। श्रीमन्, विधान सभा और पार्लियामेंट के भी चुनाव होते हैं। उनके दौरान में जो कि गुप्त मतदान प्रणाली से होते हैं, उनमें बहुत जबरदस्त इंतजाम किया जाता है उसमें शासन को भी बड़ा जबरदस्त खर्चा करना पड़ता है, उनमें भी हम देखते हैं कि कितनी जबरदस्त उत्तेजना हो जाती है उन दिनों में हम कभी कभी झगड़े की चर्चा सुनते हैं, कभी-कभी माननीय सदस्यों को भी तैश आ जाता है। लेकिन इन देहात वालों ने एक सभा में बैठ कर हाथ उठा कर शान्ति के साथ चुनाव किया, यह बड़ा जबरदस्त काम है। यह तर्क कि बड़ी दलबन्दी हो गयी, बड़ा द्वेष का वातावरण हो गया, यह भी मुझे ठीक नहीं मालूम होता। चुनाव होने से पहले जहां मुझको अवसर हुआ मैंने निवेदन किया था कि इन पंचायतों का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों के सहयोग से क्योंकि उन्होंने भी इस बात में काफी प्रचार किया, शासन के अधिकारियों के सहयोग से काफी पंचायतों के चुनाव सर्वसम्मति से हुए हैं। श्रीमन्, यदि आपके सामने मैं आंकड़े रखूं, १३ लाख ८ हजार सदस्यों में ६ लाख ६८ हजार का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ जो कि ५० फीसदी से अधिक बैठता है। श्रीमन्, प्रधानों के बारे में ७२ हजार २५ प्रधानों का चुनाव होना था और उनमें भी ३६ हजार ७ सर्वसम्मति से चुने गये हैं।

इन आंकड़ों के होते हुए यह कहना कि बहुत सर्वसम्मति से नहीं हुए, देहात में बड़ी जबरदस्त पार्टीबन्दी हो गयी, दलबन्दी हो गयी, द्वेष का वातावरण फैल गया, कुछ मुझे उचित नहीं मालूम होता। फिर श्रीमन्, चुनाव से पार्टीबन्दी तो होती ही है। प्रस्तावक महोदय ने न्याय पंचायतों को हटाने की बात कही है। प्रस्तावक महोदय ने यह नहीं कहा कि पंचायतों को खत्म कर दिया जाय। न्याय पंचायतों के बनाने में तो कहीं चुनाव आता ही नहीं। न्याय पंचायतें तो नामजदगी से बन रही हैं। यह तो चुनाव जो कुछ हुआ है गांव सभाओं के द्वारा गांव पंचायतों का हुआ है। तो यह मंशा हो कि इस किस्म का चुनाव न हो, गांव पंचायत न हो, तो सम्भव है कि प्रस्तावक महोदय का यह उद्देश्य हो, यह खतरा हो, यह शंका हो कि द्वेष का वातावरण फैल गया।

श्री अध्यक्ष—अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। दो ही तीन मिनट रह गये हैं।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, पांच-सात मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष—किसी को कोई आपत्ति न हो तो मैं समय और दे दूं।

कुछ सदस्य—कोई आपत्ति नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—मैं वापस लेने जा रहा हूं। तो ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—उनके उत्तर से लोगों को जानकारी हासिल होती है। (श्री कैलाश प्रकाश से) आप जारी रखें।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन् जब माननीय मौर्य जी को आपत्ति है तो मैं समझता हूं कि आपको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--मौर्य जी को आपत्ति नहीं है। सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी कीजिये।

श्री कैलाशप्रकाश--यह कुछ खास बातें थीं। मुझे केवल एक बात और निवेदन करनी है जो बहुत से माननीय सदस्यों ने कही थी। वह इन पंचायतों के निर्माण के बारे में कही है। विरोधी दल के नेता महोदय ने भी कहा और उधर के और भी बहुत से साहबान ने कहा कि जिस तरह से ये न्याय पंचायतें नामजद हो रही हैं उनके विषय में कुछ शंका जाहिर की। श्रीमन्, न्याय पंचायतों के बनाने के लिए दो ही तरीके हो सकते थे। या तो चुनाव होता सीधे तरीके से और या उनकी नामजदगी होती। चुनाव से न्याय पंचायतें न बनायी जायं यह तो माननीय सदन सन् ५४ में तय कर चुका। यही इस सदन ने तय किया कि न्याय पंचायतों के पंचों की नामजदगी होनी चाहिए। लेकिन वह बिल्कुल खुली नामजदगी नहीं। ऐसी बात नहीं कि किसी को भी नामजद कर दिया जाय। इसमें गांव वालों की मर्जी के मुताबिक भी काम होगा, क्योंकि न्याय पंचायत के पंचों को केवल उन लोगों में से ही चुना जा सकता है जिनको गांव वालों ने गांव पंचायत के लिए चुना है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह शंका कि चाहे जिसको न्याय पंच बना दिया जायगा यह कुछ उचित नहीं है। उसमें तो ग्रामीण अपने अन्दर से पन्द्रह, अठारह, बीस, बाईस जिन लोगों को अपने गांव में अच्छा समझते हैं उनको चुनते हैं और न्याय पंचायत के पंच उन्हीं लोगों में से बनेंगे, उनकी मर्जी, उनकी इच्छा काफी हद तक उसमें प्रदर्शित है।

श्रीमन्, फिर प्रश्न यह आता है कि नामजद करे कौन? यह विषय बड़ा विवाद का रहा है। सन् ५३ में भी जो कमेटी बैठी उसमें भी बहुत विवाद था। बड़ा मतभेद था कि किस तरह से इनका चयन किया जाय। यहां भी इस पर कुछ मतभेद रहा। एक ओर तो माननीय सदस्यों में भी यह बात जाहिर की गई और एक ओर तो यह राय रही कि यह शासन को ही अधिकार दे देना चाहिए था, कलेक्टर को ही यह अधिकार दे देना चाहिए था कि वह इनका चयन कर दे। दूसरी ओर जैसे हमारे माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी हैं उन्होंने स्पष्ट यह बात कही कि नहीं यह तो माननीय सदस्यों को इसका अधिकार होना चाहिए था कि वह उनमें से चुन दें और उनमें से नामजद करें जिन लोगों को गांव वालों ने चुना। तो यह दो चीजें थीं। एक शंका यह थी कि अगर कलेक्टर को यह अधिकार दे दिया जायगा तो वह तो नीचे के कर्मचारियों के द्वारा अपनी जानकारी हासिल करेंगे और उनमें भ्रष्टाचार होने की सम्भावना है।

दूसरी ओर माननीय सदस्यों के बारे में यह बात कही गई और मुझे कुछ आश्चर्य भी हुआ कि हमारे विरोधी दल के माननीय नेता ने भी कहा कि साहब वह तो पक्षपात करेंगे, वह पक्षपात से दूर हट ही नहीं सकते। तो श्रीमन्, दोनों चीजों के होते हुए एक ऐसा तरीका सोचा गया कि दोनों के दोष कुछ हद तक दूर हो जायं बीच में शासन को लिया गया। यह रखा गया कि जिन लोगों को गांव वालों ने चुना है उन लोगों में से पांच आदमियों को जो कि योग्य हों, उपयुक्त हों उनको एस० डी० एम० चुनकर भेज दे। यहां एक शासन का हिस्सा आ गया। यहां वह अन्देशा जो माननीय पालीवाल जी ने भी जाहिर किया, उन्होंने कहा कि किन्हीं न्याय पंचायतों में केवल एक पार्टी के लोग बने, श्रीमन्, वह तो पांच आदमियों की लिस्ट तो एस० डी० एम० ने बनायी। उसके लिए कुछ बातें निर्धारित कर दी गई हैं कि इन-इन चीजों को देखकर वह पांच आदमियों की लिस्ट बनाये और जब वह लिस्ट आ गई उसमें क्योंकि अपने-अपने क्षेत्र के माननीय सदस्य भी जानकारी रखते हैं, उनको भी अपने-अपने क्षेत्र की जानकारी रहती है कि कौन आदमी किस तरह का है, तो इस बात की भी व्यवस्था की गई कि उनकी राय भी आ सके और उनकी राय का पता लग सके। चुनांचे एक परामर्शदात्री समिति बनायी गई और कलेक्टर से कहा गया कि वह उनसे परामर्श ले और उनसे परामर्श लेकर वह उनका

चयन करे। इससे अच्छी प्रणाली और क्या हो सकती है। लेकिन मुझे आश्चर्य यह है कि इन न्याय पंचायतों के विषय में जो इतनी सब चर्चा की गई वह उन्होंने अभी तक कोई अपना काम शुरू भी नहीं किया। किसी ने उनको देखा तक नहीं। लेकिन उनके प्रति आज ही से शंका हो गई।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जैसे कि और माननीय सदस्य भी कह चुके हैं कि यह एक बड़ा ऊंचा काम है, हमने यह एक बड़े महत्व का प्रयोग अपने प्रदेश में किया है कि हम गांव-गांव में एक ग्राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। हजारों वर्ष से यह हमारे देश की बिगड़ी हुई हालत, सैकड़ों वर्ष की यह गुलामी की हालत के बाद ऐसे देश में हम ग्राम राज्य को स्थापित करें यह एक कितना ऊंचा काम है। तमाम जो इकाइयां हैं जो कि इतने दिनों तक पिछड़ी रहीं, गरीबी में रहीं, जिनको इन तमाम चीजों की इतनी जानकारी भी नहीं है वह अपना काम स्वयं करती हैं उनके प्रति माननीय सदस्यों का उदार भाव रहना चाहिये, उनके प्रति सद्भावना रहनी चाहिये, एक छिद्र अन्वेषण की दृष्टि से देखने से न तो देश का कल्याण हो सकता है और न नव निर्वाचित लोग विश्वास के साथ अपना कार्य कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इन पंचायतों के कार्यों को देखेंगे और बहुत ही सहानुभूति के साथ देखेंगे, आलोचना की दृष्टि से नहीं देखेंगे, बल्कि उनको अपना सहयोग प्रदान करेंगे जिससे वह अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सकें। उनको शिक्षा देने की कृपा करेंगे तथा ट्रेनिंग कैम्प में सहयोग देंगे। इस प्रकार से यदि काम होगा तो यह न्याय पंचायतें उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगी जिस उद्देश्य से कि उनकी स्थापना हुई। मैं आशा करता हूं, जैसा कि उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे। जहां तक सुधार का सम्बन्ध है, सुझाव का मैं सदा स्वागत करता हूं और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों को सुधारने के लिये कोई भी सुझाव आयेगा उस पर अच्छी तरह से गौर किया जायगा और यदि सम्भव होगा तो उसको कार्यान्वित करने की कोशिश की जायगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे थोड़ा सा समय दे दिया और जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, उन पर मैं अपने विचार उपस्थित करना चाहता था, लेकिन समय के अभाव में उनको छोड़े देता हूं और आश्वासन देता हूं कि उन पर अच्छी तरह से विचार होगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि नियमों के अनुसार मुझे आखीर में जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—आप क्या नियमों को भूल जाते हैं? नियमों में यह है कि आप जवाब भी दे दें। तब भी मिनिस्टर बोल सकते हैं, आखिर में भी मिनिस्टर बोल सकते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—आखिर में मिनिस्टर बोलते हैं लेकिन...

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा कि मिनिस्टर एक ही दफा बोले थे दो दफा नहीं बोले।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जो आश्वासन दिया गया है उस आधार पर मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ को पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०९–२३५ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, को तीन मास के लिये जनमत संग्रहार्थ घुमाया जाय ।

श्रीमन्, जो विधेयक अभी मैंने आपकी अनुमति से और सदन की अनुमति से पुर: स्थापित किया है और जिसे कि अभी मैं अपने संकल्प के द्वारा जनमत संग्रहार्थ घुमाये जाने के लिये प्रस्ताव कर रहा हूं, यह विधेयक इस प्रदेश में नये विश्वविद्यालय की स्थापना की कामना करता है । यह सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि इस प्रदेश में ६ विश्व-विद्यालय विद्यमान हैं । दो केन्द्रीय यूनिवर्सिटी वाराणसी और अलीगढ़ हैं और चार प्रांतीय विश्वविद्यालय लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद और रुड़की हैं । इनमें रुड़की की यूनिवर्सिटी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है । दो नये विश्वविद्यालय गोरखपुर तथा वाराणसी इस प्रदेश में भविष्य में स्थापित होने जा रहे हैं जिनमें से वाराणसी का विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय होगा । लेकिन मेरे विचार से अभी इस प्रदेश में कुछ अन्य विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है और उन्हीं में से एक विश्वविद्यालय के हेतु यह विधेयक प्रस्तुत है । श्रीमन्, आप जानते हैं कि बहुत दिनों से पश्चिमी जिलों की जनता मेरठ में तथा कानपुर क्षेत्र की जनता कानपुर में यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग करती चली आयी है । और इसी प्रकार जो यहां पर रीजन्स विशिष्ट क्षेत्र हैं वह क्षेत्र विशेष की जनता की भी यह मांग रही है कि उक्त क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के हेतु भी विश्वविद्यालय खोले जायं । जो हमारे प्रदेश का उत्तरी भाग है, जो कूमांचल के नाम से विख्यात है उसकी एक विशेष भौगोलिक स्थिति है । यहां की विशेष आवश्यकतायें हैं और वहां की जनता की भी यह मांग रही है कि उनकी पूर्ति-हेतु नैनीताल में एक कुमायूं विश्वविद्यालय खोला जाय । वहां की जनता गरीब होने के कारण इतने साधन अभी नहीं जुटा पायी है कि वह लाखों की संख्या में धन एकत्र कर स्वत: विश्वविद्यालय स्थापित कर सके । और इसीलिये जहां वहां इस बात के प्रयत्न अवश्य हुये कि विश्वविद्यालय स्थापित हो, कमेटियां भी बनीं, मीटिंगें भी हुईं लेकिन कोष के रूप से कोई रुपया अभी तक एकत्र न हो सका । जैसा मैंने अभी आपको बतलाया वहां के प्रदेश की गरीबी इसका मुख्य कारण है ।

आज से दो तीन वर्ष पहले, जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों से आपको ज्ञात होगा, इस प्रदेश के ख्यातिनामा विद्वान् डाक्टर ए० एन० सिंह ने इस बात की चेष्टा की कि वहां के कालेजों को एक सूत्र कर एक कुमायूं विश्वविद्यालय का रूप दिया जाय और उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार के अधिकारियों से, मंत्रिमंडल के सदस्यों से और उस समय के मुख्य मंत्री आदरणीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त से तथा दूसरे प्रमुख नागरिकों से परामर्श किया । जहां तक मुझे सूचना है उन सबकी सहमति से और सहानुभूति से उन्होंने एक कमेटी भी स्थापित की जो कि इस कुमायूं विश्वविद्यालय की नींव डालने के हेतु एक फाउंडेशन सोसाइटी का कार्य करती । दुर्भाग्यवश डाक्टर ए० एन० सिंह की असामयिक मृत्यु हो गयी और अब जो उनके स्थान पर राजकीय डिग्री कालेज के नये प्रिन्सिपल डाक्टर श्रीवास्तव वहां पर आये हैं, उन्होंने इस कार्य को दोबारा चलाने की चेष्टा की है ।

श्रीमन्, मैं यह बात शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि इस विधेयक को जो लाने की मेरी मंशा रही है, वह केवल इस नीयत से नहीं रही है कि चूंकि उस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां का एक

प्रतिनिधि हूं इसीलिये मुझे इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न करना चाहिये, बल्कि मैं एक नागरिक के दृष्टिकोण से भी इस बात को आवश्यक समझता हूं कि हमें अगर इस प्रदेश की शैक्षिक उन्नति करनी है, अगर हमें प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ाना है तो हमें क्षेत्रीय आधार पर भी विश्वविद्यालय की स्थापना करनी होगी। जैसा कि मैंने अभी शुरू में ही इशारा किया कि इस प्रदेश को अभी लगभग चार यूनिवर्सिटियों की आवश्यकता आने वाले सालों के अन्दर और है, इसमें एक विश्वविद्यालय बुन्देलखंड में हो सकता है, एक मेरठ के क्षेत्र में हो सकता है, एक विश्वविद्यालय का विधेयक मैंने यह प्रस्तुत ही कर रखा है और एक विश्वविद्यालय केन्द्र के क्षेत्रों में कानपुर आदि में भी हो सकता है। इतनी तो एक अनिवार्य आवश्यकता उत्तर प्रदेश की विशाल जन संख्या को देखते हुये हमें निश्चित प्रतीत होती है। जब हम और देशों से तुलना करते हैं अपने इस भारत देश की तो हम देखते हैं कि यहां केवल राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग २८ सौ जनसंख्या पर एक यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है जब कि दूसरे जो छोटे-छोटे देश हैं वहां पर भी ऐसी स्थिति नहीं है। स्काटलैंड में ४७३ व्यक्तियों पर एक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, न्यूजीलैन्ड जैसे पर्वतीय देश में ३३७ जनसंख्या के ऊपर एक विद्यार्थी है, स्वीडेन में भी जो एक पर्वतीय प्रदेश है ६९० जन संख्या के ऊपर एक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में है, आस्ट्रेलिया में ६५० के ऊपर एक विद्यार्थी है, हंगरी में ५७६ जनसंख्या पर एक विद्यार्थी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में १२४ जनसंख्या के ऊपर एक विधार्थी और दक्षिण अफ्रीका में २३८ जनसंख्या के ऊपर एक यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है। तो कहां दक्षिण अफ्रीका को ही तुलनात्मक दृष्टिकोण से लीजिये वहां लगभग २३८ की जनसंख्या के ऊपर एक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और कहां हमारे देश में लगभग २८ सौ जनसंख्या पर यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी पढ़ता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में उच्चस्तरीय शिक्षा के जो 'इंस्टीट्यूशंस' संस्थायें हैं, वह बहुत कम हैं। हमारे भारत जैसे बड़े देश में इस समय केवल २७ विश्वविद्यालय हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि हम जहां शैक्षिक उन्नति और शिक्षा को ऐसा स्तर प्रदान करने की चेष्टा करें जिससे इस देश की वास्तविक समस्याओं के दृष्टिकोण से व्यावहारिक शिक्षा दे सकें उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि हम अपनी योजनायें ऐसी बनावें, जिसमें अधिक से अधिक यूनिवर्सिटियां खुल सकें।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 'ड्राफ्ट' मेरे पास है। इसमें बतलाया गया है कि इस काल में ७ विश्वविद्यालय भारत में खुलने वाले हैं। इसमें यह तो साफ-साफ नहीं लिखा गया है कि यह कौन-कौन होंगी। मैं यह भी नहीं जानता कि प्रदेशीय सरकार ने गोरखपुर व वाराणसी यूनिवर्सिटी के अलावा 'सेकन्ड फाईव ईयर प्लान' में कौन सी यूनिवर्सिटी यहां पर और खोलने का प्रस्ताव किया है। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि सारी परिस्थितियों को देखते हुये अत्यन्त आवश्यक है कि इस प्रदेश में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अलावा इस काल में और यूनिवर्सिटियां खोली जायं। मैं यह नहीं कहता कि आप इस कुमायूं यूनिवर्सिटी को किसी अन्य विशिष्ट प्राथमिकता से पूर्व प्राथमिकता दें, लेकिन मैं इतना अवश्य कहता हूं कि भविष्य में जो दो-तीन यूनिवर्सिटियां आप बनावें उसमें अवश्य आप इस यूनिवर्सिटी को समान एवं प्रथम स्थान दें और इसीलिये इस यूनिवर्सिटी बिल को मैंने सेलेक्ट कमेटी में एकदम ले जाने का प्रस्ताव नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जनमत अधिक से अधिक विस्तृत रूप से जाना जाय। मैं यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारे देश के जो बड़े-बड़े शिक्षाविद् हैं वे अपनी राय दें। दूसरी यूनिवर्सिटियों के वाइस-चांसलर्स अपनी राय दें। इंटर यूनीवर्सिटी बोर्ड इस सम्बन्ध में अपनी राय दे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अपनी इस सम्बन्ध में राय दे यानी देश के जितने प्राधिकारी शिक्षाविद् तथा उच्चशिक्षा संस्थायें हैं, मैं चाहता हूं कि वे इस विधेयक पर विचार करें और यह देखें कि यह मांग, हमारी यह पुकार कहां तक उचित है या अनुचित है। मुझे विश्वास है कि यदि वे राधाकृष्णन रिपोर्ट के सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से भी और न्याय की दृष्टि से भी इस विधेयक को कसौटी में कसेंगे तो वे इसे सिद्धान्ततः उपयुक्त ही पायेंगे और इस बात की सलाह देंगे कि इस विधेयक की त्रुटियों को दूर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

करते हुए और कुमायूं की विशेष स्थिति को देखते हुए भी वहां एक यूनिवर्सिटी अवश्य बनायी जाय । अब आप देखें कि इस नये विश्वविद्यालय की स्थापना का आधार क्या है । नये विश्वविद्यालय की स्थापना के कुछ आधार राधाकृष्णन कमीशन ने बतलाये हैं और यही एक ऐसा उच्च-शिक्षा कमीशन है जिसकी संस्तुति को सरकार ने भी माना है और इस देश ने भी माना है । तो मैंने इस दृष्टिकोण से विचार किया और मुझे ऐसा लगा कि जिन-जिन शर्तों को राधाकृष्णन कमीशन ने नई यूनिवर्सिटी खोले जाने के बारे में निश्चित किया है उनमें से अधिकांश शर्तों को कुमायूं युनिवर्सिटी बनाने का मेरा यह प्रस्ताव पूरा करता है । श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से इस सम्बन्ध में आदरणीय सदन का ध्यान राधा कृष्णन कमीशन के पेज ५४९ की तरफ ले जाऊंगा, जहां उन्होंने रीजनल यूनिवर्सिटीज की स्थापना का जिक्र किया है । चूंकि रिपोर्ट अंग्रेजी में है, इसलिये मैं वही पढ़ता हूं, भाव का अनुवाद कर दूंगा ।

"Since higher education has been the responsibility of provinces and states, little thought has been given to so locating universities that they will best serve the national or cultural regions of India."

क्योंकि उच्च शिक्षा—हायर एजूकेशन—हेतु राज्य सरकारों और राज्यों का नियंत्रण रहा है इसलिये कम ध्यान इस ओर दिया गया है कि भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जो क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाय ।

इस प्रकार राधाकृष्णन कमीशन ने भी इस कमजोरी की तरफ ध्यान दिलाया है कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, 'कल्चरल' पैमाने से जो रीजन्स निश्चित हैं वहां पर यूनिवर्सिटीज की स्थापना की तरफ अब तक कम ध्यान गया है । तो यह यूनिवर्सिटी कुमायूं की विशेष स्थिति को देखते हुए और वहां की विशेष पर्वतीय समस्याओं को देखते हुए इस कमी को पूरा करेगी । एक तो नैनीताल 'प्लेन्स' से मैदानों से बहुत नजदीक है और लगभग पिछले सौ सालों से इस प्रदेश का 'समर कैपिटल (ग्रीष्मकालीन राजधानी) रहा है । गोरखपुर यूनिवर्सिटी को खोलकर पूर्वी क्षेत्र की कमी को पूरा किया जा रहा है । उसी प्रकार से जिस प्रकार कि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की कमी को देख कर सरकार ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी खोली, उसी प्रकार प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की कमी को पूरा करने हेतु यह विश्वविद्यालय भी खोला जा सकता है । अब अगर हम इसके आगे देखें पेज ५५० में, उसी राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट को तो हम यह पायेंगे :

"This mention of the problem of regional location of urban universities, even where only political and linguistic regions are involved, indicates the complexity of the issues. In establishing new universities consideration should be given to regional needs, whether the region be linguistic, cultural or economic. As to rural universities, if the problem of regionalism is well handled from the beginning, much confusion may be avoided. By careful planning rural universities may be located so as largely to serve both linguistic areas and areas with similarity as to crops, industrial resources, etc."

यहां पर जो क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने हेतु दिक्कतें हैं उनकी ओर स्वयं कमीशन ने ध्यान दिलाया है । उन्होंने बतलाया है कि एक तो वह यूनिवर्सिटीज है कि जो शहरी दृष्टिकोण से स्थापित की जा सकती हैं, दूसरी वह हैं कि जो देहाती दृष्टिकोण से कृषि संबंधी आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से खोली जा सकती हैं । इस सम्बन्ध में यह भी उन्होंने बतलाया है कि अगर हम ठीक प्रकार से नियोजन करें तो हम एक ओर यहां क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को देख कर यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, वहां देहाती और शहरी शैक्षिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है ।

अब श्रीमन्, आप नैनीताल की विशेष स्थिति को देखें। वह ऐसा सुन्दरतम् क्षेत्र है कि जो देहाती क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है और शहरी क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। चूंकि नैनीताल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां घने जंगल भी हैं, तालाब हैं, जो तल्लीताल का और मल्ली ताल का स्थान है वहां शहरी क्षेत्र भी है और दूसरी ओर एकान्तवासी ऊंची चोटियां भी हैं। एक तरफ आयर पाटा और शेर का डांडा की ऊंचाइयां हैं। एक ओर उच्चत्तम मनोरम स्थान में स्थित बिड़ला कालेज है और एकान्त स्थान में उसी के समानान्तर पर्वतमाला पर स्थित शेरउड कालेज है, इन कालेजों की संपत्ति कई लाख की है। ऐसा ही रमणीय सेंट जोजेफ कालेज है। इन कालेजों को मिला कर लगभग एक करोड़ के असेट्स (पूंजी) हैं और इनकी समता का भी उपयोग हम उनके कृपापूर्ण सहयोग से अच्छी तरह कर सकते हैं। और फिर जो देव सिंह विष्ट गवर्नमेंट डिग्री कालेज वहां पर है, उसकी स्थिति भी अत्यन्त सुन्दर है। यह कालेज राजकीय प्रेरणा तथा कुमायूं के सर्वोच्च धनिक श्री दान सिंह विष्ट जी द्वारा ४ लाख रुपये दान में दिये जाने से बना है। चेतराम शाह कालेज नैनीताल का सबसे पुरातन स्कूल रहा है---स्वर्गीय लाला चेतराम शाह जी की उदारता से यह वर्तमान उच्च स्थिति को प्राप्त हो सका। मैं चाहता हूं कि यह सब कालेज यूनिवर्सिटी कालेज के रूप में कार्य करें। यह सब कालेज ऐसे स्थान पर स्थित हैं, जो कि शहर में होते हुए भी शहर की भीड़-भाड़ और 'घिचपिच' से परे हैं। अद्वितीय प्राकृतिक सौन्दर्य, वनों के एकान्त वातावरण, तालाब की नीलिमा और पर्वतों के प्राकृतिक प्रांगण के बीच यह सब कालेज विद्यमान हैं। इसलिये मेरे विचार से यह जो नैनीताल में यूनिवर्सिटी होगी, इसमें देहात और शहर का समन्वय तथा आपस में सम्मिश्रण करने वाला शैक्षिक एवं सामूहिक एकांत आवास दोनों बातें विद्यमान होंगी। इसलिये मैं इस यूनिवर्सिटी को समझता हूं कि यह एक ऐसे 'कैरेक्टर' (स्वरूप) होगी कि जिसका 'कैरेक्टर' (स्वरूप) 'रूरल' और 'अरबन' दोनों प्रकार का होगा।

अब जहां तक विद्यार्थी–संख्या तथा कालेज-संगठन का सम्बन्ध तथा स्वरूप है, राधाकृष्णन कमीशन ने इस सम्बन्ध में भी अपनी सिफारिश की है। संख्या के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी का क्या रूप होना चाहिये इसके सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि:--

> "As general type of arrangement, it is suggested that a rural university should include a ring of small, resident, undergraduate colleges, with specialized university facilities in the centre. The suggested number of students for each of the undergraduate, resident colleges is about three hundred, and that of the maximum over all enrolment for colleges and university combined, about twentyfive hundred."

राधाकृष्णन कमीशन ने इस प्रकार का सुझाव दिया है कि यूनिवर्सिटी इस प्रकार की परिधि का केन्द्र होना चाहिये जो उस परिधि में विद्यार्थी रहें, 'अन्डर ग्रेजुयेट' कालेज के हों और उन कालेजों में विशेष विषयों का पठन-पाठन केन्द्र हो। प्रत्येक ऐसे कालेज के लिये अलग–अलग जो 'रेजिडेंट अन्डर ग्रेजुयेट कालेज होंगे, वह लगभग ३०० के होंगे। अधिक से अधिक विद्यार्थियों की संख्या को मिला कर कुल २,५०० विद्यार्थी विश्वविद्यालय में रहना चाहिये। अब आप देखें कि इन सब आवश्यकताओं को नैनीताल के उन कालेजों में पाया जाता है और वहां के कालेज इस आवश्यकता को पूरा करते हैं। अधिकांश कालेजों में लगभग ३०० विद्यार्थी हैं। उनके लिये होस्टल भी वहां पर हैं। 'एकोमोडेशन' भी मौजूद है और योग्य स्टाफ भी मौजूद है। स्थान कम होने पर तथा विश्वविद्यालय के विस्तार होने पर घोड़ाखाल स्टट, भुवाली तथा जींद स्टेट, भीमताल का सदुपयोग करने की भी चेष्टा हो सकती है। श्रद्धेय श्री गंगादत्त पांडे जी द्वारा स्थापित गांधी विद्या-निकेतन का उपयोग भी हो सकता है। इस प्रकार राजकीय डिग्री कालेज को आधार मानते हुए अनेक ऐसे कालेज तथा भवन विद्यमान हैं, जो एक शिक्षण-

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रधान (teaching) विश्वविद्यालय के सम्पुष्ट अंग बन सकते हैं। उनके लिये केवल सोचना यह है कि अगर यह बिल पास हुआ और फिर सरकार के सहयोग से हम लोगों का पूरा प्रयत्न हुआ तो मुझे पूरा भरोसा है कि वह सब विभिन्न कालेज इस विश्वविद्यालय में शामिल हो जायंगे। तब वहां पर यह सवाल नहीं होगा कि अधिक बिल्डिंग बनानी है क्योंकि कालेजों के पास पहले से बिल्डिंग आदि मौजूद हैं। अवश्यमेव केन्द्रीय इमारतों का निर्माण तो करना ही होगा। यह समस्या बिल्डिंग की जैसी गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनाते समय हमारे सामने आयी, ऐसी नैनीताल के विषय में नहीं आयगी। अन्डर ग्रेजुयेट कालेजों में 'स्पेशल स्टडीज' का प्रबन्ध वहां पर हो सकता है या हर कालेज में एक एक 'फैकल्टी' खोली जा सकती है, जैसा कि 'साइन्स' की 'फैकल्टी' शेरवुड एवं सेंट जोजफ कालेज में खुल सकती है, या इंजीनियरिंग बिरला कालेज में तथा गांधी-विद्या निकेतन में खुल सकती है और कामर्स की चेतराम शाह कालेज में खुल सकती है। इस प्रकार से जो राधाकृष्णन कमीशन का 'आइडिया' 'स्माल रेजिडेंट' कालेजों का है, वह वहां पर पूरा हो सकता है।

इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि-संबंधी उच्च शिक्षा के लिये एशिया का सबसे बड़ा फार्म नैनीताल जिले में स्थित है जिसे देखने के लिये देश-विदेश से नेता, वैज्ञानिक और विद्वान् लोग वहां आते हैं। यह फार्म नैनीताल से ४० मील पर रुद्रपुर के पास १६ हजार एकड़ का है। इस समय कृषि की ट्रेनिंग के लिये विकास कार्यकर्त्ताओं को वहां जाना पड़ता है। मैं दो बार हमारी कैबीनेट फैसला कर चुकी है कि कानपुर का एग्रीकल्चर कालेज रुद्रपुर जाय। मैं तो चाहता हूं कि कानपुर का यह कृषि कालेज कानपुर में ही रहे। लेकिन यह बात भी सही है कि रुद्रपुर का ए० एन० झा हायर सेकेण्डरी स्कूल अपना एक विशेष महत्व रखता है चूंकि वहां कृषि की शिक्षा विशेष रूप से दी जा रही है। तो मेरा प्रस्ताव है कि रुद्रपुर के इस स्कूल को हम कुमायूं यूनिवर्सिटी की एग्रीकल्चर फैकल्टी बनावें। वहां पर रिसर्च और परीक्षण का काम हो रहा है और भी बहुत से प्राइवेट फार्म हैं। 'फारेस्टी' और 'प्लान्टेशन' का सबसे बड़ा काम नैनीताल जिले में है। माननीय वन मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं, नहीं तो वह मेरे साक्षी होते। तो रूरल यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर भी वहां अच्छी परह से नियोजित हो सकता है और यह तभी हो सकता है जब कि इस संबंध में हम कोई विधान बनावें। राधाकृष्णन कमीशन ने लिखा है कि अगर 'रूरल' यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी सैकड़ों मील भी शिक्षा के लिये जावे तो भी वांछनीय होगा। पेज ५७६ पर उन्होंने लिखा है कि :

> "A part of the staff of the college or of a group of colleges should be engaged in securing suitable working opportunities and in supervising students during their working periods. Such working positions might be located anywhere within several hundred miles in a great variety of fields. This programme of work and study has been developed in some places of Europe and America through more than 35 years and has been successful."

उन्होंने कहा कि कालेज के विद्यार्थियों का कुछ हिस्सा और वहां के स्टाफ का कुछ हिस्सा कृषि कार्य के स्थलों में जा सकता है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य ! सदन में ज्यादा हंसी नहीं होनी चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो राधाकृष्णन कमीशन की 'रूरल यूनिवर्सिटी' की कल्पना यह है कि सैकड़ों मील दूर भी खेतों में कृषि-शिक्षा कार्य हो सकता है। लेकिन यहां प्रकृति की ऐसी देन है कि हमको विश्वविद्यालय से ४०—५० मील दूरी में ही इतना बड़ा स्टेट फार्म और बहुत से दूसरे फार्म कार्य हेतु मिल रहे हैं। इसलिये भी रूरल यूनिवर्सिटी की

फैकल्टी की स्थापना के लिये भी यह स्थान एक तरह से आदर्श प्रतीत होता है। जैसा कि राधाकृष्णन कमीशन ने आगे चल कर पेज ५५१ में कहा है, इसकी हेडिंग है:—

"Conditions for Creating New Universities."

और नई यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने कहा है:—

"A university is mere than a technical school. It should be a place for providing a student with opportunity for all round well proportioned education for effective living and for citizenship, in addition to preparation for a calling. It may occur that a university shall develop special strength in some particular field, as in engineering or industrial development or in teacher training or in forestry or fisheries."

इन्हीं विषयों के विशेष रूप से उदाहरण दिये हैं। इस प्रकार यह यूनिवर्सिटी विशेष परिस्थितियों में विशेष रूप से शिक्षा कार्य कर सकती है—जैसे—उद्योग, इंजीनियरिंग, जंगलात, विषयों की शिक्षा फिशरीज वगैरा वगैरा। इनमें से कुछ आवश्यकताओं को यह स्थान पूरा करता है। वहां पर फौरेस्ट्री की ट्रेनिंग के सभी साधन मौजूद हैं। सैकड़ों किस्म की जड़ी-बूटियां भी वहां पायी जाती हैं, कोनीफैरस फारेस्ट्स, सभी प्रकार के जंगल भी वहां आस-पास मौजूद हैं। इसी प्रकार से 'फिशरीज' (मस्त्य-पालन) को भी लीजिये। कुमायूं में जो तालाबों का 'लेक रीजन' है वह इसी नैनीताल के आस-पास ही है और 'फिशरीज' का सबसे बड़ा काम भी यहीं होता है। नैनीताल, भीमताल, सात ताल, और नौकुचियाँ ताल आदि में अब भी फिशरीज विभाग का काम हो रहा है। अगर हमें इस प्रकार की मत्स्य पालन विषय की उच्च शिक्षा देनी हो तो वहां दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त 'जुओलोजी' (भू-गर्भ शास्त्र) की शिक्षा का भी कार्य वहां पर हो सकता है। अभी-अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि गढ़वाल में जो लोहा पाया गया है उसमें आयरन कंटेन सबसे ज्यादा है। इसलिये अगर वहां पर 'जुओलोजिकल सर्वे' की जाय तो बड़ी भारी सफलता मिल सकती है। अभी परसों पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया गया था कि तराई भाबर के इलाके की पहाड़ियों में 'लाइम-स्टोन' पाया जाता है। इसलिये यह कुमायूं क्षेत्र जुओलोजीकल सर्वे के प्रयोग और एजूकेशन के लिये अत्यन्त उचित स्थान है।

'ऐस्ट्रोनोमी' विषय की शिक्षा के लिये भी नैनीताल अत्यन्त उचित स्थान होने वाला है। अभी अभी बनारस से एक 'एस्ट्रोनोमीकल आबजरवेटरी' इसलिये नैनीताल ले जायी जा रही है कि वहां के नक्षत्र निरीक्षण से अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसके लिये १७ लाख रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया है। मनौरा पहाड़ की चोटी पर वह 'आब्जरवेटरी' बनायी जायगी जो हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी होगी। जिन विद्यार्थियों को एस्ट्रोनोमी में स्पेशल ट्रेनिंग देनी हो, वह भी वहां विश्वविद्यालय में भेजे जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त नैनीताल जिले में नैनीताल से ३२ मील दूर एक मुक्तेश्वर नाम का स्थान है वहां भारत का एक इंडियन वैटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसमें पशुओं की विशेष चिकित्सा के संबंध में, पशुओं को जितने रोग होते हैं उनका परीक्षण एवं रिसर्च कार्य वहां पर होता है। इसकी स्थापना लगभग १८९६ में हो चुकी थी। इसमें डेढ़ हजार आदमी काम करते हैं और लगभग २ करोड़ उसका सारा एस्टेब्लिशमेंट है। वेटेरिनरी ऐजूकेशन एक स्पेशलाइज्ड विषय है जिसकी रिसर्च की पूरी व्यवस्था मुक्तेश्वर में है। आइजटनगर के मुख्य वेटेरिनरी केन्द्र व मुक्तेश्वर केन्द्र दोनों को आवश्यकता पड़ने पर सम्बद्ध किये जाने पर विचार हो सकता है।

इसी प्रकार पौड़ी, टेहरी, अलमोड़ा, हल्द्वानी रानीखेत, बरेली, पीलीभीत, भीमताल, काशीपुर, बाजपुर, रामनगर आदि स्थानों पर अलग-अलग प्रकार की ऐसी शिक्षा संस्थायें हैं,

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जिनको संबद्ध किया जा सकता है। मैं उसके सारे स्वरूप की कल्पना तो अभी नहीं कर सकता और न मेरा ऐसा दावा ही है कि मैं कोई बहुत बड़ा इस मामले में एक्सपर्ट हूं परन्तु यहां पर विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के लिए जिन जिन सुविधाओं का मैं विचार कर सका हूं, उनको आपके सामने मैंने उपस्थित कर दिया है। संक्षेप में हम यह देखते हैं कि वहां पर फारेस्ट्री रिसर्च की भी सम्भावना है, फिशरीज रिसर्च की भी संभावना है, इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर में है, एस्ट्रोनामिकल आब्जर्वेटरी मनोरा में कायम हो रही है, जो पहले बनारस में थी, ज्योलोजिकल सर्वे का भी वह एक सेंटर हो सकता है, इसके अलावा रुद्रपुर में जो तराई का सबसे बड़ा फार्म है—एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर विषयों की उच्च शिक्षा की रूपरेखा मौजूद है। इस तरह से स्पष्ट है कि इन ६,७ विषयों पर उच्च शिक्षा की भूमिका आज भी उस क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के लिये मौजूद हैं। इन महान विशेषताओं को भी हमें इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विचार करते समय ध्यान में रखना चाहिये। दूसरी बात यह है देखने की कि कुमायूं डिवीजन में जो 'लिटरेसी' का परसेंटेज (साक्षरता का प्रतिशत) है वह प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगर आप 'सेंसस रिपोर्ट' (जनगणना) १९५१ देखें, तो उसके पेज ३८९ में आप पायेंगे :—

"It will be seen that the Himalayan division easily leads the way in male literacy (354 per mile) and is a close second to the central plain (57) in female literacy (51)."

यानी वहां पर ३५४ 'पर मिले' (प्रति सहस्र व्यक्ति) साक्षरता लिटरेसी है जो इस प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो वहां सबसे अधिक साक्षर लोग हैं और लोगों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अत्यन्त तीव्र इच्छा है। लेकिन इतने साधन नहीं हैं कि वे अपने घर से, अपने पर्वतीय क्षेत्र से कहीं बहुत दूर जाकर या उतने बड़े पैमाने पर ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकें या अपने बच्चों को सुविधानुसार पढ़ा सकें। आज भी अल्मोड़ा शहर का जो 'लिटरेसी' में 'परसेंटेज' है वह हमारे प्रदेश के सब शहरों में सबसे ज्यादा है। कुमायूं के लोगों में पढ़ने-पढ़ाने की इच्छा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिये उनमें शक्ति नहीं है कि उच्च शिक्षा के खर्चे के भार को उठा सकें। श्रीमन्, आप भी देखते हैं कि वहां के पढ़ने-लिखने की इच्छा रखने वाले गरीब विद्यार्थी जिस किसी प्रकार भर्ती हो सकने पर पढ़ाई जारी रखने हेतु कितनी अधिक संख्या में फ्रीशिप और हाफ फ्री-शिप के लिये कौंसिल हाउस के चारों तरफ चक्कर मारते फिरते हैं। तो आज प्रदेश के उस पिछड़े क्षेत्र में जहां शिक्षा के लिये इतनी प्यास है, उस प्रदेश को इस प्रकार के साधन सुलभ करना, किसी प्रकार अनुचित नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक विशिष्ट क्षेत्र में यदि उच्च शिक्षा के लिये इतनी पिपासा है तो इस प्रदेश एवं राज्य का यह पुनीत सामूहिक कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के साधन वहां के लिये सुलभ करें और उनको निर्मित करने की हम सभी लोग चेष्टा करें।

एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कि जो यूनिवर्सिटी हम बनाना चाहते हैं उसको शुरू शुरू में 'एफिलिएटिंग' और 'यूनिटरी' दोनों प्रकार की रखना चाहते हैं। यह मेरा अपना विचार है, जनमत जो कहेगा वह तो हम सबों को शिरोधार्य होगा ही। लेकिन जो भी कालेज इससे 'ऐफिलिएट' हों वे स्पेशलाइज्ड विषय में ही डील करें तो ज्यादा उचित हो।

इसके अलावा और भी जो कालेज हैं कम से कम 'ट्रांजिशनल पीरियड' में भले ही वे सारे इससे ऐफिलिएट' कर दिये जायं, लेकिन अन्तोगत्वा अन्तिम रूप से प्रत्येक कालेज जो 'ऐफि-लिएट' होगा, वह एक विशेष विषय में या समक्ष विषयों के फैकल्टी कालेज के रूप में ही होगा। इस नयी यूनिवर्सिटी की जो हमने परिकल्पना की है वह फैकल्टी कालेज के रूप में वहां एक विशेष विषय में ही केन्द्रों पर शिक्षा देने की है। यूनिवर्सिटी यूनिटरी' शिक्षा दे यह कल्पना राधा-कृष्णन कमीशन ने की है। अब इसको स्थानीय आधार पर थोड़ा बहुत परिवर्तित करके यूनिवर्सिटी का वैधानिक स्वरूप दिया जा सकता है। इस विधेयक को मैंने शीघ्रता में तैयार किया है और इस बात की चेष्टा भी की है कि कोई गलती न हो लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां अवश्य रह गयी हैं।

कुछ छापे की गलती हैं और कुछ और भी त्रुटियां हैं, जिनको बाद में दुरुस्त कर लिया जायगा जबकि यह विधेयक जनमत से लौट कर सेलेक्ट कमेटी में जायगा, लेकिन इसमें कुछ बातों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और मुख्य बात यह है कि विश्वविद्यालय को अधिक से अधिक स्वतंत्रता (आटोनामी) देने की चेष्टा की गयी है---इसको अधिक से अधिक आटोनामस बनाने की चेष्टा की गयी है। इस हेतु प्रथम चेष्टा हमने जो की है, वह यह है कि राज्यपाल महोदय को हमने इसका चांसलर नहीं बनाया है। आंध्र में जैसे जीफ जस्टिस को आंध्र यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया है उसी प्रकार से इस विश्वविद्यालय का जो प्रथम चांसलर होगा वह यहां का चीफ जस्टिस ही बनाया जाय, यह विचार हमने रखा है। इससे हमारी बहुत सी कठिनाइयां हल हो जायगी। एक तो हमारे राज्यपाल महोदय की परेशानियां कम हो जायेंगी कि वही हर यूनिवर्सिटी के चांसलर रहें और उनका कार्यभार और दिक्कतें बढ़ जायें। दूसरे यह कि जब कभी कोई राज्यपाल चांसलर के रूप में काम करते हैं तो उनको गवर्नर के रूप में कुछ न कुछ राय संविधान के अनुसार सरकार से लेना ही पड़ती है और अगर वह सरकार की राय न लें, तो उनके लिए वैधानिक परेशानी की बात हो जाती है और इस तरह से यूनिवर्सिटी के मामलों में किसी भी पार्टी की भी सरकार क्यों न हो उसका अप्रत्यक्ष दखल आ जाता है। इन्हीं मुख्य कारणों से मैंने चांसलर पद के लिए गवर्नर महोदय को रखने की व्यवस्था नहीं की है। हम चाहते हैं कि महान्यायाधिपति ही वहां के चांसलर हों। थोड़ा सा समय निकाल कर उन्हें अवश्य देना पड़ेगा, लेकिन वह अधिक स्वतंत्र होंगे और सरकार या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार अनुचित हस्तक्षेप वहां नहीं हो सकेगा और किसी भी व्यक्ति या पालिटिशियन को भी निरर्थक दखल देने का मौका न होगा। इसके अलावा जो वाइस चांसलर के चुनाव का ढंग रखा गया है उसमें चांसलर का भी नामांकित प्रतिनिधि होगा, उसमें एक्जीक्यूटिव कौंसिल का भी नामांकित प्रतिनिधि होगा और इस तरह से उनके हेतु यह नहीं कहा जा सकेगा कि राज्य सरकार के कहने से उन्होंने किसी को नामजद कर दिया। इस प्रकार वाइस चांसलर को नामांकित करने वाली कमेटी में सरकारी असर से मुक्त व्यक्तियों का बहुमत हो सकता है। इसलिए हमने राजस्थान विश्वविद्यालय का तरीका अपनाया है और वाइस-चांसलर के चुनाव का हमने वही तरीका रखा है जो अभी बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में हमने सदन में पास किया है। इसके अलावा छात्र-कल्याण के डीन (डीन आफ स्टुडेंट वेलफेयर) की व्यवस्था भी इस बिल में की गई है। जैसा कि हम इस प्रकार के और बिलों में देखते हैं कि छात्र-कल्याण परिषद्.....

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम छात्र कल्याण परिषद् को पूरा अधिकार दें ताकि छात्रों में स्वअनुशासन की प्रेरणा भी जागृत हो सके, यह न हो कि छात्रों पर अनुशासन लादा जाय या उनमें ऐसी भावना हो कि हमारी यूनियन के मामलों में या हमारे अन्तर्गत मामलों में यूनिवर्सिटी के अधिकारी या बाहर के लोग दखल दे रहे हैं और उनके सामने जो आज समस्यायें हैं उनको दूर करने का इस तरह से प्रयत्न किया गया है। जो हमारे पहले स्टेट्यूट्स हों उनमें हम छात्र कल्याण परिषद् को सब अधिकार दें जिससे विद्यार्थियों में स्वअनुशासन की भावना उत्पन्न हो सके और इसीलिए मैंने इस बिल में छात्र कल्याण परिषद् और डीन आफ स्टूडेंट वेलफेयर को बड़ा महत्व दिया है। इसके साथ ही साथ संक्रमणकाल के लिये इस सम्बन्ध में कोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। श्रीमन्, आपने देखा होगा कि राधाकृष्णन कमीशन ने सिफारिश की कि नये विश्वविद्यालयों में कोर्ट की

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कोई आवश्यकता ही नहीं है। राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश यह थी कि नई यूनिवर्सिटीज में कोर्ट की 'एकेडेमिक हेरार्की' (Academic Hierarchy) नहीं होना चाहिये।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश के अनुसार जो नयी यूनिवर्सिटी भारत में बने उसका विधान कुछ दूसरे प्रकार का होना चाहिये। राधाकृष्णन कमीशन ने सिफारिश की थी कि वाइस चांसलर, अकैडेमिक कौंसिल और एग्जिक्यूटिव कौंसिल को छोड़कर बाकी जो गवर्निंग बाडीज, यूनिवर्सिटीज की हैं उनकी आवश्यकतायें नहीं हैं। कमीशन ने यह कहा—

"Except for the Vice-Chancellor, none of the other usual elements of college governments, such as Court or Chancellor, will be needed The entire content of medieval university ceremony, ritual and regatian, much of which emphasizes academic hierarchy, may be omitted in the new universities. They are in some degree incompatible with the new spirit of India."

कमीशन ने कहा कि वाइस चांसलर को छोड़कर कर जो यूनिवर्सिटी के प्रशासन में कोर्ट और चांसलर वगैरह होते हैं इनकी आवश्यकता नहीं है। जो प्राचीन या मध्यकाल में, मध्य युग में यूनिवर्सिटी के संस्कारों को देखते हुए एक प्रकार से बौद्धिक पदों की पदावली स्थापित हो गयी थी उसको भारत की नयी यूनिवर्सिटियों में हम हटा सकते हैं, क्योंकि भारत की नयी पुनर्जागृत आत्मा के वह कुछ अंशों में विरुद्ध है जो नये विश्वविद्यालय बनें, उन्हें ऐसी परम्पराओं के अनुसार काम करना है जो भारत की अपनी आत्मा और विशिष्टता के परिचायक हों। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी नयी कुमायूं यूनिवर्सिटी बने उसमें हम उन सभी तत्वों का समावेश करें। लेकिन संक्रमण काल में कोर्ट और चांसलर की आवश्यकता होगी, बाद को ऐसा नया निधान बदल सकते हैं, और अगर जनमत ने ऐसा मत व्यक्त किया और सदन के सदस्यों ने इस संबंध में ऐसा विचार व्यक्त किया तो इस विधेयक में ही हम यह इसकी चेष्टा कर सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हम चांसलर रखें ही नहीं और कोर्ट भी न रखें, इस यूनिवर्सिटी को कम से कम अलंकृत बनायें ताकि यह सस्ती यूनिवर्सिटी हो इस मानी में कि खर्चा कम हो और पढ़ाई भी सस्ती हो। मैं अवश्य चाहूंगा कि जो हमारे विश्वविद्यालयों के प्रशासन में ऊपरी खर्चा हो जाता है वह इस विश्वविद्यालय में कम हो। यूनिवर्सिटी के वाह्य अलंकारों में जब धन कम खर्च होगा तभी हम अधिक यूनिवर्सिटियां खोल सकेंगे। तो हमारी यह कुमायूं यूनिवर्सिटी, सस्ती उच्च शिक्षा दे सकने वाली यूनिवर्सिटी हो, जिसमें बहुत कम खर्चा करके विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकें और दूसरी यूनिवर्सिटियों में जो बड़ी-बड़ी तनख्वाहों का क्रम है वह बहुत अधिक तनख्वाह का क्रम भी इस यूनिवर्सिटी में न हो। तो अच्छा है। तभी हम इस यूनिवर्सिटी को आदर्श यूनिवर्सिटी बना सकेंगे। लेकिन संक्रमणकाल के लिये हमें यहां भी आवश्यकता होगी कि चांसलर व कोर्ट आदि भी रहें, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिये मैंने इस विधेयक में यह संक्रमणकालीन व्यवस्था भी की है।

एग्जिक्यूटिव कौंसिल और ऐकेडेमिक कौंसिल के बारे में राधाकृष्णन कमीशन ने कहा है कि :—

"The rural University might well have two governing bodies. First, a small academic council consisting of perhaps a dozen members of the staff chosen by appropriate means, to formulate the policies and programme for the academic and related affairs of the institution, sometimes acting through suitable committees."

एकैडेमिक कौंसिल के बारे में कमीशन ने सुझाव दिया कि एकैडेमिक कौंसिल में कम सदस्य होने चाहिये जो कि विश्वविद्यालय के अध्यापक हों। लेकिन बड़ी एकैडेमिक कौंसिल न हो। इसलिये मैंने एकैडेमिक कौंसिल के बारे में एक प्रस्ताव रखा है कि एकैडेमिक कौंसिल के सदस्यों की संख्या हम विधेयक के द्वारा नियत न करें बल्कि स्टेटयूट्स, परिनियमों में इसकी व्यवस्था हो। पहले तो मैं इस राय का था कि एकैडेमिक कौंसिल में कितने सदस्य हों इसकी व्यवस्था हम विधेयक में ही कर दें, लेकिन राधाकृष्णन कमीशन के इस सुझाव के ऊपर हमने यह व्यवस्था की कि एकेडेमिक कौंसिल स्टेटयूट्स के आधार पर बनायी जायगी। एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बारे में राधाकृष्णन कमीशन की यह सलाह रही है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में आन्तरिक और वाह्य तत्वों का सन्तुलन होना चाहिये। यानी जो यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग हों, जो यूनिवर्सिटी के अध्यापक आदि न हों और जो यूनिवर्सिटी के अध्यापक हों, इन दोनों तत्वों का प्रतिनिधित्व तो कार्यकारिणी परिषद में एग्जीक्यूटिव कौंसिल में वांछनीय है ही, अवश्यम्भावी भी है लेकिन ऐसा न होना चाहिये कि कभी तो वाह्य तत्वों का बहुमत एक्जीक्यूटिव कौंसिल मे हो जाय या कभी अध्यापकों का ही पूर्ण बहुमत हो जाय। दोनों में बैलेंस होना चाहिये, बराबरी सी होनी चाहिये।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस विधेयक में हमने व्यवस्था की है कि चार फैकल्टीज के डीन्स—डीन आफ स्टूडेंट वेलफेयर, अफिलिएटेड कालेज के प्रिंसिपल, टीचरों के प्रतिनिधि, पांच कोर्ट द्वारा छांटे गये व्यक्ति और तीन चांसलर के द्वारा नामजद व्यक्ति और एक ट्रेजरर—इस प्रकार लगभग २१ व्यक्तियों की यह हमारी एग्जीक्यूटिव कौंसिल हो गई। इसमें दोनों का बराबर-बराबर संतुलन भी होगा, दोनों तत्वों का— वाह्य और आन्तरिक तत्वों का बैलेंस होगा। केवल अध्यापकों का अल्पसंख्या में बहुमत संभव है। इसका परिणाम यह होगा कि हम राधाकृष्णन कमीशन की मंशा को पूरा कर सकेंगे। एक तरफ यूनिवर्सिटी को आटोनामी, विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहेगी और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय वाह्य तत्वों के सहयोग का भी अभ्यर्थी रहेगा और उसको उनका सहयोग प्राप्त हो सकेगा। दूसरी तरफ जो अध्यापक वर्ग है उसका भी पूरा-पूरा प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् में होगा। हमारी एग्जीक्यूटिव कौंसिल का कांस्टीट्यूशन ऐसा ही प्रस्तावित है।

इस विधेयक में एक खास बात और भी निश्चित है और वह यह कि जो वाइस-चांसलर महोदय को दूसरे विधेयकों में विशेष शक्ति दी गई है यानी डिसिप्लिनरी पावर्स, अनुशासनात्मक शक्ति दी गई है कि वह जब चाहे किसी टीचर को सस्पेंड कर दे, जब चाहे किसी टीचर किसी अध्यापक के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही शुरू कर दे और फिर यह भी शक्ति दी गई है कि वाइस-चांसलर ज्यादा महत्वपूर्ण अनुशासन के मामलों को एक कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करें और उस कमेटी में वाइसचांसलर के नामजद किये हुए व्यक्ति भी हों जो वाइस-चांसलर कमेटी के नाम से अप्रत्यक्ष रूप से कही जाती है, तो यह वाइस-चांसलर कमेटी जो रही है इसको इस विधेयक में स्थान नहीं दिया है। हम यह चाहते हैं कि इस कुमायूं विश्वविद्यालय के अध्यापकों को अपने अध्यापन कार्य को करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। राज्य अध्यापकों को विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन में मुक्ति और एक प्रकार से स्वातंत्र्य प्रदान करें। इस प्रस्तावित अधिनियम में इस बात की भी पूरी चेष्टा की गई है कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, वहां के अध्यापक, अपना-अपना शैक्षक प्रशासन, अपने नियमों के अनुसार जिनको वह स्वयं स्टेटयूट्स, आर्डिनेंसेज, रेगुलेशंस के द्वारा बनाये, उसके अनुसार सम्पन्न कर सके और वाइस-चांसलर को भी कोई ऐसी शक्ति न दी जाय कि जहां एक ओर से वाइस-चांसलर अवश्य ही शिक्षात्मक उन्नति केन्द्र बने, दूसरी ओर वह अनुशासनात्मक मनोवृत्ति के भी केंद्र बनकर एक प्रशासकीय दृष्टिकोण से सार्वभौम रूप से यूनिवर्सिटी के ऊपर छा जायं, यह भी हम नहीं चाहते। वाइस चांसलर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सा कार्य तो नहीं कर सकता और न उन्हें ऐसा शोभा देता है। वाइस-चांसलर के प्रशासन से हम

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

वह उम्मीद नहीं कर सकते जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के प्रशासन से करते हैं। वाइस-चांसलर अपने सरल व्यक्तित्व, अपने महान् व्यक्तित्व, अपनी शैक्षिक योग्यता से ही स्वतः विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों में अनुशासन स्थापित कर सकता है। वैधानिक अधिकारों के द्वारा वह उतना सफल नहीं हो सकता। हां, इमर्जेंसी की स्थिति में वाइस-चांसलर को अवश्य विधानतः शक्ति मिलनी चाहिये। तो इसलिये हमने इस विश्वविद्यालय में किसी असाधारण परिस्थिति में वाइस-चांसलर को ऐसी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार तो अवश्य दिया है, लेकिन वाइस-चांसलर्स डिसिप्लिनरी कमेटी को हमने कोई स्थान नहीं दिया है। इसके साथ ही साथ अध्यापकों के चुनाव के लिये सेलेक्शन कमेटी की व्यवस्था की गई है। ऐसी सेलेक्शन कमेटी जो परामर्शदात्री समिति के रूप में कार्य करेगी इस संबंध में हमने विश्वविद्यालय को ही अधिकार दिया है कि वह अपने परिनियमों द्वारा यह निश्चित करे कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों के छांटने का तरीका क्या होगा? हम अपनी ओर से निश्चित करना नहीं चाहते हैं कि इस तरह से टीचर्स को छांटना चाहिये क्योंकि यह विश्वविद्यालय का आंतरिक मामला है। विश्वविद्यालय की ऐकेडेमिक कौंसिल एक्जीक्यूटिव कौंसिल या कोर्ट स्टैच्यूट्स तथा आर्डीनेंसेज के अनुसार यह निश्चित करे कि किस तरह से वह अध्यापकों को छांटना चाहते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा निवेदन यह है कि आपका प्रस्ताव यह है कि कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ को तीन मास के के लिये जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय। इसमें मेरे मत से आपको इसकी आवश्यकता बतानी चाहिये कि यूनिवर्सिटी की आवश्यकता क्यों है? डिटेल्स में नहीं जाना चाहिये कि किस तरह से कोर्ट बनेगा, किस तरह से ऐकेडेमिक कौंसिल बनेगी आदि, मैं समझता हूं कि यह तो बाद की चीजें हैं। इस समय तो यूनिवर्सिटी की आवश्यकता को सिद्ध करना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि आपका भाषण अप्रासंगिक हो रहा है। इसलिये प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि शायद माननीय सदस्य एक नया बिल पेश कर रहे हैं इसलिये ज्यादा डिटेल्स में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सामान्य तौर पर इतने डिटेल्स में जाना नहीं चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से मिश्र जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमें कोई विधेयक जनमत संग्रह के लिये भेजना है तब भी हमें नियमों के अनुसार अधिकार है कि जब हम कोई प्रस्ताव करें तो सिद्धांत की चर्चा अवश्य कर दें। तो मैं केवल इस विधेयक में प्रस्तावित सिलेक्शन कमेटी का सिद्धांत बताना चाहता हूं क्योंकि जनमत को भी तो समझाने की आवश्यकता होती है ताकि वह हमारा मंतव्य समझ सके और किसी संभावित भ्रम का निवारण हो सके। सेलेक्शन आफ टीचर्स का जो सवाल है उसमें सिद्धांत की बात यह है कि यह "एकेडेमिक" सवाल है, विधायक प्रश्न नहीं है, इसलिये हमने विधेयक द्वारा इसकी व्यवस्था नहीं की है।

इसमें एक नई बात और सिद्धांत के रूप में रखी गई है, यह कि दूसरे अधिनियमों में सरकार को इस बात का अधिकार है कि किसी के ऊपर विश्वविद्यालय का कर्जा है तो सरकार कार्यवाही करेगी। किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वविद्यालय का रुपया बाकी है तो सरकार को कार्यशाही करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी एक तरह से इंटरफियरेंस है। इसलिये हमारे विधेयक में विश्वविद्यालय को शक्ति दी गई है कि जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वविद्यालय का रुपया बाकी है तो उसके ऊपर वह स्वतः कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकें।

संक्रमणकालीन उपबन्ध जो हमने इस विधेयक में रखे हैं उसमें विश्वविद्यालय कौन सी डिग्री माने, कौन सी उपाधियों को मान, इसका अधिकार हमने राज्य सरकार को नहीं

दिया है बल्कि चांसलर को दिया है। उनकी स्वीकृति से उन डिग्रियों को विश्वविद्यालय रिकगनाइज करेगा जिनको प्राप्त किये हुए छात्र विश्वविद्यालय में भर्ती होंगे। यह भी दूसरे विधेयकों से एक 'डिपार्चर' है। इसमें प्रस्ताव के अनुसार पहला टर्म वाइस चांसलर का एक साल का होगा। स्टेट्यूट्स का जहां तक सवाल है वह इस विधेयक के साथ होने चाहिये, यह बात सही है लेकिन चूंकि मेरा प्रस्ताव जनमत के हेतु इसको प्रसारित करने का था, इसलिये मेरा विचार था कि स्टेट्यूट्स बाद को हम सेलेक्ट कमेटी के सामने भी प्रस्तुत कर सकते हैं और बिल अन्त में जिस प्रकार पारित होने के हेतु यहां प्रस्तुत होगा उस समय जो फर्स्ट स्टेट्यूट्स होंगे उनको भी हम इस बिल के साथ नत्थी कर सकते हैं। इसीलिये फर्स्ट स्टेटयूट को हमने इस बिल के साथ नत्थी नहीं किया और इसको बाद के लिये छोड़ दिया ताकि हम या राज्य सरकार इन्हें प्रस्तावित कर सके। संक्षेप में इस विधेयक में इस बात की चेष्टा की गयी है कि अधिक से अधिक 'आटोनामी' यूनिवर्सिटी को हो। राज्य सरकार को भी यह अधिकार दिया गया है कि अगर कभी उसे मालूम हो कि यूनिवर्सिटी में बहुत बदइन्तजामी हो रही है तो उसकी इन्क्वायरी कर सकती है। जैसे आक्सफोर्ड में भी जब गड़बड़ी हुई तो 'आटोनामी' होते हुए भी वहां की ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया और एक कमीशन आफ इंक्वायरी बिठाया। तो अगर इस प्रकार की स्थिति आये तो मैंने इस बात का प्राविजन रखा है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय की जांच कर सकती है और उसको कुछ सुधार करने के लिये भी कह सकती है। वह राज्य सरकार का अधिकार सुरक्षित है ताकि जनता का कोई अहित विश्वविद्यालय का अति कुप्रबन्ध न कर सके। लेकिन इसके रहते हुए हमने इस बात की पूरी चेष्टा की है कि राज्य सरकार या ऐसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति यूनिवर्सिटी की अटोनामी में किसी प्रकार का कोई अवांछनीय दखल न दें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कहीं पर इस विधेयक में कुछ प्रकाशन की भी भूलें हैं और एक आध जगह कुछ पुनरावृत्ति भी हो गयी है। इन गलतियों को दुरुस्त करने का कार्य बाद में भी हो सकता है।

मैं इस बात को अत्यन्त आवश्यकता समझता हूं कि हम इस संबंध में सही जनमत प्राप्त कर सकें। इतना साधारण जनमत तो है ही कि इस यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। इस बारे में हम एक्सपर्ट्स की राय भी चाहते हैं और इस प्रांत के बाहर भी जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय चाहते हैं हम कुमायूं विश्वविद्यालय को एक आदर्श विश्व-विद्यालय बनाना चाहते है। इसलिये भी हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम एक्सपर्ट्स और ऐसे सभी लोगों से राय प्राप्त कर सकें जो शिक्षा से प्रेम रखते हों। इससे सरकार को भी मौका मिलता है कि वह इस बीच में अपनी नीति को निश्चय कर सकें। मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य सरकार को कोई भी आपत्ति इस विधेयक को जनमत के हेतु प्रसारित करने में न होगी। इसलिये मैं अपने इस प्रस्ताव को वांछनीय समझता हूं कि यह जनमत के हेतु प्रसारित किया जाय।

आखिर, श्रीमन, सभी लोगों ने कुमायूं की स्थिति को देखा है और मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन के अधिकतर सदस्य नैनीताल हो आये हैं और नैनीताल की विशेष स्थिति, वहां का वह रोमांचकारी वातावरण, वहां की प्रकृति का बिखरा हुआ सौन्दर्य और वहां की चोटियों से दृष्टिगत प्रकृति का वह मनोरम दृश्य सभी की निगाहों में अवश्य नाचता होगा और सभी यह चाहेंगे कि ऐसे सुन्दर और मनोरम स्थान में उन उच्च धवल शिखरों में, देवदार और चीड़ के ऊंचे पेड़ों के मध्य एक पुराने आश्रम के रूप में एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय जो हमारे उस प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और विद्यार्थी प्रकृति की गोद में बैठ कर शिक्षाध्ययन भी कर सकें। हमारे देश में विश्वविद्यालय कैसे स्थान पर स्थापित होने चाहिये इस संबंध में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सन् १९२४ में "विश्वभारती" जर्नल में एक लेख लिखा था। वह इस प्रकार है:—

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

"A most wonderful thing that we notice in India is that there the forest, not the town, is the fountain head of civilization. Wherever in India its earliest and most wonderful manifestations are noticed we find that there men have not come into so close contact as to be rolled or pushed into a compact body or mass or whole. There trees and plants, rivers and lakes, had an ample opportunity to live in close relationship with men. In these forests though there was human society, there was enough of open space or aloofness, there was no jostling. Still this aloofness did not produce an inertness in the Indian mind; on the other hand it rendered it all the brighter. It is the forest that has nurtured the great ancient sages, the Vedic and the Budhistic. Not only the Vedic rishis but Lord Buddha also preached in many woods of India. The Royal Palace has no room for him; it was the forest that took him into his lap. The current of civilization that flowed from the forest inundated the whole of India."

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो भारतवर्ष में सब से पहली बात यह है कि यहां की सभ्यता का मूल स्रोत यहां के वनों में है और यहां के वृक्ष, पौधे, नदियां, तालाब इन सबसे मनुष्य की उच्च शिक्षा का निकटतम सम्बन्ध रहा है। इसलिये कवि रवीन्द्र का कहना यह है कि हमारे भारत की नवीन सभ्यता का क्षेत्र भी हमारे एकान्तिक वनस्थलों में विकसित हो--- तपस्या और शैक्षिक उन्नति का जो महान् प्रांगण है---ये वही स्थल हैं जहां उच्च शिक्षा दी जानी चाहिये। यह सभी तत्त्व जो वांछनीय हैं नैनीताल में आज विद्यमान हैं। शहर भी नजदीक ही है और आज के वैज्ञानिक युग में यदि शहरों से निकट होना भी आवश्यक है तो वह सुविधा भी नैनीताल विश्वविद्यालय को प्राप्त होगी। वहां प्रकृति का एकाकीपन ऐसा प्राप्त है कि किसी जंगल में बैठ जायं तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहां से नैनीताल इतना नजदीक है या वही नैनीताल है और शहरों की सभ्यता जंगलों से इतनी नजदीक भी हो सकती है। प्रकृति और मानव का विलक्षण साहचर्य नैनीताल की विशेषता है। तो क्या मैं आशा करूं और इस आदरणीय सदन से यह विनीत प्रार्थना करूं और आज की राज्य सरकार से यह नम्र निवेदन करूं कि वे इस कुमायूं विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की महान् आवश्यकता की ओर ध्यान देने की कृपा करें। क्या मैं इस प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता के इस सदन में बैठे हुए जन-प्रतिनिधियों से यह कामना करूं कि वे मेरी इस भावना को निजी भावना नहीं समझेंगे, मेरे इस विचार को मेरे निज के विचार नहीं समझेंगे बल्कि इस विधेयक को उस क्षेत्र के और उस क्षेत्र के आस-पास रहने वाले लक्ष-लक्ष निवासियों की अनुभूतियों की प्रेरणा समझेंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे कि कुमायूं यूनिवर्सिटी खोले जाने की प्राथमिक आवश्यकता है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री नारायणदत्त जी से पूरी सहानुभूति रखता हूं और मेरा विश्वास है कि आज जो आवाज उन्होंने यहां उठाई है सम्भवतः अभी नहीं तो भविष्य में वह फलीभूत होगी और एक विश्वविद्यालय कुमायूं विश्वविद्यालय के रूप में नहीं तो इससे और विस्तृत हिमांचल विश्वविद्यालय जिसके अन्दर हमारे गढ़वाली जिले भी शामिल हैं हमारे प्रान्त में स्थापित हो। जहां तक उन्होंने कुमायूं की महत्ता और उसके सौन्दर्य का वर्णन किया है उसमें तो ज्यादा कहा ही नहीं जा सकता। हिमांचल प्रदेश और हमारे प्रदेश के वे भू-भाग जिससे गंगा निकलती हैं, उसमें हमारी प्राचीन संस्कृति की बहुत सी गाथायें भरी हुई हैं। उस क्षेत्र की पवित्रता के सम्बन्ध में भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

इस काल में भी कुमायूं और गढ़वाल ने अपने-अपने क्षेत्र में काफी ख्याति प्राप्त की है। कुमायूं से आप स्वयं आज इस सदन में उपाध्यक्ष हैं। कुमायूं ने आपकी जैसी विभूति, और माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त जी को जन्म दिया है, हमारे उत्साही नवयुवक और भावी नेता श्री नारायणदत्त जी भी उसी क्षेत्र से आये हैं। तो ऐसे क्षेत्र की महानता के बारे में तो किसी को शक नहीं हो सकता। मुझको जो शक हो रहा था और जैसा मैंने निवेदन किया वह वास्तविकता को देखते हुए निवेदन करूंगा और मैं आशा करता हूं कि मेरे जो विचार होंगे उनमें यह सदन ही नहीं बल्कि मेरे मित्र नारायणदत्त जी और कुमायूं के निवासी भी कोई गलतफहमी न करेंगे,।

मेरा यह ख्याल है कि इस प्रकार का विधेयक लाना संभवतः कुछ जल्दी का कार्य है। जैसा मैंने निवेदन किया मैं तो यह चाहता था कि वह इसको इतना संकुचित रूप न देते, जैसा उन्होंने दिया है। इस विधेयक का सम्बन्ध जिसमें एक विश्व-विद्यालय की स्थापना की बात है अगर जो हमारे और पर्वतीय जिले हैं उनसे भी होता, तो ज्यादा उचित होता, लेकिन अगर कुमायूं में भी किसी समय एक विश्वविद्यालय स्थापित हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रान्त उसका स्वागत करेगा और मैं स्वयं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन परिस्थिति वास्तविकता को प्रथक करके नहीं देखी जा सकती। आज हमारे प्रान्त में ५२ जिले हैं। हमारे प्रान्त में लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ़ और बनारस यूनिवर्सिटियां पहले की रेजीडेंशल यूनिवर्सिटियां हैं, आगरा यूनिवर्सिटी पांचवीं है और नये दो विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है। एक संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका विधेयक अभी हमने पास किया है और दूसरा गोरखपुर विश्वविद्यालय, इसके साथ-साथ श्रीमन्, हमारे प्रान्त में जनसंख्या काफी है। जहां तक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का सम्बन्ध है, अगर देखा जाय तो हमारे यहां विश्वविद्यालयों की और आवश्यकता है।

श्रीमन्, ग्रेट ब्रिटेन की आबादी लगभग ६ करोड़ की है और वहां जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या को देखते हुए हमारे प्रान्त में विश्वविद्यालय कम हैं। जैसा मैंने निवेदन किया हम तो चाहेंगे कि जल्दी ही वह दिन आ जाय जब हमारे यहां प्रत्येक जिले में विश्वविद्यालय स्थापित हो सकें। लेकिन मेरे ख्याल में अभी इसके लिये कुछ समय है और अभी उसके लिये हमें बहुत कुछ धन संग्रह करना है, बहुत कुछ अपने प्रान्त को बढ़ाना और विकसित करना है। जब यह स्थिति हमारे यहां हो जायगी तो उस समय विश्वविद्यालय भी हमारे यहां हर जिले में और प्रदेश में स्थापित हो जायंगे। इसलिये जहां तक श्री नारायणदत्त जी की कल्पना है, उनके भाव हैं, उनके विचार हैं, मैं उनका पूर्णरूपेण स्वागत करता हूं और मैं बहुत नम्रता से निवेदन करता हूं कि जिस विषय का सूत्रपात उन्होंने यहां इस सदन में किया है वह अवश्य ही भविष्य में फलीभूत होगा और यह जो बीज उन्होंने आज डाला है वह वृक्ष बनेगा और इसका श्रेय श्री नारायणदत्त जी को अवश्य मिलेगा, लेकिन मैं इसके साथ साथ निवेदन करूंगा कि अभी इसके लिये समय है और अभी श्री नारायणदत्त जी भी नवयुवक हैं। आगे भविष्य में उनके सामने लम्बा जीवन है और कम से कम जहां तक मेरा विचार है कि उन्हें अपनी प्रौढ़ अवस्था तक नहीं जाना पड़ेगा। उनके यौवनकाल ही में उनका स्वप्न फलीभूत हो जायगा। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, हमारे यहां ऐसे जिले हैं जिनकी मांग बहुत पहले से चल रही है। मेरी दाहिनी तरफ मेरे मित्र बैठे हैं वह शायद मेरठ या सहारनपुर की बात सोच रहे होंगे। कानपुर वालों की मांग बहुत पुरानी है। जहां तक पूर्वी जिलों का सम्बन्ध है, अभी तक उनके यहां केवल एक काशी विश्वविद्यालय है और जहां तक जनसंख्या का सम्बन्ध है, वह उस भू-भाग में ज्यादा है। आजमगढ़, बस्ती, देवरिया और गोंडा और बहराइच जो तराई से लगे हुए हैं, मुमकिन है उनकी मांग गोरखपुर से शान्त न हो। मांग की आवाज तो बढ़ती ही जायगी क्योंकि शिक्षा बढ़ रही है और उचित भी है। यूनिवर्सिटी की रूपरेखा जो आज रखी गई है उसमें संकेत है कि ५ या ६ हजार से ज्यादा विद्यार्थी एक एक विश्वविद्यालय में न हों, तो यह आवश्यक होगा कि और विश्वविद्यालय स्थापित हों। मेरा विचार है कि एफीलियेटेड कालेजेज की जो व्यवस्था हमारे यहां

[श्री शिवनाथ काटजू]

आज चल रही है वह एक पूर्ति का लक्ष्य नहीं है। इस समय हम डिग्री कालेजों को यूनिवर्सिटी का रूप नहीं दे सकते हैं। लेकिन यही कालेजेज आगे चल कर विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर सकते हैं। इस वक्त जो प्रश्न हमारे मित्र ने रखा है कि इस विधेयक को सरक्यूलेट किया जाय, वह कहां तक उचित है? मैं निवेदन करूंगा कि जहां हमें कुमायूं से प्रेम है और पर्वतीय क्षेत्रों के लिये सम्मान है, वहां आजकल की स्थिति ऐसी नहीं है कि इस विधेयक को इस समय सक्यूंलेट किया जाय। हमारे पास रुपया नहीं है। आप देखेंगे कि जितनी मांगें बढ़ रही हैं उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो मांग को और बढ़ाना, मैं आगे की नहीं कह रहा हूं, आज कहां तक उचित है, इस पर मेरे मित्र नारायणदत्त जी और इस सदन के सदस्य विचार करेंगे। उसके साथ-साथ अगली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा भी हमारे सामने आ गयी है। उसमें भी कुमायूं विश्वविद्यालय के लिये कोई धनराशि फिलहाल नहीं रखी गई है। ऐसी अवस्था में अगर इस विधेयक को घुमाया गया तो मेरा ख्याल है कि उसका कोई ज्यादा नतीजा नहीं निकलेगा। इस वास्तविकता को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय नारायणदत्त जी अपने इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करें और सम्भवतः वह मान जावेंगे कि जहां उनका विचार सुन्दर है, पवित्र है और उचित है लेकिन वक्त का तकाजा यह है कि वह जरा थोड़े सब्र से काम लें। सब्र का फल भी मीठा होता है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अभी नहीं तो आगे चल कर उनकी मांग यह सदन अवश्य स्वीकार करेगा। लेकिन आजकल जैसा मैंने निवेदन किया कि आर्थिक कष्ट से हमारा प्रान्त ही नहीं परन्तु सारा देश पीड़ित है और यदि कोई दूसरा टैक्स लगाने की बात होगी तो सबसे पहले माननीय नारायण दत्त जी ही उसका विरोध करेंगे। सदन में ही वे इस प्रकार की बात न कहेंगे बल्कि नगर नगर में हड़ताल करायेंगे, फिर हम जनता को कैसे कहेंगे कि माननीय नारायणदत्त जी को संतुष्ट करने के लिये ही यह सब किया गया है। उल्टा उस समय तो यही कहा जायगा कि यह सरकार नये नये टैक्स लगा रही है, फिजूल का खर्चा कर रही है, जनता के ऊपर नये नये बोझ डाले जा रही है और इस प्रकार से सारा दोष श्रीमन् हमारे ऊपर लादा जायगा। उस समय नारायणदत्त जी यह कहने नहीं आयेंगे कि स्ट्राइक करना उचित नहीं है। उस समय तो वे ही आगे आकर आग में घी और तेल डालेंगे।

श्रीमन् मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आज आर्थिक कष्ट है और हम ऐसी अवस्था में हैं कि नये टैक्स नहीं लगा सकते। अतः मेरा निवेदन यह है कि समय उपयुक्त नहीं है, वैसे मैं उनके विचारों से सहमत हूं। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि कुमायूं में यह न कहा जाय कि इस सदन के किसी सदस्य ने कुमायूं के नवयुवकों की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। मैं उनके विचारों से पूर्ण रूपेण सहमत हूं, उनका विरोध नहीं कर रहा हूं केवल यह कह रहा हूं कि उनकी जो मांग है वह समयोचित नहीं है। यदि भविष्य में वे इस बिल को लायेंगे तो शीघ्र ही उनको सफलता प्राप्त होगी। इन शब्दों के साथ मैं बड़े दुःख के साथ माननीय नारायणदत्त जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जो शिक्षा पर वास्तव में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध डालना पसन्द नहीं करते। मैं शिक्षा को अफीम या शराब नहीं समझता कि उसको रोका जाय, बल्कि मैं तो इस पक्ष का हूं कि उसको जितना ही बढ़ाया जाय उतना ही अच्छा है। नारायणदत्त जी ने जो यह प्रस्ताव रक्खा है, जैसा कि हमारे माननीय मित्र काटजू साहब ने कहा कि मैं भी उनसे पूर्णतः सहमत हूं, उनसे पूरी सहानुभूति मुझे है, मैं भी उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं, उनकी कामनायें शीघ्र ही फलीभूत हों, ऐसा मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं और उनके प्रति अपनी शुभकामनायें प्रकट करता हूं। किन्तु ध्यान से देखने से मुझे कुछ ऐसा लगा कि नारायणदत्त जी के इस प्रस्ताव में जवानी का जोश है लेकिन बुढ़ापे का होश नहीं है, जिसके कारण उन्हें उतावली हुई और यह प्रस्ताव लाये।

अगर नारायणदत्त जी इस प्रस्ताव को न लाये होते दूसरा कोई लाया होता तो मैं दूसरा ही अर्थ उसका लगाता और अपनी दूसरी ही राय उसके लिये कायम करता और वह यह कि इसमें एलेक्शन स्टण्ट है—अर्थात् चुनाव के समय में कोई ऐसा प्रस्ताव लाना जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए संभव नहीं है, जिसके औचित्य को मानते हुए भी पैसे की तंगी के कारण उनको न माना जाना लाजिम हो जाय तो उसके बारे में यह कहा जायगा कि कांग्रेस के पक्ष वालों ने इसका विरोध किया तो उस पार्टी को ऐक्सपोज करके यह एक इलेक्शन स्टंट खड़ा किया जा रहा है। यदि माननीय नारायण दत्त जी ने इस प्रस्ताव को न रक्खा होता तो मैं यही राय कायम करता और यह इल्जाम लगाता लेकिन माननीय नारायण दत्त जी पर यह इल्जाम नहीं लगाया जा सकता।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह बात श्री नारायणदत्त जी के हक में है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो जनमत संग्रह की बात आपने कही है कि इसको जनमत के लिये प्रचारित किया जाय, मैं समझता हूं कि जनमत का निर्णय आपके विपक्ष में जायगा, आपके विरुद्ध जायगा। वह क्यों? इसलिये कि इसके पहले मैं जानता हूं कि कुमायूं की तरफ के लोग तो अवश्य इसका समर्थन करेंगे और चाहेंगे लेकिन इसके पहले भी कई जगह से जैसा कि काटजू साहब ने बतलाया कि कानपुर है, मेरठ है, बुन्देलखंड की भी आवाज है और जिसका समर्थन स्वयं नारायण दत्त जी भी कर रहे हैं, तो वहां के लोग यह कहेंगे कि हमारे यहां पहले यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिये। इस वास्ते कुमायूं की बात का सिद्धान्ततः कोई विरोध नहीं करेगा लेकिन वे यह कहेंगे कि पहले हमारी मांग है इसलिये पहले उसको मंजूर होना चाहिये और इस तरह से कुमायूं डिवीजन की जो मांग है उसका परोक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष तरीके से विरोध हो जायगा। इसलिये श्री नारायणदत्त जी के हक में यह बात नहीं जायगी। मैं उनको सलाह दूंगा कि वे इस वक्त इसको वापस ले लें और अपनी कामना को, अपनी भावना को थोड़े दिनों तक रोक रखें, दबायें रखें और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैदान के लोग हिमालय पर्वत के और कुमायूं डिवीजन के इतने ऋणी हैं कि अगर वहां के लोगों के हित की कोई बात हो तो वे उसका विरोध करने की कृतघ्नता नहीं कर सकते हैं। हम गंगा यमुना से पुनीत होते हैं, पवित्र होते हैं, वहां के जल से हम जिंदा रहते हैं। हिमालय के, हम मैदान के रहने वाले इतने बड़े ऋणी हैं कि, हिमालय वालों के किसी हित की बात के विरुद्ध हम कोई आवाज उठावें, तो इससे बढ़ कर कोई भयंकर कृतघ्नता नहीं हो सकती है। इसलिये मैं स्पष्ट बतला देना चाहता हूं कि मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, केवल यह बतला देना चाहता हूं कि "नीकी हूं फीकी लगे, बिन अवसर की बात" थोड़ा समय से पहले होने के कारण इस समय यह सम्भव नहीं है, जैसा कि काटजू साहब ने बतलाया कि पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कुछ नहीं रखा गया है और यहां हम एक नयी मांग पैदा कर देंगे तो जनता में एक बुद्धिविभ्रम पैदा हो सकता है। जनता तो कहेगी ही, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो शिक्षा के लिये उसकी सीमा बांधे, या शिक्षा के विस्तार का कोई विरोध करे। एक तरफ यह भी हो सकता है कि हम इसका समर्थन करें, लोग इस मांग की ताईद करें और इधर सरकार के पास, यानी जनता के पास पैसा नहीं हो। जो पैसा है उसमें भी प्रायरिटी देनी पड़ती है, जैसे अन्न है, वस्त्र है, सड़कें हैं जिनके लिये प्राथमिकता देनी पड़ती है। एक परिवार में जैसी व्यवस्था हो सकती है वैसी ही सरकार भी एक परिवार ही तो है, वहां भी वह उसी तरह से व्यवस्था करती है। यदि एक परिवार में अन्न की कमी है, वस्त्र की कमी है और शिक्षा की भी कमी है तो उन तीनों चीजों में परिवार का जो पिता होगा वह किसको प्रायरिटी देना पसन्द करेगा? पहले वह यही कहेगा कि अन्न मिलना चाहिये ताकि पेट भर सके, उसके बाद कपड़ा पहनना आवश्यक है और आखीर में जाकर पढ़ने लिखने की चर्चा हो सकती है, क्योंकि खाने और पहनने के बाद ही शिक्षा की बात सूझ सकती है। इस दृष्टि से भी देखा जाय तो इसका स्थान पीछे हो जाता है। इसलिये मैं उस प्रस्ताव का विरोध न करते हुए बल्कि इसकी भावना की कद्र करते हुए केवल इतनी ही सलाह नारायणदत्त तिवारी जी को दूंगा कि वे थोड़ा सब्र करें और अपने इस प्रस्ताव को वापस

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

ले ले, और जनमत संग्रह के लिये जो उनका प्रस्ताव है उसको वे रोक रखें। इन शब्दों के साथ मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं कि इस प्रकार अगर देखा जाय तो इन चार जिलों की आबादी २२ लाख होती है और हमारे प्रदेश की आबादी करीब-करीब साढ़े ६ करोड़ है। तो इस हिसाब से ३० यूनिवर्सिटीज कम से कम हमारे यहां होनी चाहियें। उस हिसाब से तो मैं उसका विरोधी नहीं हूं, यहां ३० यूनिवर्सिटी अगर हो सकें तो हो जायं। अगर हममें सम्पन्नता है, शक्ति है और क्षमता है तो ३० क्या हर जिले में विश्वविद्यालय हो सकते हैं, मैं उसका विरोधी नहीं हूं लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि "तेतो पैर पसारिए, जैतो लम्बी सौर"। इस दृष्टान्त के अनुसार मैं माननीय नारायणदत्त जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अभी अपने प्रस्ताव को वापस ले लें, वह अभी असामयिक है और इस कारण से इस समय मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो सदा से ही शिक्षा के प्रसार में अभिरुचि रही है और मुझे आज प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में शिक्षा के प्रसार के लिये कोई योजना बनाई जाती है और जब मैंने पिछली बार यहीं पर डिग्री कालेजेज के लिए प्रस्ताव रखा था तो सरकार ने उसके उत्तर में कहा था कि अभी उसके पास रुपया नहीं है। आज हमारे आदरणीय सदस्य माननीय काटजू साहब ने कहा कि वैसे तो हर जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनका यह विचार तो अच्छा है लेकिन वह अभी व्यावहारिक है या नहीं यह दूसरी बात है। मैं समझता हूं कि जब विश्वविद्यालय की बात आई है तो यहां हर जिले के लिए यह आवश्यक है कि महाविद्यालय खोले जायं और पर्वतीय प्रदेश के लिये तो बहुत ही आवश्यक है कि वहां शिक्षा का कोई विशेष प्रबन्ध शीघ्रातिशीघ्र किया जाय।

अब रहा यह कि पंचवर्षीय योजना में उसकी चर्चा है या नहीं उसके लिए तो मैं समझता हूं कि अगले पांच वर्षों में बहुत सी ऐसी बातें आ सकती हैं कि जिनकी आगे आवश्यकता हो और उन पर पहले उस वक्त विचार न किया गया हो, उन पर भी आगे विचार होना चाहिये और उनके लिए भी कोई न कोई उपाय निकालना चाहिए और इस तरह वे पंचवर्षीय योजना में और संशोधन किया जाय और जोड़ा जाय और साथ ही यह भी विचार करने की बात है कि जब हमारे मैदानी क्षेत्रों में इतने विश्वविद्यालय खुलते जाते हैं तो फिर क्या कारण है कि पार्वत्य क्षेत्र में कोई उचित शिक्षा का प्रबन्ध न हो। वहां की उत्तम जलवायु है, शिक्षा के लिए अच्छा वातावरण है और जब कि प्राचीन ऋषियों के आदर्शों को लेकर एक विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है जिसके लिए पार्वत्य प्रदेश बहुत उत्तम है तो वहां विश्वविद्यालय खोलने का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार समझती है और उसकी नीति ऐसी है कि वह समझती है कि उसके पास पैसे की कमी है और जैसा कि कहा जाता है कि आजकल टैक्स भी लगाना ठीक नहीं है। ऐसी हालत में यह हो सकता है कि सरकार अपनी तमाम योजनाओं पर फिर से विचार करे और इस विश्वविद्यालय के लिए यदि कोई पैसे का प्रबन्ध हो सके तो वह करे और इस तरह से पार्वत्य प्रदेश के लोग सन्तुष्ट हो सकते हैं। चुनाव आने वाले हैं, मैं चुनाव की बात नहीं कहता, सम्भव है बहुत से सदस्य समझें कि यह उन्हीं के लिए किया जा रहा है लेकिन जो सत्य है या न्याय है वह सदा होना चाहिये, चाहे चुनाव हों या न हों, हमें इस विषय पर निष्पक्ष होकर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में वहां आवश्यकता है या नहीं है। आज हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में २ राजधानियां हैं एक लखनऊ और दूसरी नैनीताल और नैनीताल में जाकर हमारे मंत्री महोदय बड़े-बड़े मामलों पर विचार करते हैं, वहां उनको शीत वातावरण मिलता है और तमाम तरह का अपनी योजनाओं पर विचार करने का अवसर मिलता है और अंग्रेजों ने इसीलिए वहां पर नैनीताल को राजधानी को बनाया था लेकिन दुःख है कि अभी तक उस

पर्वतीय प्रदेश में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, वहां के विद्यार्थियों को इधर आने-जाने में बहुत असुविधा और व्यय करना पड़ता है, हम लोग तो जहां चाहे जाते हैं लेकिन वहां के बेचारे छात्रों को बड़ी कठिनाई दूसरी जगह जाने में होती है और बहुत से व्यय के कारण जा ही नहीं पाते हैं और वहां के विद्यार्थी लखनऊ, आगरा, काशी आदि विश्वविद्यालय में आकर कष्ट उठाते हैं और न मालूम धन आदि के क्या-क्या प्रश्न उनके सामने आकर उपस्थित हो जाते हैं। वहां पर इस समय देश के रत्न और नेता हैं और वहां पर एक विश्व-विद्यालय तक नहीं बनाया। मैं समझता हूं कि यह हमारी बहुत बड़ी कमी है। उसकी पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिये। इस प्रकार वहां पर जाने से, वहां पर रहने से लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और फिर और कार्यों में भी अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्। मैं तो यह समझता हूं जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने, श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने, पहले ही अपने भाषण में समझा है, प्रकाश डाला है, उसमें तो मेरी समझ में यही आया है सुनते-सुनते कि वह इतना उपयुक्त स्थान है और इतनी अधिक वहां आवश्यकता है और उस पर मैं यह समझता था कि कोई विवाद भी नहीं होगा और बहुत जल्दी यह मान लिया जायगा और मान कर आगे के जो प्रस्ताव हैं सूची में उन्हें भी अवसर मिलेगा क्योंकि वे भी बड़े सामयिक और आवश्यक हैं। लेकिन मैं आश्चर्य चकित हो रहा हूं कि इसे जनमत के लिये भेजने पर भी, विचार करने पर भी यह हो रहा है कि प्रस्ताव तो बड़ा उत्तम है, फिर किसी न किसी दिन पूरा होगा।

आज पार्वतीय प्रदेश में शिक्षा के प्रसार में वहां पर यह योजना स्थगित नहीं करना चाहिये और उसके लिये शीघ्र से शीघ्र प्रबन्ध करना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसा कोई उपाय किया जायगा। यदि प्रत्येक जिले में विश्वविद्यालय नहीं डिग्री कालेज खोलना भी बहुत बड़ी बात है लेकिन जैसा मैं समझता हूं इस संकल्प के सम्बन्ध में मुझे आश्चर्य हो रहा है जब उसके ऊपर इतनी भी सरकार के पास गुंजाइश नहीं है। यह सोचना कि और जिले वाले गोंडा और बहराइच वाले भी मांग करेंगे और दूसरे स्थान वाले मांग करेंगे तो मांग करें—विद्या का जितना प्रसार हो उतना ही अच्छा है लेकिन यह जो प्रस्ताव आया है कि कुमायूं के लिये या पर्वतीय प्रदेश के लिये जहां इतनी आवश्यकता हो वहां उसके लिये इतना संकोच करना— यह कहना कि सामयिक नहीं, उचित नहीं है। पता नहीं फिर वह दिन कब आयेगा जब पार्वतीय प्रदेश के ऊपर ध्यान दिया जायगा। हमारे इस प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिये यह जरूर किया जाना चाहिये कि वहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। मैं समझता हूं कि इस पर अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बैठे-बैठे मैं देख यह रहा था, यहां पर सोचता यह था कि माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं वे इसका समर्थन करेंगे लेकिन समर्थन करते हुए भी, भावनाओं का आदर करते हुए भी, उनसे सहमत होते हुए भी उसे असामयिक समझ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि क्या आज तक पर्वतीय प्रदेश के ऊपर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी? इतने दिनों से पर्वतीय प्रदेश हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और वहां पर जाने से, वहां के जलवायु से कितना लाभ होता है, कितना शान्त वातावरण मिलता है। इसलिये यह सोचता हूं कि वहां पर पठन-पाठन का उत्तम प्रबन्ध किया जाय तो मेरी समझ में यह कोई असामयिक नहीं है। मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव यहां रक्खा गया है वह बिल्कुल सामयिक है और उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य और जिन भावनाओं को लेकर माननीय तिवारी जी ने इस कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक को इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसका आदर करता हूं और उससे मेरी पूरी सहानुभूति है। मेरे साथी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में अपने इस प्रस्ताव की वकालत भी की। मैं यह भी ठीक ही समझता हूं कि एक नुमाइन्दे की हैसियत से अपने क्षेत्र की आवश्य-

[श्री नवलकिशोर]

कतओं के ऊपर वे जो वहां की जनता की मांग है उसकी तरफ उन्होंने सरकारी पक्ष का ध्यान आकर्षित किया है, यह भी उचित है। मगर मैं अपने उन साथियों के साथ सहमत हूं कि इस समय इस प्रस्ताव का इस सदन में प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं था। स्वयं उन्होंने इस बात को माना कि हमारे इस प्रदेश के अन्दर ६ विश्वविद्यालय हैं और दो और नये विश्वविद्यालयों की स्थापना होने जा रही है। फिर यह बात तो स्पष्ट हो गई कि जहां तक शिक्षा के एक्सपेंशन का सवाल है, इसके लिये विश्वविद्यालय बनाने का सवाल है यह प्रदेश और इस प्रदेश की सरकार उस तरफ अग्रसर हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि संसार के दूसरे देशों में कितने फी सदी आदमियों के ऊपर कितने विश्वविद्यालय होते हैं। उचित है, हम भी यह चाहते हैं कि हमारे देश में भी और विशेषकर हमारे प्रदेश में उतनी ही तेजी के साथ हम आगे बढ़ सकें, बल्कि हम उससे भी आगे बढ़कर उससे भी कम तादाद पर विश्वविद्यालय स्थापित कर सकें, तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको जकड़े हुए हैं वह है हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति। हम जानते हैं कि आगामी साल के लिए हमने अपनी एक योजना बनायी है, उस योजना में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के अन्दर हमको कितना काम करना है, उसके जो ध्येय हैं, टारगेट्स हैं वह सब निश्चित हैं। हमारे सामने यह भी एक समस्या है कि जितने हमारे सामने टार्गेट्स हैं उन्हीं को यदि हम पूर्णरूपेण कामयाबी के साथ पूरा कर सकें तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी।

हमारे सामने एक आर्थिक सीमा है जो कि हमको बांधे हुए है और इसके साथ-साथ हम यह भी जानते हैं और उन्होंने स्वयं भी इस बात को माना कि सरकार ने दो नये विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही है। एक गोरखपुर में और दूसरा बनारस के अन्दर संस्कृत विश्वविद्यालय। मैं यह समझता हूं कि यह भी एक बड़ा कमिटमेंट है। इसमें भी बहुत बड़े धन की आवश्यकता पड़ेगी और यदि इन पांच सालों के अन्दर यह दोनों विश्वविद्यालय मजबूत बुनियाद पर खड़े हो सकें तो मैं समझता हूं कि इन पांच सालों के लिए इतना ही काफी होगा। यही नहीं, जहां तक यूनिवर्सिटी का सवाल है तिवारी जी ने खुद भी माना है कि सरकार के पास कई क्षेत्रों से इस तरह की मांगें आ रही हैं। मैं आज या कल के अखबार में पढ़ रहा था कि आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भटनागर जी ने डी० ए० वी० कालेज की मैनेजिंग कमेटी में कहा कि कानपुर में कालेजों की इतनी ज्यादा संख्या है उसको देखते हुए यदि उत्तर प्रदेश में कोई नया विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं तो कानपुर के डी० ए० वी० कालेज को विश्वविद्यालय के रूप में परिणत कर देना चाहिये। मैं यह भी जानता हूं कि हमारे मेरठ के साथी, जिसमें इस असेम्बली के भी मेम्बर हैं और वहां की आम जनता, वहां के टीचर्स और प्रिंसिपल्स भी इस बात के लिए आज से नहीं कई साल से कोशिश कर रहे हैं कि मेरठ के अन्दर एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। यदि हम विद्यार्थियों की संख्या पर ध्यान दें तो मेरा ऐसा विश्वास है कि नैनीताल से पहले हमको मेरठ और कानपुर के अन्दर विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी। हमारे एक साथी कह रहे हैं, आगरा को मत भूल जाइये। आगरा को भूलने का सवाल इसलिए नहीं है कि आगरा में खुद इतना बड़ा विश्वविद्यालय है जिसका जुरिस्डिक्शन इस प्रदेश में ही नहीं, इस प्रदेश के बाहर और प्रदेशों में भी फैला हुआ है। फिर भी मैं उनसे सहमत हूं कि आगरा में भी ऐसे बड़े कालेज हैं जिनको रेजीडेंशल और यूनिटरी यूनिवर्सिटी में शायद तब्दील करना पड़े। तो जहां तक क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी का सवाल है, हमें तय करना पड़ेगा कि किसको पहले और किसको बाद में ले तो पहले कानपुर और मेरठ और जैसा कि चतुर्वेदी जी कहते हैं, आगरा का भी उसमें नाम आता है, पहले वहां रखना पड़ेगा। मैं इस प्रश्न में और अधिक जाना नहीं चाहता, मैं केवल इतना संकेत करना चाहता हूं कि हमको यह भी याद रखना चाहिये कि हमारे प्रदेश में आमतौर से डिग्री कालेज सरकारी नहीं होते थे। एक हमको रामपुर में

खोलना पड़ा और एक वाराणसी में खोलना पड़ा और तीसरा नैनीताल में। पहले दो में उनकी विशेष स्थिति यह थी कि दोनों स्टेट्स जब हमारे इस प्रदेश में मर्ज हुई तो उसमें जो-जो कंडीशंस थीं, हमारे कमिटमेंट्स थे उसके मुताबिक करना पड़ा। सरकार ने नैनीताल में खास तौर से पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर शिक्षा का प्रसार हो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की कि वहां पर एक अच्छा शानदार डिग्री कालेज बनाया जाय और जैसा कि माननीय पन्त जी ने संकेत किया वहां के एक बड़े प्रतिष्ठित सज्जन विष्ट जी ने उसे कई लाख रुपया दान में दिया और फिर वहां पर एक गवर्नमेंट डिग्री कालेज की स्थापना हुई। मेरी अपनी मालूमात यह है कि उस कालेज में भी जितने विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं है। मेरे साथी यह न समझें कि मैं यह सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कोई विशेष आपत्ति है, वहां विश्वविद्यालय बनाने में। मैं तो एक कुमायूं की बात नहीं कहता अगर मेरा बस चले और पैसा इस प्रदेश के अन्दर हो तो मैं तो यह कहूं कि एक नैनीताल में खोल दिया जाय और एक अल्मोड़ा में भी खोल दिया जाय और यही नहीं आगे चल कर गढ़वाल के लिए भी एक विश्वविद्यालय खोल दिया जाय क्योंकि मेरा विश्वास है कि नैनीताल में जो विश्वविद्यालय होगा उससे गढ़वाल के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला नहीं है। आपको अल्टीमेटली गढ़वाल के लिए दूसरा विश्वविद्यालय खोलना पड़ेगा। मगर दिक्कत जो हमारे सामने है वह सब से बड़ी पैसे की है। यह भी तिवारी जी ने बताया कि सांस्कृतिक आधार के ऊपर और प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से भी आवश्यक है कि वहां पर एक विश्वविद्यालय हो। जहां तक संस्कृति की बात है मैं यह नहीं मानता कि वहां की संस्कृति कोई भिन्न है और मुझे तो तिवारी जी में और अपने में कोई भिन्नता दिखाई नहीं पड़ती। जहां तक सौन्दर्य की बात है यह सही है कि वहां काफी सौन्दर्य है और जो वहां के हमारे साथी आते हैं उनमें भी काफी सौन्दर्य है। तो वहां पर जो डिग्री कालेज है उसमें छात्रों की संख्या बढ़ा कर जो यह दोनों ध्येय हैं उनकी पूर्ति इससे भी हो सकती है।

एक बात यह कही गयी कि वहां की आबादी का कितना प्रतिशत पढ़ा लिखा तबका है? सही बात है कि हमारे पहाड़ में लिटरेसी की फिगर बहुत कम है। हमारे यहां और भी क्षेत्र हैं जहां इस तरह की चीज है। मेरे साथी ग्रामवासी जी ने बहुत सी बातें कहीं, लेकिन अपने क्षेत्र की बात उन्होंने नहीं कही वह एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि जहां लिटरेसी की फिगर्स शायद पहाड़ों से भी बहुत कम है और मान्यवर, मैं तो यह चाहता हूं कि इस प्रदेश की जो सरकार है अगर वह विश्वविद्यालय बनाये तो जहां वह और विश्वविद्यालय बनाये वहां एक विश्वविद्यालय दुद्धी में भी उसको बनाना चाहिए क्योंकि वहां भी गरीब लोग हैं और वे पढ़े लिखे हैं और मैं समझता हूं कि हमारे साथी ग्रामवासी जी भी इससे सहमत होंगे।

एक बात और है। जब हम इस बात को मानते हैं कि शिक्षा बढ़नी चाहिए, जब हम इस बात को मानते हैं कि डिग्री कालेजेज बढ़ने चाहिये, वहां हमारे सभी साथी इस बात को भी मानते हैं कि मौजूदा जो एजूकेशन का पैटर्न है वह ठीक नहीं है और इसलिये जब कभी शिक्षा के ऊपर इस भवन में वादविवाद होता है तो यह बात कही जाती है कि हमारा सिस्टम आफ एजूकेशन गलत है, यूनिवर्सिटी का सिस्टम गलत है। तो आज यह बात भी सोचने की है कि हम विश्वविद्यालयों को तो बढ़ाते चले जायं और एजूकेशन के पैटर्न पर हम कंसेन्ट्रेट न करें, उसकी बाबत कोई चीज न सोचें, तो यह कहां तक उचित होगा। सोचना यह है कि पहले हम कोई अच्छा पैटर्न बनायें उसके बाद यूनिवर्सिटी हमारे प्रदेश में बनाई जायं। दो विश्वविद्यालय अभी बनाये गए इसी भवन के द्वारा। उनके ऊपर मैं कोई बात कहना नहीं चाहता, ठीक ही हुआ। मगर उसमें भी मैंने देखा कि जो मौजूदा पैटर्न है यूनिवर्सिटीज का उसी के अनुसार उनका भी पैटर्न बनने जा रहा है। माननीय तिवारी जी

[श्री नवलकिशोर]

ने अपना जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कुछ इधर भी संकेत किया कि शायद पैटर्न के मामले में भी वह इसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां करना चाहते हैं, नयी चीज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय ऐसा होगा जिसमें अर्बन और रूरल ग्रामीण और शहरी दोनों का मिश्रित पैटर्न होगा। शहरों और ग्रामों का एक कामन पैटर्न या ज्वाइंट पैटर्न जैसी चीज होगी। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें उन्होंने रखी हैं उनके डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता हूं। सब से बड़ी दलील मेरी इस बात की है कि यह असामयिक है। स्वयं तिवारी जी ने जो अपना संकल्प पेश किया है उसको जनमत संग्रह के लिये भेजने के लिए किया है और तीन मास का समय रखा है। जो वस्तुस्थिति है उससे हम जानते हैं कि जो तीन मास का समय रखा है उसके बाद जब कभी रिपोर्ट जायगी उसके कार्यान्वित करने में काफी समय लग जायगा तो यह सही है कि इस समय इस विधेयक का केवल इतना आशय पूरा हो सकता है कि भवन और सरकार का ध्यान आकर्षित हो जाय। लेकिन जहां तक विश्वविद्यालय की स्थापना का सम्बन्ध है, वह अभी सम्भव नहीं है। कुछ भाइयों ने चुनाव प्रचार की तरफ भी संकेत किया है कि उसके पीछे कोई वैसी बात हो सकती है, उसके लिये मैं कुछ नहीं कहता और न मैं ऐसी आशा ही करता हूं कि तिवारी जी की धारणा ऐसी हो सकती है।

उन्होंने यह भी बतलाया कि वाइस चांसलर कैसा होगा और चांसलर कैसा होगा। जब यह चीज होगी उस समय हमें सोचना पड़ेगा कि कौन होगा लेकिन अभी तो यह चीज नहीं हो रही है। मैं माननीय तिवारी जी से यह कहूंगा और अधिक न कह कर कि आपका बड़ा अच्छा उद्देश्य है और जैसा और साथियों ने कहा है कि भवन को आपके उद्देश्य से सहानुभूति है और मैं इस समय उसके विरोध में यह बात कह कर कि वह स्थान उपयुक्त नहीं है, वहां सुविधा नहीं है, वहां जो विद्यार्थी जायंगे उनका खर्चा बहुत पड़ जायगा, उनकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। अभी तो मैं केवल इसी बात पर सीमित रहना चाहता हूं कि इस विद्यालय का जो प्रश्न है वह उपयुक्त है या नहीं। मैं उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। उनकी भावना बड़ी सुन्दर है और उनका उद्देश्य भी बड़ा अच्छा है और हम तो उनसे एक कदम आगे जाना चाहते हैं और वह यह है कि उन्होंने कहा है कि आबादी के अनुपात से उनके क्षेत्र की आबादी २२ लाख है और एक विश्वविद्यालय की मांग की है। हम चाहते हैं कि दस लाख की आबादी पर ही यदि बन सके तो बहुत ही अच्छी बात है और यदि हर जगह विश्वविद्यालय हो सकेंगे तब बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन हम जिस स्थिति में हैं और जो हमारे कमिटमेंट्स हैं वह हम समझते हैं कि पांच साल के लिये काफी हैं। इसलिये जब स्थिति अच्छी हो और फंड्स बढ़ जायं, उसके बाद अगर इस किस्म का कोई संकल्प आये तो उस समय जो भी सरकार होगी या नुमायन्दे होंगे, वह उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकेंगे। मुझे आशा है तिवारी जी इस समय इसको प्रेस नहीं करेंगे।

*श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, जो विधेयक तथा प्रस्ताव माननीय नारायणदत्त जी ने इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस सदन में जितने माननीय सदस्यों ने भाषण दिये, मैंने उनको बड़े गौर से सुना। सभी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कुमायूं में एक विश्वविद्यालय बन जाय लेकिन अन्ततोगत्वा सब ने इसका घोर विरोध किया। यह सब जनता में करें तो जनता समझ सकती है। लेकिन यहां तो सभी राजनीति के अखाड़े में रहने वाले हैं। अगर अपने दिल की भावना किसी तरह से तोड़-मरोड़ कर कहा गया तो सब समझ जायेंगे। माननीय ब्रजभूषण जी ने खूब इसकी तारीफ की, लेकिन सारा विरोध जितना भी उनके दिल में था वह किया ताकि किसी तरह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से वहां विश्वविद्यालय बनने न पावे। उन्होंने यह आर्गूमेंट दिया कि अगर वहां बन गया तो मेरठ वाले भी हल्ला करेंगे। उन्होंने सारा मामला इस तरह से खड़ा किया कि यह कोई न कहे कि वह विरोध कर रहे हैं और विरोध भी कर दिया। मैं तो कहूंगा कि बड़ी होशियारी से विरोध किया।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आप समर्थन करें।

श्री जगन्नाथमल्ल—मैं तो समर्थन कर ही रहा हूं। माननीय काटजू साहब शायद जानकारी न होने की वजह से यह समझते हैं कि कुमायूं में गढ़वाल है ही नहीं।

श्री शिवनाथ काटजू—मैंने कब कहा? मैंने तो यह नहीं कहा।

श्री जगन्नाथमल्ल—अगर अब आपको जानकारी हो गयी तो मुझे बड़ी खुशी है। बहुत सी बातें कही गयीं पहाड़ के बार में। आखिर पहाड़ी तो वे भी हैं। किसी न किसी पहाड़ के हिस्से से वे भी आते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि पहाड़ के लोग तो समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहां किया?

श्री शिवनारायण—वह तो काश्मीर के पहाड़ से आये हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल—हैं तो पहाड़ी ही। और श्रीमन्, एक बात सुन कर मुझे बड़ी खुशी हुई। कहा आपने यह कि हिमांचल यूनिवर्सिटी बने, पूरे पहाड़ की। श्रीमन्, इस पर मुझे एक किस्सा याद आया। दो शंख थे, एक छोटा शंख और एक बड़ा शंख। छोटे शंख की खूबी यह थी कि पूजा करके जो कुछ उससे मांगा जाता था कि फलां चीज दो या एक हजार रुपया दो तो वह एक हजार रुपया दे देता था और बड़े शंख की खूबी यह थी कि जब उससे माँगा जाता था कि एक हजार रुपया दो तो वह कहता था कि चार हजार, यानी चार हजार रुपये का नाम लेता था, देता कुछ भी नहीं था। उसका नाम था डपोर शंख। इसी तरह से माननीय काटजू साहब कहते हैं कि नहीं, पूरे हिमांचल की यूनिवर्सिटी बने लेकिन विरोध इसका भी करते हैं। देने वाले कुछ है नहीं और कहते हैं कि हिमांचल यूनिवर्सिटी बने।

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि एक सीधा सादा विधेयक नारायण दत्त जी ने रखा है और इसमें यह प्रस्ताव किया है, शायद माननीय सदस्य इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको तीन महीने तक पब्लिक ओपीनियन के लिये घुमाया जाय। दो वजहों से उन्होंने यह प्रस्ताव किया है। एक वजह तो यह है कि यह सरकार इतनी धीमी चलती है कि जब पब्लिक ओपीनियन आयेगी फिर भी विधेयक बनते-बनते अगले साल कहीं बनेगा और तीसरे साल यूनिवर्सिटी खुलेगी। आपने देखा श्रीमन्, कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक इतनी जल्दी यहां से पास कराया गया, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अगले साल वह यूनिवर्सिटी चालू हो जायगी। तो यह इसलिये है कि पहले से ही सरकार की आखें खुल जायं ताकि सरकार के दिमाग में एक चीज आये कि हां, ऐसा विधेयक हमें पास करना है और कुमायूं में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी है। दूसरी चीज यह कि अगर यह विधेयक पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाता है तो जो जनता है वह भी समझेगी कि हां, इसमें अब कुछ मामला है और जो दान देने वाले हैं वे निश्चिंत हो कर दान देंगे। तो इससे रुपया इकट्ठा करने में आसानी होगी। वैसे अगर एक दो आदमी खड़े हो जायं तो लोगों का यह ख्याल होता है कि कहीं अपने लिये ही न कर रहे हों। अगर पब्लिक ओपीनियन के लिये घुमाया जायगा तो जो लोग दान देने वाले हैं वे इसके लिये ज्यादा से ज्यादा दान देंगे ताकि विश्वविद्यालय बने। यह बड़ा सीधा सादा विधेयक है। इसको लेकर बात का बतंगड़ बना दिया भाई लोगों ने।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

माननीय सदस्य नवलकिशोर जी चले गये लेकिन उन्हें खाली सौन्दर्य ही पहाड़ों पर दिखाई दिया। पहाड़ के लोगों में सौन्दर्य तो होता ही है। माननीय नवल किशोर जी को कौन कहेगा कि सौन्दर्य उनमें नहीं है या हमारे माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब में सौन्दर्य नहीं है। मैं कहता हूं कि ये सुन्दर हैं। सौन्दर्य खाली पहाड़ों की ही मोनोपली नहीं है। बदसूरत हर जगह होते हैं और सौन्दर्य हर जगह होता है। सारे लोगों ने केवल विरोध ही किया इस पर मुझे एक किस्सा याद आगया। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी आदत थी कि जब वह कोई चीज सुनती थी तो जाकर गांव भर में उसका प्रचार करती थी। एक दफा एक पंडित जी के वहां गई तो पंडित जी मछली खा रहे थे। उन्होंने बुढ़िया से कहा कि तुम किसी से कहना मत। लेकिन बुढ़िया ने सारे गांव में कहना शुरू किया कि हमको क्या पड़ी है, लेकिन पंडित जी कह रहे है कि लोगों से कहना मत कि मैं मछली खा रहा हूं। इसी तरह से विरोध करते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहते, कहते हैं कि वापस ले लो।

यह सही है कि कोई विधेयक यदि बनता है तो उसमें कुछ खामियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। यह विधेयक अच्छा है लेकिन इसमें खामियां भी अवश्य हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि नारायणदत्त जी में सरकार की तरह हठधर्मी नहीं है कि अच्छी से अच्छी बात कही जाय तो वह मानने को तैयार नहीं। इसमें गलतियां हैं, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। जैसे कि धारा ९ की उपधारा ४ को देखिये तो इसमें खामी है और भी इसी प्रकार के खंड हैं जिनमें खामी रह गई है एक चीज जो इसमें छूट गई है वह यह है कि उपकुलपति की तनख्वाह स्टैट्यूट द्वारा निश्चित हो। इसमें उसकी तनख्वाह का भी जिक्र होना चाहिये। दूसरी खामी जो इसमें उपकुलपति के लिए है कि एक वाइस चांसलर और एक टर्म रह जाता है तो फिर वह कभी भी उस यूनीवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बनाया जा सकता, मैं इसको ठीक नहीं समझता। अगर कोई ऐसा आदमी है जो अच्छी सेवा कर सकता है तो उसको यह चांस मिलना चाहिये कि दोबारा भी उपकुलपति हो सके। आपने देखा कि बहुत से ऐसे वाइस चांसलर रहे हैं जैसे मालवीय जी को लीजिये वे अपनी जिन्दगी भर बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। अगर ऐसा कोई आदमी हो तो इसमें ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखना चाहिये कि उसको दोबारा चुने जाने का अधिकार न हो। तीसरी चीज यह कि हर तरह से चांसलर को यह अधिकार होगा कि अगर कोर्ट भी उसको पास कर दे और चांसलर उसको सस्पेंड कर दे तो वह लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह अधिकार चांसलर को नहीं देना चाहिये। यह अधिकार कोर्ट को ही होना चाहिये। कोर्ट को कठपुतली बना कर नहीं रखना चाहिये। उसको भी अधिकार होना चाहिये। और फिर इस में एक चीज और जो बहुत बढ़िया हुई है वह यह कि चांसलर जो होगा वह हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें एक और अच्छाई है और वह यह है कि छात्र-परिषद् का निर्माण किया जायगा जो छात्रों में डिसिप्लिन लाये, उनको समझा सके, उनके सामाजिक और दूसरे स्तरों को ऊंचा कर सके। यह सब इसमें अच्छी चीजें हैं। अनुशासन के मामले को, टीचरों के मामले को एक्जीक्यूटिव कौंसिल ही देखेगी। इस तरह की इसमें बहुत सी धारायें हैं। तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसका समर्थन ही करेंगे। मैं जानता हूं कि समय बहुत इसमें लग जायगा और ऐसा ही मैंने अर्ज भी किया है, लेकिन अभी जनता की राय तो आने दी जाय, जनता में विश्वास तो पैदा होने दीजिये ताकि वह समझे कि बिल सदन में पेश हो गया है। वह खुशी से उस क्षेत्र में बिल्डिंग आदि बनाने के लिये रुपया देने को तैयार हो जायगी। इस तरह से एक विश्वास जनता में पैदा होगा और जब यह जनता में सरकुलेट होगा तो मैं नहीं समझता कि इसमें जल्दी होने की क्या बात है....

श्री शिवनारायण—दूसरे चुनाव में होगा।

श्री जगन्नाथमल्ल---बिलकुल। मैं तो यही कहता हूं कि इस साल नहीं हो सकता। वह तो दूसरे साल ही हो सकता है, जिस गति से यह सरकार चलती है उसको देखते हुए। गोरखपुर विश्वविद्यालय का विधेयक भी बना कर दे दिया, यह भी कह दिया कि सरकार स्टैट्यूट्स बना ले और सदन में बाद में प्रस्तुत करे जल्दी काम करने के ख्याल से और सदन बाद में जैसा चाहेगा अमेंड कर लेगा, लेकिन वह बन कर अभी तक नहीं आये। जब कि सरकार ने पहले वायदा किया था कि जो पहला सेशन होगा उस में वह ले आयेंगे लेकिन पता नहीं कि वह आयेंगे भी या नहीं और इसके अलावा उनको यह सरकार भी ला पायेगी या नहीं इसमें भी हम को शुबहा है। तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इसका विरोध न करें, सीधे-सीधे हमको इस बिल का समर्थन करना चाहिये क्योंकि अगर वहां यह यूनिवर्सिटी खुलती है तो कोई वैसी बात नहीं है। पहाड़ में कितनी गरीबी है इसकी जानकारी आप को है। अगर वहां एक विश्व-विद्यालय खुले तो विद्यार्थियों को पढ़ने की कितनी सुविधा होगी यह आप समझ सकते हैं क्योंकि पहाड़ की जनता के बारे में मेरा उतना ज्ञान नहीं है। हां, मेरा इतना ज्ञान अवश्य है कि वहां गरीबी बहुत ज्यादा है। तो अगर वहां एक विश्वविद्यालय खुल जाता है तो वहां के लड़कों को कितनी सुविधा हो जाती है यह माननीय सदन को और सभी सदस्यों का मालूम होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह कह कर कि यह बाद में होगा और इसलिये इसको वापस ले लिया जाय, कहने की आवश्यकता नहीं है। अरे, आपको कहना है तो सीधे कहिये कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। घूम कर नाक पकड़ने से क्या फायदा है, सीधे-सीधे नाक पकड़िये। तो इसलिये श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जो नारायणदत्त जी का प्रस्ताव है यह बहुत सुन्दर है, मैं इस का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि माननीय सदन भी आपके प्रस्ताव को स्वीकार करे।

*श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायणदत्त जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। मैंने इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा जो भाषण हुए उनको सुना और जो तर्क उन्होंने दिये उनको भी मैंने ध्यान से सुना। किन्हीं सदस्यों ने कहा कि चूंकि नारायण दत्त जी की उम्र बहुत कम है इसलिये विश्वविद्यालय नहीं खुलना चाहिये, किन्हीं माननीय मेम्बरों ने यह दलील दी कि क्योंकि आबादी कम है इसलिये नहीं खुलना चाहिये। किन्हीं सदस्यों ने यह कहा कि अभी सचाई नहीं है, इसलिये नहीं खुलनी चाहिये। लेकिन यह सब कहते हुए भी उनका आशीर्वाद इस विधेयक को तो नहीं मिल सका लेकिन नारायणदत्त जी को सभी का आशीर्वाद मिला। इसकी मुझे खुशी है। इस विधेयक में केवल नारायणदत्त जी की ही भावना नहीं, बल्कि कुमायूं के समस्त विधायकों की और विधायकों की ही नहीं, समस्त जनता की भावनायें निहित हैं। यह विधेयक आज प्रस्तुत हुआ लेकिन इससे पहले ही वहां के लोगों ने अपनी भावनायें विश्वविद्यालय के संबंध में प्रकट की हैं। अभी हाल में द्वाराहाट में जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में अल्मोड़ा में विश्वविद्यालय खोलने की मांग की गई थी। माननीय जगमोहन सिंह जी नेगी का एक लेख शायद आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने भी एक विश्वविद्यालय की मांग की थी। जहां तक मैं समझता हूं, नारायणदत्त जी का मंशा यह नहीं है, उनका केवल सुझाव है कि नैनीताल में ही सबसे ज्यादा सुविधायें हैं, इसलिये नैनीताल में खुले। हमारी मांग यह है कि कुमायूं में एक विश्वविद्यालय खुले। अगर नैनीताल से अधिक उपयुक्त कोई और जगह हो तो वहां खुल सकता है। मैं इस विश्वविद्यालय के प्रश्न को एक लहमे में यूं ही टाल देना उचित नहीं समझता। आज हमारे प्रदेश की आवश्यकताओं को हल करने के लिये भिन्न-भिन्न तरीकों से सुझाव देने होंगे और उनको हल करना होगा।

आज हमारा सबसे बड़ा सवाल आर्थिक विकास का है। भिन्न-भिन्न मांगों का आर्थिक विकास हम भिन्न-भिन्न तरीकों से कर सकते हैं। अगर आज एक जगह सीमेंट की फैक्ट्री खोलने के लिये साधन हैं तो वहां सीमेंट की फैक्ट्री खुले और दूसरी जगह अगर कागज के कारखाने के लिये हैं तो वहां कागज का कारखाना खुले। लेकिन कुछ ऐसे भी हिस्से हो सकते हैं जहां लोगों का आर्थिक विकास दूसरे तरीकों से किया जा सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोवर्धन तिवारी]

हमारे प्रदेश के लोगों का दो तरीकों से आर्थिक सुधार किया जा सकता है। एक कृषि से और दूसरा उद्योगों का विकास कर के। इस सदन के शायद ही कोई सदस्य होंगे जिन्होंने पहाड़ के सीढ़ीदार खेत नहीं देखे होंगे। कितनी कठिनता से वे बनाये जाते हैं, कितनी कठिनता से उनमें अन्न पैदा किया जाता है और कितनी तरक्की उनमें हो सकती है। यह मानी हुई बात है कि कुमायूं का आर्थिक विकास कृषि से किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। आज तो स्थिति यह है कि पिछले ५ साल से मैं देख रहा हूं कि सरकार की ओर से मैदानी इलाके से अन्न जाकर वहां दुकानें खुलती हैं और वहां के लोग गुजरबसर करते हैं। उनकी क्रयशक्ति इतनी गिर गई है कि इसे बढ़ाने के लिये सरकार जगह-जगह टेस्ट वर्क्स खोलती है और उनके आमदनी बढ़ाने की कोशिश करती है। बेचारा पहाड़ का आदमी दिन भर मजदूरी करता है और शाम को सरकारी दूकान से अन्न लेकर अपना पेट भरता है। हम कुमायूं की इस स्थिति से आंखें नहीं मोड़ सकते। अगर वहां के सदस्य या जनता हो हल्ला करके अपनी कठिनाई को आपके सामने नहीं रख सकते तो इसके कतई यह मानी नहीं है कि वहां की समस्यायें जटिल नहीं हैं या उनको हल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां की आर्थिक स्थिति के लिये आपको गंभीरता से सोचना चाहिये और कोई न कोई तरीका निकालना चाहिये, जिससे वहां की आर्थिक स्थिति सुधर सके।

अब कृषि के बाद मैं वहां उद्योगों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उद्योगों के संबंध में निवेदन करूं कि वहां पर कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जो अभी तक खुल सका हो या निकट भविष्य में खुलने की आशा हो तथा जो वहां की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। हमारे यहां अगर कोई इंडस्ट्री रही है तो वह नौकरी रही है। आपने देखा होगा कि हमारे यहां के लोग छोटी से लेकर बड़ी जगहों तक नौकर रहे हैं और उस नौकरी से अन्न खरीद कर अपने बालबच्चों का पालन करते रहे हैं। आप कहीं की गणना कर लीजिये। हमारा सबसे बड़ा उद्योग नौकरी ही है। आज कठिनता यह है कि पहले जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वे लोग फौज में काफी संख्या में लिये जाते थे।

अंग्रेजों के जमाने में कुछ मार्शल रेसेज गिनी जाती थीं इसलिये वहां के लोग बहुत तादाद में लिये जाते थे। लेकिन अब वह बात नहीं रही है? अंग्रेजों के चले जाने के बाद और खास कर पिछली लड़ाई के बाद वहां की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक बिगड़ी है, उसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया वहां पर हुई है और वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये यह लाजिमी है कि वहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। जब तक वहां विश्वविद्यालय नहीं खोला जायगा वहां के लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये बाहर न भेज सकेंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आज यह मौका नहीं है कि मैं कुमायूं की पहली आर्थिक स्थिति से इस वक्त की आर्थिक स्थिति का कंपेरीजन करूं लेकिन आज से कुछ साल पहले वहां की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। लेकिन आज लोगों की क्रय शक्ति गिर रही है। वे लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को भेज कर पढ़ा नहीं सकते हैं। अपने बच्चों को दूर नहीं भेज सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वहां के लोग नौकरियों में पाये जाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिये न भेज सकने के कारण बजाय तरक्की करने के अवनति करते जा रहे हैं इसलिये वहां के कृषि विकास करने के लिये, बौद्धिक विकास करने के और वहां का आर्थिक विकास करने के लिये यह आवश्यक है कि वहां पर विश्वविद्यालय खोला जाय। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर गंभीरता से सोचें और विचार करें तो उनको मालूम होगा कि वहां के लोगों की निकट भविष्य में आर्थिक स्थिति को सुधारने का सबसे आसान तरीका यदि हो सकता है तो वहां पर विश्वविद्यालय खोलने का है। उसको खोलने से वहां जो विद्यार्थी बिना पढ़े रह जाते हैं वे पढ़ सकेंगे और जो आमदनी के साधन निकट

भविष्य में नहीं हैं वे नौकरी करके प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी के द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त कर सकेंगे ? जहाँ तक जनसंख्या का सवाल है उसकी बिना पर हम कभी मांग नहीं करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर बैठ कर हमारे देश वासियों ने भविष्य का निर्माण किया है। वहां बैठ कर हम मानव भावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं और वहां के नैसर्गिक सौन्दर्य के कारण अनायास ही हमारी वे भावनायें वहां विकसित हो जाती हैं जो दूसरी जगह आसानी से विकसित नहीं हो सकतीं।

पुराने जमाने में जो ऋषियों के आश्रम थे वे आश्रम भी ऐसे स्थानों पर हुआ करते थे, उस समय के जो गुरुकुल थे, जो विद्यापीठ थे वे ऐसे स्थानों पर होते थे जहां कि दूर-दूर से विद्यार्थी आ करके और उसमें रह करके शिक्षा पाते थे और वहीं उनके चरित्र और शिक्षा दोनों का निर्माण होता था। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के लिहाज से भी ऐसे स्थान पर विश्वविद्यालय का होना पर्वतीय क्षेत्र में जरूरी है। उससे आप देखेंगे कि यह भी अन्दाजा लगेगा कि ऐसे स्थान में अगर कोई विश्वविद्यालय रखते हैं तो उसका कम्पेरीजन दूसरी जगह के विश्वविद्यालय से आप आसानी से कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसे स्थानों के विश्वविद्यालय से जो छात्र निकलेंगे उनका जो नैसर्गिक विकास होगा, उनमें जो मानवगुण होंगे, जो उनकी बुद्धि और चरित्र का विकास होगा, वह दूसरे तरह के विश्वविद्यालयों से निकले हुये छात्रों की अपेक्षा कहीं अच्छा और स्वाभाविक तरीके से होगा, क्योंकि उनको बीसों तरह से प्रलोभन जो अभी बड़े-बड़े शहरों में मिल सकते हैं, जिन प्रलोभनों की वजह से वे कभी-कभी सुपथ से विचलित हो जाते हैं, इसका अवसर उन स्थानों पर उनको नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में आप काफी गम्भीरता के साथ विचार करें।

डिग्री कालेज नैनीताल के भूतपूर्व प्रिंसिपल श्री ए० एन० सिंह ने इसकी योजना बनायी थी और उनका विचार था कि वहां विश्वविद्यालय खुले। तो यह स्पष्ट बात है कि चुनाव के मौके पर इस बात को लेकर नाजायज फायदा उठाने का कोई खतरा नहीं मालूम होता है और उसका चुनाव के ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह कुमायूं की आवश्यक मांग है, और यह प्रश्न कई साल से हमारे सामने है। यह तो मौके की बात है कि इस समय यह विधेयक आया, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि डिग्री कालेज नैनीताल के भूतपूर्व प्रिंसिपल श्री ए० एन० सिंह ने विश्वविद्यालय योजना बनायी और उसके लिये काफी प्रयास भी किया, लेकिन वह कार्य उनके निधन हो जाने के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। अतः मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में वे गम्भीरता के साथ विचार करें और जो प्रस्ताव श्री नारायण दत्त जी ने रखा है उसका एक आवाज से समर्थन करें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं

(इस समय ३ बजकर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, आजकल नये-नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये चारों ओर से मांग है और अगर हमारे मित्र श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने कुमायूं के लिये एक मांग की है तो वह बिलकुल स्वाभाविक है और मैं समझता हूं कि उसका समर्थन होना ही चाहिये। लेकिन मैं अवश्य यह आशा करता था कि जो उन्होंने इसको रूपरेखा बनायी है उसमें कुछ विशेषता होगी। उन्होंने इसका इतना अध्ययन किया है, मैं यह चाहता था कि उसका ढांचा जैसा और विश्वविद्यालयों का है वैसा ही नहीं बल्कि उसमें एक ऐसी विशिष्टता हो जो अपनी संस्कृति के अनुकूल होगा। अभी मेरे मित्र श्री गोवर्द्धन तिवारी जी ने यह कहा कि हमारी जो पुरानी परम्परा थी, जो विद्यापीठ और गुरुकुल बने थे उनका जिक्र किया। मैं भी चाहता हूं कि उन्हीं की परम्परा के आधार पर कोई विश्वविद्यालय कुमायूं में स्थापित हो तो वह कहीं ज्यादा वांछनीय होगा। जैसी और यूनिवर्सिटियां हैं वैसी यह भी यूनिवर्सिटी कायम हो जाय, इससे कुछ अधिक लाभ होने

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

वाला नहीं। हालत हमारी शिक्षा की यह है कि हम एक भारी सुपर स्ट्रक्चर बनाते चले जा रहे हैं और जो बुनियाद है वह कच्ची पड़ती चला जा रही है। मालूम नहीं इसका क्या दुष्परिणाम होने वाला है। आप प्राइमरी शिक्षा को ही देखें उसका व्यापक रूप से प्रसार नहीं हो पाया है। हमारे यहां जो सेकेन्डरी एजूकेशन है, उसकी भी बुरी हालत है और एक तरह से लक्ष्यहीन है। आगे चल कर हम कालेज और यूनिवर्सिटी खोलते हैं। लेकिन आज की यूनिवर्सिटी एक हाई साउंडिंग लेबल के और कुछ नहीं प्रतीत होती। क्योंकि यूनिवर्सिटी बनती जाती हैं और शिक्षा का स्तर गिरता जाता है। जो हमारा पहले एफीलिएटेड कालेजेज स्टैन्डर्ड था उससे भी उनका स्टैन्डर्ड गिर रहा है, लेकिन हम वास्तविकता को छोड़ कर केवल बड़े नाम से ही संतोष कर लेते हैं। इसलिए जहां मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि विश्वविद्यालय बनें वहां वह ऐसे बनने चाहिए कि आज की शिक्षा की जो त्रुटियां हैं उनकी वह पूर्ति करें। आज का नवयुवक अपने कल्चर से डाइवर्सड होता जाता है, मालूम होता है कि वह अभी विलायत से आया है, शेक्सपीयर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, शैली की बात तो वह करेंगे लेकिन जो अपने विद्वान्, दार्शनिक हुए हैं कालिदास या पाणिनी, शंकराचार्य उन्होंने क्या लिखा है या जो हमारे शास्त्रवेत्ता थे, उन्होंने क्या दर्शन संसार को दिया है, इससे वह बिल्कुल अनभिज्ञ हो रहे हैं। केवल ऐसे विश्वविद्यालयों की शिक्षा से लाभ होने वाला नहीं है। हमें तो आज ऐसी संस्थायें बनाना है जो आज की हमारी कमियां हैं, आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति करें और आगे के लिए एक उदाहरण उपस्थित करें।

मैं समझता हूं आज हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें अभी एफीलिएटेड विश्वविद्यालय रखने होंगे और हमारे सामने समस्या यह है कि हम किस तरह से अपने मौजूदा कालेजेज का स्टैन्डर्ड ऊंचा करें, कैसे उनकी व्यवस्था ऐसी की जाय ताकि वहां के छात्र जीवन में योग्य सिद्ध हों और कैसे हम वहां की परीक्षाओं का स्टैन्डर्ड बढ़ावें। अब तो यहां कम्पिटीशन सा हो गया है। पहले हमारे यहां २-१ यूनिवर्सिटी ऐसी थीं कि जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वह डिग्रीशाप हैं लेकिन अब ऐसी भावना मालूम होती है कि चारों ओर फैल गई है। परीक्षा का नतीजा निकलता है, मालूम हुआ कि नतीजा कम है तो दस प्रतिशत और बढ़ा दिया, यह क्या है? या तो हम पहले से ही उसी स्टैंडर्ड से कापियां जांचें, लेकिन यह क्या तमाशा है कि बाद में दस-दस, पंद्रह-पंद्रह प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस तरह से तो शिक्षा का उपकार नहीं होता। मेरा निवेदन यह है कि चूंकि श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने इतनी मेहनत की है तो वह रट में से निकल कर मौजूदा ढांचे से, जो ढांचा है भिन्न कोई चीज रखें, जो अपनी संस्कृति और परम्परा के अनुकूल हो। वह कह सकते हैं कि यह सब चीजें तो जो अथारिटीज हम नियुक्त कर रहे हैं वह स्वयं सब कर लेंगी। लेकिन मेरा कहना है कि अनुभव ऐसा नहीं बताता वही कोर्ट, वही एग्जीक्यूटिव कौंसिल, वही सब और रूपरेखा तो चीज भी उसी प्रकार की बनेगी। लेकिन चूंकि इसको जनमत संग्रह के लिए भेजा जा रहा है और इसकी त्रुटियों को ठीक करने की गुंजायश है इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं और श्री नारायणदत्त जी का प्रयास सराहनीय है। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि जो कुछ मैंने कहा है उस दृष्टि से भी वह विचार करें और वह एक ऐसी चीज प्रदेश के सामने उपस्थित करें जो दूसरों के लिए भी उदाहरण और आदर्श बनें और अनुकरणीय हो।

श्री हरगोविन्द पंत (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका समर्थन इसलिए नहीं करता कि मेरा इससे कोई स्थानीय सम्बन्ध है, परन्तु मैं इसकी नितान्त आवश्यकता का अनुभव कर रहा हूं। मैं जब कभी नैनीताल जाता हूं तो वहां मुझे एक वृद्ध सज्जन बराबर मिलते हैं और उनकी मांग बराबर यही होती है कि यहां इस प्रकार के विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए कोई बिल जल्द से जल्द पेश किया जाय, वहां के लोगों की इसके लिए बहुत विस्तृत मांग है। जब स्वर्गीय ए० एन० सिंह

वहां प्रिन्सिपल हुए थे। उन्होंने इस मांग का प्रचार करने में बड़ी सहायता दी। हमारे दुर्भाग्य से उनकी अकाल मत्यु हो गई। यह विधेयक श्री नारायणदत्त तिवारी जी का अपना कोई निजी विचार नहीं है। यह तो उन्होंने जो लोगों की भावना थी, जो लोगों की मांग थी उसको एक मूर्ति रूप दे दिया है, उसको हमारे सामने रख दिया है। हां, इतना जरुर है और मैं चाहता हूं कि इसको संकुचित नाम न दिया जाय। श्री काटजू ने भी ऐसा ही कहा है। मैं तो समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम हिमालय विश्वविद्यालय हो तो ज्यादा उपयुक्त हो। यदि यह नाम ठीक न समझा जाय तो उत्तराखंड विश्वविद्यालय इसका नाम हो। इसमें और भी लोगों को हम अपने साथ शामिल कर सकते हैं। जितने अधिक लोग इसमें शामिल हो सकते हैं उतनी इस कार्य में हमें सफलता मिल सकती है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, टेहरी, देहरादून ये जिले तो इस विश्वविद्यालय से आसानी से लाभ उठा सकते हैं। हां, जैसा अभी कहा गया है इसके लिये स्थान कौन सा हो, कहां पर इसका केन्द्र हो, इसमें इस वक्त शायद मतैक्य न भी हो, लेकिन आपस में भविष्य में बातचीत करने से हमारा मतैक्य हो जायगा। अभी जैसा नारायणदत्त जी ने अपने भाषण में बताया कई चीजों के लिये वहां विशेष सुविधायें हैं जैसे ज्योलाजी के लिये, बैक्टिरोलाजी के लिये, कृषि विद्या के लिये इन सब चीजों के लिये कुछ विशेष सुविधायें वहां प्रस्तुत हैं। ऐसी अवस्था में यदि वहां कोई विश्वविद्यालय स्थापित हो सके तो बहुत अच्छी बात है। हां, मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि धन की कमी अवश्य है। इस प्रश्न का हमें समाधान करना ही पड़ेगा। जनता से धन एकत्रित करना होगा और सरकार से भी सहायता के लिये कहना होगा। यह धन किस मात्रा में और कब हम एकत्रित कर सकते हैं यह इस बात पर बहुत कुछ मुनहस्सिर है कि सरकार की इस विधेयक के सम्बन्ध में क्या नीति है। अगर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन इस सम्बन्ध में मिले तो मैं समझता हूं कि जनता भी इसमें धन के रूप में सहायता देने के लिये तैयार होगी। जहां एक व्यक्ति ने ४ लाख रुपये एक डिग्री कालेज के लिये दे दिये तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता की दीन व गरीब होते हुए भी इस अच्छे काम के लिये कुछ देने के लिये प्रस्तुत हो जायगी और इसमें हमें सफलता मिल सकती है।

मैंने देखा कि माननीय नारायणदत्त जी ने इस बिल के मसविदे में अपने दल के राजनैतिक विचारों का भी समावेश करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने वाइस-चांसलर या चांसलर के लिये विशेष सुझाव दिया है। मैं नहीं जानता कि वह कहां तक व्यावहारिक है परन्तु फिर भी यदि उससे हमको सहाता पहुंचे तो सहायता को स्वीकार कर लेने में भी कोई बड़ी आपत्ति नहीं हो सकती।

मैं अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं अपनी राय प्रकट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिये पर्वतीय जिलों में सर्वत्र मांग है और सर्वत्र इसका स्वागत होगा। यह विश्वविद्यालय जैसा कि कहा गया है एफिलियेटिंग और टीचिंग दोनों ही कामों को करेगा तो इसमें तो हम मैदानी जिलों के विद्यालयों को भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं। जिन विशेष बातों की सुविधा वहां पर्वतीय प्रान्तों में हो उसके लिये मैदानी जिलों के छात्र भी आयें तो हमें और उन्हें दोनों को लाभ हो सकता है। पर्वतीय प्रान्तों के पास धन नहीं है परन्तु वहां प्राकृतिक निधियां मौजूद हैं। अगर हमारे प्रदेश के अन्य भागों के लोग आकर वहां इन प्राकृतिक सम्पदाओं का लाभ उठा सकें तो इससे हमारा ही नहीं सारे प्रदेश का लाभ होगा। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को सरकार शीघ्र स्वीकार करेगी।

*श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं भी श्री नारायणदत्त जी तिवारी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं। आज से दो वर्ष पहले शिक्षा के बजट पर बोलते हुए मैंने यह सुझाव दिया था कि मेरठ में विश्वविद्यालय होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

और मैं यह समझता हूं कि प्रान्तीय सरकार ने जिसके मंत्री और उपमंत्री शिक्षा विभाग के, दोनों गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखते हैं। गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करके यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि क्षेत्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। जब यह सिद्धान्त स्वीकार हो गया है तो केवल यह समझ कर नहीं हुआ है कि उन्हें अपने क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय चाहिए था बल्कि वह समस्त प्रान्त के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये विश्वविद्यालय की आवश्यकता को अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से यदि हम जिस प्रकार माननीय पंत जी ने कहा उत्तराखंड के लोग विश्वविद्यालय की रचना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार को आभारी होना चाहिये और उसके लिए प्रयत्न शील होना चाहिए। मुझ से पहले कुछ वक्ताओं ने यह कहा है कि अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता नहीं है। मैं उन व्यक्तियों से यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में वर्तमान बम्बई प्रान्त में आज भी पांच विश्वविद्यालय हैं। यदि उसके कन्नड़ भाषा के जिले निकाल दिये जायं और उनका एक विश्वविद्यालय निकल जाय तो नागपुर का विश्वविद्यालय मिला कर फिर भी पांच रह जाते हैं और पिछले दिनों में हैदराबाद की सरकार ने यह स्वीकार किया है कि हैदराबाद रियासत के मराठी भाषी जिलों के लिए एक अलग विश्वविद्यालय बनाया जायगा। इस प्रकार बम्बई जो छोटा प्रान्त है जिसकी आबादी पांच करोड़ है उसमें जब छः विश्वविद्यालय हो सकते हैं तो हमारे प्रान्त में अगर अधिक विश्वविद्यालयों की मांग है तो हमारी सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए।

मैं तो यह भी कहना चाहूंगा और मैंने बजट के दिनों में भी कहा था कि इंग्लैन्ड जिस की आबादी हमारे सूबे से बहुत कम है उसमें दो दर्जन विश्वविद्यालय हैं और वह इसलिए हैं कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की दृष्टि से विद्यार्थियों को कैसे शिक्षा मिले इस लिहाज से वह स्थापित किये जाते हैं और किये जाने चाहिए। और यह सब भाई मानते हैं कि हिमांचल का वह प्रदेश जो इस प्रान्त का भाग है उससे हमारे निचले प्रदेश की संस्कृति भिन्न है, भाषा भी भिन्न है, रीतिरिवाज भी भिन्न है और परिस्थिति भी भिन्न है।

तिवारी जी के इस कथन को मानने के साथ, यदि हमको यह बात मान्य है कि वह प्रदेश गरीब है, और वहां के विद्यार्थियों का नीचे आने में, तथा शिक्षा पाने में काफी खर्च होता है, जब हम इन सब दृष्टियों को ध्यान में रखते है तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि यह बात सिद्धान्ततः ठीक है किन्तु क्रिया के रूप में, जैसा नारायणदत्त जी कहते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। वह केवल नैनीताल जिले को अपने विश्वविद्यालय का केन्द्र बनाना चाहते हैं और उसके लिये जो उन्होंने कालेजों के नाम दिये वह केवल हाई स्कूल हैं। वह अंग्रेजी ढंग के हो सकते हैं और उनको कालेज का नाम दिया जा सकता है चाहे वह शेरवुड हो या बिड़ला कालेज लेकिन यथार्थ में वे हाई स्कूल है और उनके आधार पर केवल, नैनीताल में विश्वविद्यालय स्थापित करना उचित नहीं प्रतीत होता। किन्तु उन्होंने कहा कि रुड़कपुर में ऐग्रीकल्चरल कालेज खोल कर, उसे विश्वविद्यालय का रूप दिया जा सकता है। तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर विश्वविद्यालय को स्थापित करना है तो उस दृष्टि देहरादून का डी० ए० वी० कालेज जो कि तीन हजार विद्यार्थियों का केन्द्र है वह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा केन्द्र बन सकता है और देहरादून से लेकर हिमालय के के पूरे भाग तक, जो सारा पर्वतीय प्रदेश है, वह शिक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक उन्नत हो सकता है और ऐसा केन्द्र बन सकता है जो हमारे प्रदेश के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। इसलिए उनके सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए, उसके विकास और आगे की चीजों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम इसको स्वीकार करें तो मेरे विचार से सदन उस प्रदेश के लिए एक उपकार की भावना को प्रकट करेगा।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे साथी श्री नारायणदत्त जी ने प्रस्ताव रखा है पहाड़ी इलाके में विश्वविद्यालय खोलने का, उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। यों तो हमारा प्रांत पिछड़ा हुआ है

लेकिन इसमें पहाड़ी इलाके जो हैं उनकी दशा को मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि वह कितना पिछड़ा हुआ है। हमारे प्रान्त में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो पिछड़े हुए हैं जैसा कि अभी हमारे शास्त्री जी ने कहा कि अभी पूर्वी जिलों में एक यूनिवर्सिटी खोली गयी। लेकिन उसका तर्क जो उन्होंने दिया उस तर्क का मैं विरोधी हूं। इस गरज से कि यदि माननीय शिक्षा मन्त्री जी या उप मंत्री जी पूर्वी जिले के हैं तो उन्होंने इस दृष्टि से नहीं खोला कि उनका घर है बल्कि इस दृष्टि से खोला कि वहां पर विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी, वह पिछड़े हुए इलाके थे। उनको और हमें इसका ख्याल करना चाहिए था कि पश्चिमी जिलों में जहां तक यूनिवर्सिटीज का ताल्लुक है रुड़की यूनिवर्सिटी है और आप की आगरा यूनिवर्सिटी है, और आपके कालेजेज हैं और कई माने में आगे बढ़े हुए हैं। उनको इसे भी दृष्टि में रखना चाहिए था। इन सब बातों को देखते हुए कि पहाड़ी इलाके पिछड़े हुए इलाके हैं, सचमुच उनको नीचे आने में बहुत कठिनाई होती है, उनके पास साधन नहीं है, लेकिन उनके जो प्राकृतिक साधन हैं उनका सदुपयोग हो सकता है, इन सब बातों को देखते हुए वहां पर एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साथी नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसको उन्होंने कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया है। श्रीमन्, उस प्रदेश में जो सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है वह कुमायूं डिवीजन है। यह आवश्यक है कि जो हमारे प्रदेश पिछड़े हुए भाग हैं जहां के लोगों को रोजी रोटी का साधन वर्तमान अवस्था में कोई न हो, ऐसे लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए साधन सरकार द्वारा तथा जनता द्वारा जुटाये जा सकते हैं तो जुटाये जायं। यह विधेयक जिस पर सदन विचार कर रहा है उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक सहारा है। श्रीमन्, मैं समझता हूं सदन का शायद ही कोई सम्मानित सदस्य होगा जिसने पहाड़ी इलाकों और खास कर के नैनीताल में जा कर के वहां की स्थिति का ज्ञान न किया हो। मैं समझता हूं कि पहाड़ी इलाके जहां पर लोग छोटी-छोटी खेती करके और मैदानी इलाके में आ कर के नौकरी करके अपनी गुजर करते हैं, इसके अलावा और कोई सहारा उनको नहीं रहता है जिससे अपने जीवन को अच्छी तरह से नागरिक रूप में बिता सकें। श्रीमन्, पहाड़ के रहने वाले व्यक्ति साधनहीन हैं और साधनहीन तबकों के लिए शिक्षा-दीक्षा के लिए आवश्यक होता है कि समीप में ही कोई पढ़ने लिखने की संस्था विद्यमान् रहे। इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो कुमायूं डिवीजन में पढ़ने वाले विद्यार्थी लखनऊ, वाराणसी अलीगढ़ जो अपने प्रदेश के विश्वविद्यालय है उनमें जा करके पढ़ते हैं।

श्रीमन्, इतनी दूर पहाड़ के इलाके के विद्यार्थी आ कर पढ़ते हैं, उस वक्त हमको यह भी देखना होगा कि पहाड़ी इलाके की कितनी जनसंख्या अपने लड़कों को इतना ज्यादा खर्च बर्दाश्त करके विश्वविद्यालय में भेज सकती है। मैं समझता हूं कि श्रीमन्, मैदानी इलाके में जितनी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय है और उन विश्वविद्यालयों में जो छात्रों की संख्या है अगर उसका अनुपात लगाया जाय तो मैं समझता हूं सौ विद्यार्थियों में से शायद ही एक विद्यार्थी ऐसा होगा जो पहाड़ी क्षेत्र का होगा और विश्वविद्यालयों में पढ़ता होगा। ऐसी जब अवस्था वहां है, वहां के लोगों को जब खाना नसीब नहीं होता है, अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां के लोग जो साधनहीन है इतना बड़ा खर्चा बरदाश्त करके इतनी दूरी पर कैसे अध्ययन कर सकते हैं? और अध्ययन करने के बाद अपनी रोटी के साधन इकट्ठा कर सकते हैं? मैं तो समझता हूं कि यह तो सरकार का ही कर्त्तव्य होना चाहिये था कि कुमायूं प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना वह करे जिससे कि वहां के रहने वाले जो गरीब परिवार के लोग हैं वह लोग भी सस्ते में विद्याध्ययन कर सकें। श्रीमन्, आप यह जानते होंगे कि एक प्रचलित कहानी है कि पहाड़ के लोग जो गांवों में होते हैं वह बड़े परिश्रमी होते हैं। वे खेती बारी में परिश्रमी होते हैं, पढ़ने लिखने में तथा शासन-कार्य में भी किसी से पीछे नहीं है। अपने प्रदेश में श्रीमन्, शासक के रूप में आप देखते हैं कि सबसे बड़ा शासक जो हमारे प्रदेश में कुछ दिन पहले रहा है वह आज केन्द्रीय सरकार के गृह

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

मंत्री के रूप में है। आप देख सकते हैं कि वह लोग किस तरह से ईमानदारी से देश सेवा और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और शासन के भार को संभालने में दत्तचित्त हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का यह कर्त्तव्य होना चाहिये था और सरकार ने इस कमी को पूरा नहीं किया तो हमारे साथी नारायणदत्त जी ने इस सरकार को जगाने के लिए तथा कुमायूं प्रदेश की जनता को रास्ता दिखाने के लिये, जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि यह हम लोगों को चेतावनी देने के लिये हैं और उसके मंजूर होने के बाद मैं समझता हूं कि पैसे की समस्या लोगों के सामने आती है और श्रीमन्, मैंने काटजू साहब का बयान सुना। उन्होंने जिक्र किया कि आजकल हमारे प्रदेश में विश्वविद्यालय खोलने की व्यवस्था नहीं हो सकती है। हमारा प्रदेश साधनहीन है। श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा आदरणीय सदन से कि कुमायूं के रहने वाले गरीब हैं, लेकिन जितने गरीब हैं, वे अपने उत्थान के लिये मदद भी करते हैं। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार की कोई दुहाई और कामयाबी की बात नहीं है। बल्कि गोरखपुर डिवीजन के शहर के और जिले के रहने वाले लोगों के कारनामे हैं। मैं समझता हूं कि कुमायूं के रहने वाले व्यक्ति यदि सरकार मंजूर करे कि इस विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, इसको स्वीकार करना चाहिये तो मैं समझता हूं कि कुमायूं डिवीजन की जनता के जितने साधन हैं, उनको लेकर वह अपने प्रदेश की सरकार के साथ मदद करने के लिये तैयार हो सकेगी। वहां की जनता बहुत पिछड़ी है। यदि विश्वविद्यालय खुल जायगा तो उनको साधन मिल जायगा जिससे वे अपने प्रदेश और देश के सच्चे सेवक तथा नागरिक बन सकें। मैं इन शब्दों के साथ इस संकल्प का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि उनके संकल्प को मंजूर किया जाय और इसी के साथ-साथ और सदन और सरकार को कुमायूं में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये पूरी मदद करनी चाहिये।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र पंडित नारायणदत्त जी तिवारी के इस बिल का, जो सदन में उपस्थित है, कुमायूं विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये, समर्थन करता हूं। यह बिल किस उद्देश्य से तिवारी जी ने पेश किया है और यह क्या चीज है? यह बहुत जरूरी है क्योंकि रोशनी वहां लानी चाहिये जहां अंधेरा हो, खाना उनको दिया जाय जो भूखे हों और उठाया उनको जाय जो गिरे हुए हों। ये तीनों बातें कुमायूं में हैं। नारायणदत्त जी के इस बिल के लाने से एक बहुत कमी की पूर्ति होगी। यह निर्विवाद है और सभी जानते हैं और इसी आदरणीय सदन में शायद ही कोई न जानता हो, बल्कि सब जानते हैं कि कुमायूं प्रदेश एक गरीब प्रदेश है। वहां के विद्यार्थी मैदान में जा करके उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो करते है वे बड़ी कठिनाई के साथ और जब तक सरकार का सहयोग न हो तथा उनके हितचिन्तकों का सहयोग न हो तब तक वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस बिल के स्वीकृत हो जाने पर और कुमायूं में विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर एक को ही नहीं, बहुत से गरीबों को सुविधा हो जायगी और उस स्थान पर पहुंचने के लिये प्रयत्न करेंगे जिस पर पहुंचने के लिये आप सब महानुभाव प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस बिल का समर्थन करते हुए मैं तिवारी जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि जो एक महान त्रुटि थी उसकी पूर्ति के लिये वे इस विधेयक को लाये हैं।

इसके साथ ही साथ जितने भी पूर्व वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में भाषण दिये हैं मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन सभी ने इसकी भावना का समर्थन किया है। सिर्फ जो एक कमजोरी बतायी है, वह धन की। इस वक्त की परिस्थिति ऐसी है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं उनके इस कथन का भी समर्थन करता हूं। लेकिन अगर कोई भी आदमी किसी काम को करना चाहे तो वह दिक्कत भी दूर हो सकती है। जब बड़े-बड़े काम इस देश में हो रहे हैं तो एक विश्वविद्यालय का खोलना कोई मुश्किल बात नहीं है आपके सामने, अगर आप चाहें। और यह सिद्धान्त की बात है कि कोई ऐसा काम दुनियां में नहीं है जिसको

मनुष्य कर न सके। मेरी तो प्रार्थना यह है कि इस बिल का आप समर्थन करें और समर्थन ही न करें बल्कि इसे कारगर करने की कृपा करें। इसलिए फिर मैं अन्त में इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सदन में माननीय नारायणदत्त जी तिवारी द्वारा विश्वविद्यालय के लिये मांग प्रस्तुत है मैं उसका हृदय से समर्थन करती हूं और उनके इस प्रयास के लिये उन्हें धन्यवाद देती हूं। मैं सदन में काफी देर से बैठी हूं और माननीय सदस्यों के तर्कों को मैंने सुना और इस नतीजे पर पहुंची कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये भावना से तो सभी प्रेरित हैं, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से उनके तर्क समर्थन में नहीं जा पाये।

मेरा सबसे पहले सदन के सामने यह कहना है कि आजकल हम जिस ढंग से विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं वह तरीका बहुत ही गलत है। हमारे सामने एक पुरानी परिपाटी विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में जैसी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है उसी दृष्टकोण को रखने के कारण हमको आज विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। हमारे यहां जो राधाकृष्णन कमीशन बना था उसने जो रेंकमेन्डेशन दीं और जो एक रूरल यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण को अपनाया है, मैं सोचती हूं, कि इस दृष्टिकोण पर शायद ही किन्हीं भाइयों ने दृष्टिपात किया हो। आज अगर हम रूरल यूनिवर्सिटीज के दृष्टिकोण को अपनायें तो हमें आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ मदद मिल सकती है। हमारे देश में शांतिनिकेतन एक ऐसी संस्था है कि जिससे सभी प्रभावित हैं। वहां पर जिस सादगी से पढ़ाया जाता है और जिस सादगी से आचार्य लोग रहते हैं वह रास्ता हमारे देश में स्थापित होने में हमें बड़ी मदद मिल सकती है। आज हमारा दृष्टिकोण एक ऐसे ऊंचे पैमाने की तरफ पहुंच जाता है कि विश्वविद्यालय का नाम इतना ऊंचा उठ गया कि उसके लिये हमें कई लाख रुपये की जरूरत पड़ जाती है।

यह मांग कुमायूं डिवीजन के लोगों की आवश्यक है और उचित है। उस एरिया के लिये जहां गरीब जनता के लिये शिक्षा के प्रबन्ध का कोई साधन नहीं है, नितान्त आवश्यक मांग है। एक भाई ने अभी बहुत ठीक ही कहा कि केवल खेती में सुधार से ही उनका सुधार नहीं हो सकता और उसके सुधार के लिये सरकार को और कुछ भी करना चाहिये। आज हमारे सामने उनकी आर्थिक स्थिति का और दुखद चित्र आता है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिये अपने घर से बहुत दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करने में बहुत धन व्यय करना पड़ता है अगर यहां ही एक यूनिवर्सिटी कायम हो जाय जो राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक रूरल यूनिवर्सिटी के अनुसार स्थापित हो तो यह काम बहुत कम धन में भी हो सकता है और उस प्रदेश के वातावरण के लिये और वहां के उन लोगों के लिये जो अपने को उपयोगी बनाने के उत्सुक हैं बहुत जरूरी चीज है। मेरठ डिवीजन के लिये भी एक यूनिवर्सिटी की मांग की गई है। अभी हाल में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये इस सदन से कुछ साधन उपलब्ध किये गये हैं।

मैं सोचती हूं कि आज हमारा दृष्टिकोण शिक्षा स्तर को ऊंचा बनाने के लिये होना चाहिये। लेकिन आज मैं शिक्षा के लिये अपना बदला हुआ दृष्टि कोण नहीं पाती हूं। आज हम अपनी परीक्षाओं का स्टैंडर्ड ही देख लें। जैसा कि भाई चतुर्वेदी जी अभी कह रहे थे कि अगर रिजल्ट में कुछ कमी हो जाती है तो उसमें फाइव परसेंट या कुछ परसेंट बढ़ा कर कंसेशन दिया जाता है। परीक्षाओं का दौर शुरु हुआ और साथ-साथ सिफारिशों का दौर शुरु हो जाता है। परीक्षाओं का ऐसा स्तर हो गया है कि लोग सिफारिशों से पास किये जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि जब हमारा एक बी० ए० का स्टूडेंट एक मामूली सी ऐप्लीकेशन लिखने में अपने आपको असमर्थ पाता है तो क्या कहा जाय। हमारा शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है। तो हमें इस दृष्टिकोण से देखना है और सबसे पहले चीज को देखनी है वह यह है कि चाहे कितनी भी यूनिवर्सिटियां खुल जायं चाहे कितने स्कूल्स

[श्रीमती चन्द्रवती]

बढ़ा दिये जायं जब तक शिक्षा का स्तर न बढ़ायेंगे उसका स्तर ऊंचा न उठायेंगे तब तक उतना लाभ नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले तो अपने शिक्षा स्तर को उठाना है उसके साथ साथ मेरठ के लिये एक यूनिवर्सिटी का होना जरूरी भी है। कानपुर में भी जहां स्टूडेंट्स की संख्या हजारों में है और जहां टेक्निकल और इंडस्ट्रियल कालेज हैं वहां एक विश्वविद्यालय का होना जरूरी है। अन्त में मैं इस उचित मांग का फिर से समर्थन करती हूं और इस भवन से प्रार्थना करती हूं कि इसमें उसको अपना सहयोग देना चाहिये।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, कुमायूं विश्वविद्यालय को स्थापित करने में मैं समझता हूं कि किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और इस संबंध में यदि सबको छोड़कर शिक्षा मंत्री जी को कोई आपत्ति है तो यह सोचते हुए कि उसको खास जिम्मेदारी शिक्षा की है, उनकी आपत्ति एक अजीब सी बात हो जाती है। कहा गया है कि संभवतः अभी उचित समय नहीं आया कि यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय मुझे यह तर्क भी समझ में नहीं आया। यदि शिक्षा प्रसार के लिये उचित समय आ गया है तो जो उच्चकोटि की शिक्षा है उसको स्थापित करने में माननीय मंत्री महोदय को क्या आपत्ति हो सकती है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि यदि यहां यूनिवर्सिटी स्थापित की जाय तो केवल चन्द डिग्री कालेज ही इसके मातहत होंगे और केवल एक हजार विद्यार्थी ही इस विश्वविद्यालय के मातहत होंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं कि इसमें आपत्ति क्या है। जब यहां गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक आया था तो मैंने यह उदाहरण रखा था कि इंगलैन्ड यानी स्काटलैन्ड और वेल्स को भी काट कर केवल इंगलैन्ड में इस समय १८ यूनिवर्सिटियां है और प्रति यूनिवर्सिटी के पीछे केवल दो, ढाई हजार विद्यार्थी हैं। कोई आपत्ति मुझे इसमें नहीं दीखती कि यदि विद्यार्थी कम हों तो इससे क्या नुक्सान होगा। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि यदि यह यूनिवर्सिटी स्थापित की जाती है तो नतीजा क्या होगा। नतीजा यह होगा कि जो भी कालेज इस विश्वविद्यालय की सीमा के अन्दर होंगे वह आगरा या किसी और विश्वविद्यालय से एफीलियेट न होकर इस युनिवर्सिटी से एफीलियेट हो जायेंगे। मैं तो उन लोगों में से हूं कि जो यह समझते हैं कि जहां तक हो सके हर विश्वविद्यालय में अलग एक खास बात होनी चाहिये। जो एक यूनिफार्मिटी का फैशन चल रहा है कि जैसा एक कानून बनाया एक यूनिवर्सिटी का वैसा ही या उससे मिलता जुलता दूसरी यूनिवर्सिटी का कानून भी होना चाहिये, इसे खत्म किया जाय। इस में अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि कोई लाभ नहीं है। छोटी सी बात लीजिये मैं या कोई भी अगर विलायत अध्ययन करने के लिये जाना चाहता है और यदि उसका विशेष रुख साइन्स की ओर है तो वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जायगा और अगर उसका रुख साहित्य की ओर है तो वह आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जायगा। क्या उत्तर प्रदेश का कोई विद्यार्थी इस तरह की बात सोचता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर एक विषय अधिक दक्षता के साथ पढाया जाता है तो हम इसमें जायेंगे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दूसरा विषय अधिक रुचि के साथ पढाया जाता है तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिल होंगे। यहां तो एक ढांचा है कि एम० ए० की डिग्री अगर लेनी है तो किसी विश्वविद्यालय में घुस जाओ और जो नजर पड़े, जिसमें सुभीता अधिक मिले उसी को ज्वाइन कर लो। यदि इसके विरोध में कोई बात कही भी जाय तो वह उस कल्पना का विरोध करेगी कि जो विद्या का विरोध करती है, स्पेशलाइज्ड शिक्षा के विरुद्ध यह बात जायगी।

तो अध्यक्ष महोदय, जहां तक उचित और अनुचित का प्रश्न है इसमें मैं समझता हूं कि कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। जितने जिलों के संबंध में कहा गया है उनमें मैं समझता हूं कि एक आध जिले और जोड़े जा सकते हैं, जैसे देहरादून का जिला है जो मैदानी होने के बावजूद भी टेहरी गढ़वाल और गढ़वाल जिलों से अटूट रूप से संबंधित है। इस तरह से इस विश्व-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्यालय के लिये काफी विद्यार्थी मिल सकते हैं और काफी डिग्री कालेज भी इसके मातहत हो सकते हैं।

पैसे का प्रश्न हमारे माननीय मंत्री जी अवश्य उठायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पैसे की भी उतनी कोई खास परेशानी नहीं है। टेहरी गढ़वाल की ओर से मैं कह रहा हूं, हालांकि इस में कोई विशेष किसी दल का प्रश्न नहीं है, टेहरी की एक विशेष परिस्थिति रही है और वहां की जनता की मांग रही है कि वहां का जो हेडक्वार्टर नरेन्द्रनगर में स्थापित है उसको टेहरी के वास्तविक हेडक्वार्टर में ले जाया जाय। यह टेहरी की जनता की मांग है और शासकीय दृष्टिकोण से उचित है। मैं समझता हूं कि पैसे के प्रश्न पर विचार करते समय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे और अगर वह नरेंद्र नगर से वहां का हेडक्वार्टर हटा लें तो उन्हें यूनिवर्सिटी के लिये काफी इमारत वहां मिल जायगी और पैसे का बहुत सा काम बिना पैसा लगाये ही हल हो जायगा। चाहे यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर नैनीताल ही हो और डिग्री कालेज नरेंद्रनगर में हो या उल्टी बात हो, वह जैसे भी चाहें तय हो सकता है। यह मैं खास कर टेहरी के लिये वहां के प्रतिनिधि होने के नाते नहीं कह रहा हूं लेकिन इसके संबंध में जिस जिले में हमें सुविधा प्राप्त है हम उससे लाभ उठा सकते हैं और उसके करण पैसे का सवाल बहुत हद तक हल हो सकता है। मंत्री महोदय को यह भी ज्ञात है कि इस सदन में एक माननीय सदस्य ने एक रिजोल्यूशन रखा था जिसका हालांकि सब सदस्यों ने स्वागत और समर्थन किया, अन्त में किन्हीं कारणों से उसे वापस ले लिया। वह था कि इस सदन में हर सदस्य की यह मांग है कि हर जिले में कम से कम एक डिग्री कालेज हो। इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुये कभी न कभी तो यह परिस्थिति आवेगी कि हर जिले में कम से कम एक डिग्री कालेज अवश्य होगा। सरकार किन्हीं कारणों से उसे अभी कार्यान्वित नहीं कर पा रही है किन्तु सैद्धांतिक रूप से सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूर भविष्य में या निकट भविष्य में एक ऐसा अवसर होगा तो यह क्यों उनके लिये आवश्यक बनाया जाय कि डिग्री कालेज किसी और से अपना ऐफीलियेशन करावें। न्यूक्लियस के लिये डिग्री कालेज मौजूद हैं, विद्यार्थी मौजूद हैं तो आपको वहां विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिये।

मैं सदन का ध्यान अपनी नियमावली के नियम ९५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इस सदन में मैं था नहीं, लेकिन एक माननीय सदस्य ने नारायण दत्त जी से इसे वापस लेने की प्रार्थना की थी। जब यह बिल एक बार मोशन टू इन्ट्रोड्यूस स्वीकार हो गया है तो यह नहीं हो सकता कि जब इतने सदस्यगण इसका समर्थन करते हैं तो इसे नारायणदत्त जी वापस लेवें। यदि वह वापस नहीं लेते हैं तो ३ उपाय हमारे सामने हैं। या तो सदन इस पर विचार आरम्भ तुरन्त कर दे, या प्रवर समिति में भेज दे या पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुलेट कर दिया जाय जो कि सुझाव नारायण दत्त जी ने अभी दिया है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि किसी विशेष कारण से इसका विरोध न करें। यह वहां के लोगों की मांग है। वह इसकी पूर्ति मंत्री जी से चाहते हैं। इसके लिये जो सामग्री चाहिये वह वहां उपलब्ध है। यह असंभव है कि आगरा यूनिवर्सिटी इतनी दूर इलाके की अच्छी तरह से निगरानी कर सकें। मैं माननीय नारायण दत्त जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और उनके सरकुलेट करने के सुझाव का समर्थन करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नारायण दत्त जी के इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बहुत उचित मांग है। मुझे नैनीताल में वर्षों से पिछले वर्ग से मिलने का अवसर मिला है। पहाड़ के लोग जब लखनऊ या इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो वहां उनकी क्या दुर्दशा होती है, यह किसी से छिपी नहीं है। जिस वर्ग से मैं आता हूं उनका तो कहना ही क्या है। खाने के लिये नहीं है और पहनने के लिये कपड़ा भी नहीं है और न रहने को मकान है। मैं इस गवर्नमेंट से ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हमारा सिद्धांत यह है कि चाहे कोई अच्छी चीज

[श्री शिवनारायण]

कांग्रेस को या सोशलिस्ट को ओर से आवे हम इसका समर्थन करते हैं। यह बिल बहुत सुन्दर है और इसमें बहुत अच्छा परिवर्तन नारायणदत्त जी ने किया है कि इस यूनिवर्सिटी के चांसलर गवर्नर नहीं होंगे यह एक नया परिवर्तन उन्होंने इसमें किया है। वहां का वाइस चांसलर उन्हीं शिक्षा संस्थाओं में से एक होगा यह भी एक उचित बात है कि सबसे अधिक चतुरता से शिक्षक ही विश्व-विद्यालय को चला सकता है, बाहरी आदमी उतनी अच्छाई से नहीं चला सकता। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं और कहना चाहता हूं कि उनका विचार बहुत सुन्दर है, अनुचित नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय की बात को सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक व्यक्ति ने कालेज के लिये ४ लाख रुपया दे दिया और अगर वहां पर यूनिवर्सिटी खोली जायगी तो कोई वजह नहीं है कि अगर वहां के लोग एक-एक रुपया भी देंगे तो २२ लाख रुपया हो जायेगे।

दूसरी बात मान्यवर यह है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋषियों के जमाने में हमारी शिक्षा पहाड़ों और गुफाओं में ही होती रही है। इस सिनेमा संसार से दूर है वह नैनीताल का पहाड़ी इलाका। वहां पर विद्यार्थी पढ़ेंगे तो सिनेमा के शो से, अमीनाबाद और हजरतगंज घूमने से फुरसत पा जायंगे। उन्हें ६ घंटे के बजाय १८ घंटे काम करने को मिल सकते हैं। माननीय सदस्य भी गरमी में नैनीताल जाते हैं, मिनिस्टर साहबान जाते हैं, बड़े-बड़े आफीसरान जाते हैं, वहां की क्लाइमेट बड़ी सुन्दर है, ठंडी है जिसमें काम अधिक होता है। विद्या के अध्ययन में ठंडक चाहिये, शांतिपूर्ण वातावरण चाहिये। हमारे मित्र ने इंग्लिस्तान का जिक्र किया कि वहां की क्लाइमेट ठंडी है वहां बहुत अच्छे-अच्छे विद्वान मिलते हैं उसी दृष्टि से अगर देखा जाय तो हमारे माननीय गोबिन्द वल्लभ पंत उन्हीं पहाड़ों से आते हैं जो भारत के स्तंभ हैं, रक्षक हैं और मान्य हैं। जब हिमालय से ऐसे-ऐसे रत्न पैदा हो सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि वहां पर यूनिवर्सिटी न खोली जाय।

मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां वेदों का अध्ययन इन्हीं पहाड़ों में बैठकर हुआ। शंकर ने यहां बैठकर अध्ययन किया। हमारी बड़ी-बड़ी पुस्तकें और शास्त्र यहीं लिख गये। माननीया चन्द्रवती जी ने कहा कि आज का ग्रेजुएट अर्जी भी नहीं लिख सकता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहाड़ों के लोग काफी विद्वान होते हैं। सूबे के सबसे बड़े पढ़े लिखे वहां पर मिलते हैं। मैजारिटी में वहां पढ़े लिखे होते हैं। जिन लोगों के पास खाने को नहीं, रहने को नहीं वहां के लोग ज्यादा उद्योगी होते हैं और जो उद्योगी पुरुष है वही आगे भी बढ़ते हैं "उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी"। इसलिये मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर कुमायूं डिवीजन में यूनिवर्सिटी कायम होगी तो इस देश का और इस प्रांत को वह सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी होगी और लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज को टाप करेगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जड़ी बूटियों का खजाना हिमालय है। नाना प्रकार की जड़ी बूटियां वहां मिल सकती हैं और उनसे आयुर्वेदि का उत्थान किया जा सकता है। हिमालय की गुफाओं में बैठकर विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं और उनके सही-सही पता लगा सकते हैं। ऐलोपैथिक डाक्टर तो सुई भोकते हैं और हमारे यहां सुखैन वैद्य ने ऐसी दवा बतायी कि कि जरा से जिसने अपने प्रभाव से संज्ञाशून्य को उठा कर खड़ा कर दिया। लेकिन हमारी गुलामी के कारण उस स्थिति में परिवर्तन हो गया है और भारत की वह विद्या लुप्त हो गयी। मुझे आशा है कि अगर वे मिल सकती हैं तो हिमालय की गुफाओं में ही मिल सकती हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैं पहले वर्ष नैनीताल गया तो मैंने अपना बक्सा एक कुली को सौंप दिया। उसमें मेरा पूरा सामान भरा था जिसको लेकर वह चला गया। मैंने माननीय शिवप्रसाद जी से कहा कि उसमें मेरे ५० रुपये भी थे, वह तो लेकर चला गया। लेकिन जब मैं क्लब पहुंचा तो देखा कि वह आदमी बक्सा लिये बैठा है।

मुझे पूरा विश्वास है कि अगर किसी को राम राज्य की कल्पना प्रत्यक्ष देखनी हो तो वह नैनीताल की उन गरीबों की कुटियों में देखी जा सकती है। उनसे मिल कर बड़ी शांति मिलती है। वहां के लोग बड़े ईमानदार होते हैं। वैसे प्लन पर भी होते हैं। प्लेन के लोग भी कहते हैं कि अगर पहाड़ी नौकर मिल जाय तो बड़ा अच्छा होगा। मैं तो कहता हूं कि उन लोगों को अवसर मिलना चाहिये कि वे अपना उत्थान करें।

आज का मानव युग साइंस का युग है ? आज हम साइंटिस्ट चाहते हैं, डाक्टर चाहते हैं, बड़े-बड़े विद्वान् चाहते हैं, आज एटम् बम और हाइड्रोजन बम जो रूस और अमेरिका बना रहे हैं उसे हमारा देश भी बना सकता है। इसके लिये हमें बड़े-बड़े साइंटिस्ट चाहिये, बड़े-बड़े विद्वान् चाहिये तभी यह हमारे यहां पैदा हो सकता है और वह कहां पैदा हो सकते हैं वे हिमालय की गुफाओं में और उस ठंडे एटमासफेयर में ही पैदा हो सकता है। वहां हम श्री शरतचन्द्र बोस जैसा विद्वान् पैदा कर सकते हैं, साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो मांग है वह व्यर्थ नहीं जायगी, वह सफल होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी सामने बैठे हुये हैं, उन्होंने आज एक ऐसा बीजारोपण किया है कि जिसके लिये एक-एक पहाड़ी उनका ऋणी रहेगा और उन्होंने जो एक सुन्दर चीज की स्थापना का सुझाव दिया है उसका उनके जीवन में एक रिकार्ड रहेगा।

मैं दूसरी बात मान्यवर, ज्योतिष विद्या के संबंध में कहना चाहता हूं। इस विद्या का हमारे देश में एक बड़ा ही सुन्दर स्थान रहा है। नक्षत्रों का चलना, उनका हिसाब लगाना, उनके सही-सही आंकड़े लगाना और हिसाब लगा कर यह बतलाना कि आज संसार में क्या हो रहा है, कल अमेरिका का बाजार क्या होगा, इस विद्या के द्वारा आसानी से बतलाया जा सकता है। श्रीमन, हमारे गांव के रहने वाले एक पंडित जी है, जो प्लेन पर रहने की वजह से गर्मी में परेशान हो जाते हैं और मुश्किल से ४ घंटे ही काम कर पाते हैं। अगर हिमालय में रहने का उनको मौका मिलता तो वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ कर वे नक्षत्र विद्या के बहुत बड़े विद्वान् हो सकते थे और इस तरह से वे देश के नेताओं को अपने देश की उन्नति और अवनति के संबंध मे ज्योतिष विद्या के जरिये पहले से ही आगाह कर देते। लेकिन यह चीज अगर हो सकती है तो हिमालय की गुफाओं में और उस ठंडे वातावरण में ही हो सकती है।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस बिल के मुताल्लिक हमारे मित्र मल्ल साहब ने जो उधर बैठे हुये हैं जब कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि पहाड़ के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, तो इधर के भी एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्लेन के भी खूबसूरत होते हैं। श्रीमन्, यह तो भगवान की देन है, गोरे और काले तो हर जगह मिल सकते हैं। यह सही है कि चाहे झांसी हो या देवरिया हो हर जगह गोरे और काले मिल सकते हैं। यह तो स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आबोहवा का असर जरूर पड़ता है। यह ठीक है कि पहाड़ के ज्यादा लोग गोरे होते हैं लेकिन इसकी नाप तो बुद्धि से ही को जानी चाहिये। श्रीमन्, इस बिल में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की कोई तनख्वाह की बात नहीं रखी गयी है। हमारे मित्र का यह कहना है कि इसको पहले पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय। वहां से आने के बाद तक इस पर विचार कर लिया जायगा। उनका यह सोचना ठीक है कि पब्लिक ओपीनियन के लिये यह जाय, क्योंकि पब्लिक में जाने से इसका प्रचार होगा और उनसे इस यूनिवर्सिटी के लिये पैसा भी काफी मिलेगा जिससे सरकार को भी कम पैसा देना पड़ेगा और उनको काफी सहायता मिलेगी।

मान्यवर, उन्होंने बतलाया कि इस यूनिवर्सिटी में स्टुडेंटस का भी एक संगठन होगा। वह अच्छा ही है कि वहां के विद्यार्थी अपना एक संगठन बनावें।

श्री अध्यक्ष—क्या आप दूसरे रोज भी बोलना चाहते हैं ?

श्री शिवनारायण—जी हां, अभी जारी रखूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो जारी रखिये ।

श्री शिवनारायण—श्रीमन्, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विद्यार्थियों का संगठन जो होगा वह ठंडे ऐटमासफीयर में होगा जिससे उनके दिमाग में कोई विकृतपन नहीं उत्पन्न होगा। और मैदान में गरमी के कारण, वैसी जलवायु न होने के कारण बहुत सी गड़बड़ियां होती हैं और वहां की सोसाइटी और यहां की सोसाइटी में जमीन आसमान का अन्तर है। हमारे देश को आज जैसे नौजवानों की जरूरत है, जिनको देश की आने वाली रेसपांसिबिलिटी को शोल्डर करना है, हमें भावी नेताओं की जरूरत है, हमें सिपाही की जरूरत है, हमें रक्षक की जरूरत है, हमें अफसरों की जरूरत है, हमें पंडितों की जरूरत है, हमें विद्वानों की जरूरत है और उन सब को पैदा करने के लिये हमें ऐसी संस्थाओं की जरूरत है कि जहां हमारे बच्चे सही मानों में सही ट्रेनिंग पा सकें। यह विश्वविद्यालय विधेयक जो आया है मैं समझता हूं ठीक है, गलत नहीं है। दूसरी बात मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष—अभी आप जारी रखेंगे इसलिये अब आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

अब हम उठते हैं और सोमवार, १३ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १३ अगस्त, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;
१० अगस्त, १९५६ ।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ १७२ पर)

कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

यह आवश्यक है कि नैनीताल में एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय, अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम कुमायूं विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह अधिनियम ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

२—विषय या संदर्भ में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "कालेज" का तात्पर्य किसी ऐसी शिक्षा संस्था से है जो विश्वविद्यालय से संबद्ध (affiliated) हो तथा जिसमें विश्वविद्यालय की उपाधियों के निमित्त शिक्षा दी जाती हो;

(ख) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(ग) "कार्यकारिणी परिषद्" (Executive Council) तथा "विद्वत् परिषद्" (Academic Council) का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् और विद्वत् परिषद् से है;

(घ) "फैकल्टी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की फैकल्टी से है;

(ङ) "राज्यपाल" (Governor) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(छ) "हाल" का तात्पर्य निवास (residence) की ऐसी इकाई (unit) से है, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित (maintained) या अभिज्ञात (recognized) हो, और जिसमें पाठन (tutorial) तथा अन्य अनुपूरक (supplementary) शिक्षण की व्यवस्था हो;

(ज) "छात्रावास" (hostel) का तात्पर्य, हाल से भिन्न विद्यार्थियों के निवास की ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात या संधारित हो;

(झ) "प्रबन्धक" (management) का तात्पर्य ऐसे प्रबन्ध समिति (Managing Committee) या अन्य संस्था से है जिस पर किसी कालेज के कार्यों के प्रबन्ध का भार हो;

(ञ) "प्रिंसिपल" का तात्पर्य किसी कालेज के अध्यक्ष अथवा इस पद पर कार्य करने के लिये यथोचित रूप से (duly) नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) "नियत" (सजातीय पदों सहित) का तात्पर्य परिनियमों (Statutes) द्वारा नियत से है;

(ठ) "पंजीकृत स्नातक" (Registered Graduate) का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत किसी स्नातक से है;

(ड) "परिनियमों", "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" (Statutes, Ordinances and Regulations) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निमित्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों से है;

(ढ) "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में यथाविधि स्थापित (duly instituted) किसी उपाधि (degree), डिप्लोमा या शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टता (academic distinction) के निमित्त किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रयोजन से भर्ती हुआ हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी कालेज में भर्ती हुआ हो;

(ण) "अध्यापक" (teacher) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी विभाग में या किसी कालेज में अध्यापन कार्य में लगे किसी ऐसे प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर या अन्य व्यक्ति से है जो परिनियमों द्वारा अध्यापक घोषित किया जाय;

(त) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में या उसकी ओर से अध्यापन के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी अध्यापक से है;

(थ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य कुमायूं विश्वविद्यालय से है।

विश्वविद्यालय

३—(१) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति (Chancellor) तथा प्रथम उपकुलपति (Vice-Chancellor) तथा कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत परिषद् के प्रथम सदस्य तथा वे समस्त व्यक्ति, जो एतद्पश्चात् (hereafter) ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे उक्त पद पर या सदस्य बने रहें, एतद्द्वारा (hereby) "गोरखपुर कुमायूं" के नाम से एक निगमित संस्था (body corporate) संगठित किये जाते हैं।

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकारी (perpetual succession) होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा वह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत करेगा और उसी नाम से उस पर वाद प्रस्तुत किया जायगा।

(३) अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ अध्ययन (study) की विभिन्न शाखाओं में शिक्षण देने, मौलिक अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्र में स्थित कालेजों के कार्यों के निर्देशन एवं नियंत्रण की व्यवस्था करने के निमित्त विश्वविद्यालय निगमित समझा जायगा।

विश्वविद्यालय सभी जातियों तथा वर्गों के लिए होगा।

४—विश्वविद्यालय इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुये, सभी व्यक्तियों के लिये होगा और उसमें जाति अथवा वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायगा किन्तु इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम (course of study) में अध्यादेशों द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थी प्रविष्ट करने को बाध्य है।

विश्वविद्यालय के अधिकार।

५—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकार होंगे:—

(१) विद्या (learning) की ऐसी शाखाओं में शिक्षण का प्रबन्ध करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे तथा अनुसन्धान कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(२) धारा ५ की उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित कालेजों को संबद्ध करना, तथा उनके कार्य का निर्देशन एवं नियंत्रण;

(३) उपाधियों, डिप्लोमों तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं की स्थापना करना (institute) ;

(४) उपाधियों, डिप्लोमों तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं के निमित्त परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं संप्रदान करना (grant and confer)—

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय या किसी कालेज में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा तदर्थ अभिज्ञात (recognized) किसी संस्था में या स्वतंत्र-रूप से परिनियमों तथा अध्यादेशों में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुसंधान कार्य (research) किया हो;

(ग) जो शिक्षा संस्थाओं के ऐसे अध्यापक हों जो अध्यादेशों में एतदर्थ नियत शर्तें पूरी करते हों या जो उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नियोजित (employed), निरीक्षण पदाधिकारी (inspecting officer) हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों;

(५) परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों तथा रीति से सम्मान्य उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें (honorary degrees or other distinctions) प्रदान करना;

(६) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमें प्रदान करना तथा उनके निमित्त ऐसे व्याख्यानों (lectures) तथा शिक्षण की व्यवस्था करना, जिसे विश्वविद्यालय निर्धारित करे;

(७) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के निमित्त सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय निर्धारित करे;

(८) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों (teaching posts) की स्थापना करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(९) कालेजों और हालों में शिक्षण देने के निमित्त अध्यापकों को अभिज्ञात करना;

(१०) कालेजों की संबद्धता सम्बन्धी शर्तें नियत करना तथा नियत कालिक (periodical) निरीक्षणों द्वारा और अन्य प्रकार से अपना यह समाधान करना कि वे शर्तें पूरी की जा रही हैं;

(११) परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार फेलोशिप [जिसके अन्तर्गत यात्रिक फेलोशिप (travelling fellowships) भी हैं], छात्रवृत्तियों (scholarships), विद्यावृत्तियों (studentships) तथा पारितोषिकों (prizes) की स्थापना करना और उन्हें प्रदान करना;

(१२) हालों तथा छात्रावासों की स्थापना एवं संधारण (maintenance) तथा विश्वविद्यालय एवं कालेजों के विद्यार्थियों के निवास के निमित्त निवासस्थानों को अभिज्ञात करना;

(१३) ऐसे शुल्क (fees) तथा अन्य परिव्यय (charges) मांगना और प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायं;

(१४) विश्वविद्यालय तथा कालेजों के विद्यार्थियों के निवास का अधीक्षण (supervision) और नियंत्रण करना और उन विद्यार्थियों के अनुशासन का नियमन करना तथा उनके स्वास्थ्य को उन्नत करने का प्रबन्ध करना;

(१५) प्रशासकीय (administrative), करणिक (ministerial) तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना; तथा

(१६) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित अन्य समस्त कार्य और बातें करना, चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों से आनुषंगिक हों या न हों।

निरीक्षण

६—(१) राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जैसा वह आदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, योगशालाओं (laboratories) तथा साज-सज्जा (equipment) और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा कृत (conducted or done) परीक्षाओं, अध्यापन कार्यों तथा अन्य कार्यों का भी निरीक्षण (inspection) करा सकती है और साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी मामले के विषय में उसी प्रकार जांच (inquiry) करवा सकती है।

(२) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में, विश्वविद्यालय को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच करवाना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यालय को अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिसे उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने अथवा सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा।

(३) राज्य सरकार, उक्त निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों के संबंध में उपकुलपति को संबोधित कर सकती है तथा उपकुलपति सरकार के विचारों को और ऐसे परामर्श (advice) को जो राज्य सरकार की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में दे, कार्यकारिणी परिषद् को ज्ञापित (communicate) करेगा।

(४) कार्यकारिणी परिषद् उप-कुलपति द्वारा राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में यदि कोई हो, जिसे वह ऐसे निरीक्षण अथवा ऐसी जांच के फलस्वरूप करना चाहे, या जो उसने की हो, ज्ञापित करेगी।

(५) यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार क संतोषानुसार कार्यवाही न करें, तो राज्य सरकार उक्त प्राधिकारियों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण (explanation) अथवा अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके ऐसे आदेश प्रचारित करेगी, जिन्हें वह उचित समझे और विश्वविद्यालय प्राधिकारी उनका अनुपालन करने के लिये बाध्य होंगे।

संबद्ध कालेजों का निरीक्षण।

७--(१) राज्य सरकार, स्वतः अथवा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् की सिफारिश से, ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, किसी भी संबद्ध कालेज, उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला अथवा छात्रावास और उस कालेज द्वारा किये जाने वाले अध्यापन-कार्य का निरीक्षण और कालेज से संबंधित किसी विषय की समान रीति से जांच (enquiry in the like manner) करवा सकती है। राज्य सरकार प्रत्येक दशा में विश्व-विद्यालय तथा सम्बद्ध कालेज को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच कराना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् और कालेज के प्रबन्धक को अपना एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा और उन प्रतिनिधियो को उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा। यदि राज्य सरकार चाहे तो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि भी उन व्यक्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है, जो निरीक्षण अथवा जांच करने के लिये नियुक्त किये गये हों।

(२) ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों को राज्य सरकार प्रबन्धक (management) को ज्ञापित कर सकती है और उसे परामर्श दे सकती है कि अमुक कार्यवाही की जाय।

(३) यदि प्रबन्धक (management) उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्य नहीं करता तो राज्य सरकार प्रबन्धक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके ऐसे आदेश प्रचारित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और प्रबन्धक तुरन्त ही ऐसे आदेशों का अनुपालन करेगा।

८--विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे--

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी

(१) कुलपति (Chancellor),
(२) उप-कुलपति (Vice-Chancellor),
(३) कोषाध्यक्ष (Treasurer),
(४) प्रस्तोता (Registrar)
(५) छात्र-कल्याण के डीन (Dean of Student Welfare),
(६) फैकल्टियों के डीन (Dean of Faculties); और

(७) विश्वविद्यालय की सेवा में संलग्न ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जायं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(१) कोर्ट,

(२) कार्यकारिणी-परिषद् (Executive Council),

(३) विद्वत् परिषद् (Academic Council),

(४) फैकल्टियों के बोर्ड (Boards of Faculties),

(५) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये निर्वाचन समितियां (Selection Committees),

(६) डेलीगेसी, तथा

(७) अन्य ऐसे पदाधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं।

कुलपति

९—(क) उत्तर प्रदेश के महान्यायाधिपति (Chief Justice) विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। वह पदेन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष (head) तथा कोर्ट के सभापति (president) होंगे और उपस्थित रहने पर वह विश्वविद्यालय की कोर्ट की और दीक्षान्त समारोह (convocation) के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेंगे।

(ख) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उन्हें दिये जायं।

उप-कुलपति

१०—(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक (whole time) पदाधिकारी होगा और इस धारा में विहित रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) उप-कुलपति के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं और नियुक्ति के पश्चात् उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(३) उप-कुलपति ५ वर्ष के लिये पदासीन रहेगा, किन्तु किसी भी समय कुलपति को संबोधित, लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। सामान्यतया त्याग-पत्र उस दिनांक से जब से कि वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता है, कुलपति को कम से कम ६० दिन पूर्व दिया जायगा।

(४) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (८) में अभिदिष्ट रिक्ति (vacancy) से भिन्न दशा में उप-कुलपति के पद पर किसी भी समय पहले आसीन रहा हो, पुनर्नियुक्ति का पात्र न होगा।

उप-कुलपति

(५) (क) उप-कुलपति, कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उपधारा (२) में उद्दिष्ट समिति द्वारा प्रस्तुत किये जायं;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुलपति यदि वह उचित समझे, इन नामों को अपनी आलोचनाओं (observations) के साथ समिति को वापस भेज सकता है तथा और नाम मंगवा सकता है और तब समिति उन नामों में

ऐसे परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन कर सकेगी, जो वह उचित समझे या उन्हीं नामों का फिर भेज सकेगी।

(ख) तीन व्यक्तियों की एक समिति, जिसमें से एक-एक व्यक्ति कार्यकारिणी सभा, शिक्षा सभा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा, ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने के पश्चात् जिन्हें वह उचित समझे, कुलपति को उप-कुलपति की नियुक्ति के लिये तीन व्यक्तियों से अन्यून (not less than) नामों की सिफारिश करेगी।

(ग) उपधारा (२) के अधीन सिफारिश किये गये नामों के साथ-साथ समिति कुलपति को एक ऐसा संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेगी, जिसमें उसके द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यताएँ तथा अन्य विशिष्टतायें (distinctions) दिखाई गयी हों।

(६) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उप-कुलपति के पद का स्थान रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा। यदि उक्त रिक्ति छः मास से अधिक की अवधि के लिये हो या उसके ऐसा होने की संभावना हो तो कुलपति कार्यकारिणी परिषद् से अपनी सिफारिशें भेजने का अनुरोध करेगा, तथा उपधारा (१) के उपबन्ध रिक्ति-पूर्ति के सम्बन्ध में यथाशक्य लागू होंगे। अन्य दशाओं में कार्यकारिणी परिषद् कुलपति के अनुमोदन के अधीन रहते हुये या तो उप-कुलपति नियुक्त कर सकती है या उस पद का कार्य चलाने के लिये ऐसा अन्य प्रबन्ध कर सकती है, जो वह उचित समझे।

(७) जब तक कि उपधारा (६) के अधीन प्रबन्ध न हो जाय तब तक रजिस्ट्रार उप-कुलपति के पद के साम्प्रतिक कर्तव्यों (current duties) का पालन करेगा, किन्तु वह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों (authorities) की बैठकों का सभापतित्व नहीं करेगा।

उप-कुलपति के अधिकार और कर्त्तव्य।

११—(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और कुलपति की अनुपस्थिति में कोर्ट के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा। वह कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा। उसे विश्वविद्यालय के अन्य किसी प्राधिकारी (authority) या संस्था के अधिवेशनों की कार्यवाहियों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु केवल इस उपधारा के कारण, उसे उस सभा में मत देने का अधिकार न होगा।

(२) उप-कुलपति का कर्त्तव्य यह होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाता है और धारा ३१ के अधीन कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त होंगे, जो तदर्थ आवश्यक हों।

(३) उप-कुलपति को कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् के अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह इस अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधानित (delegate) कर सकता है।

(४) उप-कुलपति विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेजों के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) किसी ऐसी आकस्मिक स्थिति (emergency) में, जिसमें उप-कुलपति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, वह ऐसी कार्यवाही करेगा, जिसे वह आवश्यक समझे और की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या अन्य संस्था को देगा, जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से उप-कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(६) यदि उपधारा (५) के अधीन उप-कुलपति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो वह व्यक्ति उस दिनांक से जिस पर उसे कार्यवाही की सूचना दी गयी हो, १५ दिन के भीतर कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अपील कर सकता है।

(७) पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति, निलम्बन (suspension) और पदच्युति के सम्बन्ध में कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दी गयी आज्ञाओं को उप-कुलपति कार्यान्वित करेगा।

(८) उप-कुलपति दीक्षान्त समारोह में ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा, जो उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कुलपति उपस्थित हो तो वह ही किन्हीं या समस्त उपाधियों को प्रदान करेगा।

(९) उप-कुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये जायं।

कोषाध्यक्ष

१२—(१) कोषाध्यक्ष आगे दी गयी रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा :—

(क) कार्यकारिणी परिषद् यथाशक्य उस दिनांक से, जब से कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने वाला हो, कम से कम ३० दिन पहले और जब कभी कुलपति द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, कुलपति के पास कोषाध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिये उपयुक्त तीन व्यक्तियों से अनधिक के नाम भेजेगी।

(ख) यदि ऐसे नाम या नामों की संख्या, जिसे या जिन्हें खंड (क) के अधीन कुलपति को प्रस्तुत करने के लिये कार्यकारिणी परिषद् में प्रस्तावित किया गया हो, तीन से अधिक न हो, तो परिषद् इन सभी नामों को प्रस्तुत करेगी, किन्तु यदि नामों की संख्या तीन से अधिक हो तो परिषद् इस प्रकार प्रस्तावित नामों में से तीन नाम एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित करेगी।

(ग) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो। अन्य

दशाओं में कुलपति उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियुक्त करेगा, जिनके नाम खंड (ख) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये हों।

(२) कोषाध्यक्ष ६ वर्ष की अवधि के लिये पदासीन रहेगा और उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर भी उस समय तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय। उसे विश्वविद्यालय की निधियों में से ऐसा पारिश्रमिक (यदि कोई हो) मिलेगा, जो परिनियम द्वारा नियत किया जाय।

(३) धारा १० की उपधारा (२), (३), (६) तथा (७) में उल्लिखित त्यागपत्र पारिश्रमिक से भिन्न सेवा की अन्य शर्तों, अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति तथा साम्प्रतिक कर्तव्यों के सम्पादन सम्बन्धी व्यवस्थायें, आवश्यक परिवर्तनों सहित, कोषाध्यक्ष के पद के सम्बन्ध में लागू होंगी।

(४) कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद् का पदेन सदस्य होगा और विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा विनियोजित धनराशियों (investments) का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगा। वह वार्षिक तखमीनों (जिन्हें इस अधिनियम में बजट कहा गया है) तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) कोषाध्यक्ष का निम्नलिखित कर्तव्य होगा—

(१) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा विनियोजन (investment) के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में कोई ऐसा व्यय न किया जाये जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को न होने देना जो किसी परिनियम या अध्यादेश के निबन्धनों (terms) का उल्लंघन करे, या जिसके लिये परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था अपेक्षित हो किन्तु की न गई हो।

रजिस्ट्रार १३—(१) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जिसे कार्यकारिणी परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर (consist) संगठित निर्वाचन समिति की सिपारिश पर नियुक्त करेगी—

(१) उपकुलपति;

(२) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक शिक्षाविद् (educationist); तथा

(३) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Public Service Commission Uttar Pradesh) का अध्यक्ष (Chairman) या उसके द्वारा एतदर्थ नामनिर्देशित कोई सदस्य।

(२) रजिस्ट्रार को देय वेतन और भत्ते अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायेंगे।

(३) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के अभिलेखों (records) तथा सामान्य मुद्रा की समुचित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह कोर्ट

कार्यकारिणी परिषद्, विद्वत्परिषद, वित्त समिति, निर्वाचन समितियों तथा परामर्श समिति (Committee of Reference) का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना रखने के लिये बाध्य होगा जो कार्य संपादन के लिये आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो नियत किये जायं अथवा समय-समय पर कार्यकारिणी सभा अथवा उप-कुलपति द्वारा अपेक्षित हों।

(४) वह परीक्षाओं का संचालन करेगा और एतदर्थ अन्य आवश्यक व्यवस्था करेगा और उनसे संबद्ध समस्त प्रक्रियाओं (processes) के समुचित निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिये ऐसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त, जिसकी व्यवस्था परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा की जाय, न तो किसी पारिश्रमिक के प्रदान का प्रस्ताव किया जायगा और न वह उसे स्वीकार ही करेगा।

कोर्ट

१४—(१) कोर्ट निम्नलिखित से मिल कर बनेगा:—

वर्ग १—पदेन सदस्य

(१) कुलपति, उप-कुलपति, कोषाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी जो नियत किये जायं ;

(२) उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री जो नियत किये जायं;

(३) राज्य सरकार के शिक्षा, उद्योग तथा कृषि के संचालकगण;

(४) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य।

वर्ग २—आजीवन सदस्य—

(५) ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय एवं विद्या के प्रति की गई महती सेवाओं के आधार पर कुलपति द्वारा आजीवन सदस्य नियुक्त किये जायं;

(६) वे सभी व्यक्ति जो पूरे एक कार्यकाल (term) के लिये विश्वविद्यालय के उप-कुलपति रहे हों;

(७) वे सभी व्यक्ति, जिन्होंने विश्वविद्यालय के प्रति, अथवा प्रयोजनों के निमित्त, ऐसी धनराशि दान में दी हो, जो एतदर्थ नियत की जाय।

वर्ग ३—

(८) ऐसे अध्यापकों के प्रतिनिधि जो नियत किये जायं;

(९) आवासिक इकाइयों (residential units) एवं बहिर्द्वार कार्यकलापों (extra-mural activities) के निरीक्षण कर्मचारिवृन्द (supervisory staff) के प्रतिनिधि;

(१०) कालेजों के प्रबन्धकों के प्रतिनिधि।

वर्ग ४—

(११) पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन जो नियत किये जायं, एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित किये जायं।

वर्ग ५—दानदाता एवं उनके प्रतिनिधि

(१२) वे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के प्रति अपने दान के कारण निर्दिष्ट अवधि के लिये परिनियमों के अधीन सदस्य होने के अधिकारी हों;

(१३) उन व्यक्तियों, संगठनों या व्यक्ति-समुदायों (bodies of individuals) के प्रतिनिधि, जो विश्वविद्यालय के प्रति अथवा प्रयोजनों के लिये, ऐसी धनराशि का जो नियत की जाय, दान (donations) अथवा वार्षिक अंशदान देने के उपलक्ष्य में परिनियमों के अधीन प्रतिनिधित्व के अधिकारी हों।

वर्ग ६—

(१४) उद्योग, वाणिज्य, कृषि तथा प्रक्षेत्र (region) की विद्वत्संस्थाओं (learned bodies) तथा विद्वत्वृत्तियों (learned professions) का प्रतिनिधित्व करने वाले ४ से अनधिक ऐसे व्यक्ति जिन्हें संबंधित संस्थायें नाम निर्देशित करें ।

वर्ग ७—उत्तर प्रदेश विधान मंडल के प्रतिनिधि

(१५) राज्य की विधान परिषद् द्वारा चुने जाने वाले उसके दो सदस्य,

(१६) राज्य की विधान सभा द्वारा चुने जाने वाले उसके पांच सदस्य।

वर्ग ८—

(१७) कुलपति के, ८ से अनधिक, नाम निर्देशित व्यक्ति ।

वर्ग ९—

(१) उन सदस्यों की संख्या जो विश्वविद्यालय, या किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में हों, सामान्यतया अन्य सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(२) वर्ग १ तथा २ को छोड़कर शेष सभी वर्गों के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति, निर्वाचन या नाम निर्देशन की रीति तथा उनका कार्यकाल इस अधिनियम में अन्यथा की गयी किसी व्यवस्था को छोड़ कर, वह होगी, जो नियत की जाय।

(३) कोर्ट, पदेन या आजीवन सदस्य से भिन्न किसी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है, जो बिना पर्याप्त कारण के कोर्ट के लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा हो।

कोर्ट के अधिवेशन

१५—(१) प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक पर, जिसे उप-कुलपति निश्चित करेगा, कोर्ट का एक अधिवेशन होगा, जो कोर्ट का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(२) उप-कुलपति जब भी उचित समझे कोर्ट का विशेष अधिवेशन बुला सकता है और ऐसी लिखित अधियाचना (requisition) पर, जिस पर कोर्ट के ३० से अन्यून सदस्यों के हस्ताक्षर हों, वह कोर्ट का विशेष अधिवेशन अवश्य बुलायेगा ।

कोर्ट के अधिकार तथा कृत्य।

१६—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कोर्ट को कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् के उन कार्यों की समीक्षा (review) करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अनुकूल न हों तथा वह विश्वविद्यालय के ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनको इस अधिनियम अथवा परिनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो। विशेषतया कोर्ट निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा :—

(क) परिनियम (statutes) बनाना तथा उनका संशोधन एवं निरसन (repeal) करना;

(ख) अध्यादेशों (ordinances) पर विचार करना तथा उन्हें रद्द (cancel) करना;

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन (annual report), वार्षिक लेखा, बजट तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा प्रशासन सम्बन्धी सामान्य नीति विषयक किसी मामले पर विचार करना तथा संकल्प (resolution) पारित करना।

कार्यकारिणी परिषद्।

१७—(१) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिका निकाय (Executive Body) होगी और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

१—उप-कुलपति;

२—कोषाध्यक्ष;

३—फैकल्टियों के चार डीन;

४—छात्र-कल्याण के डीन (Dean of Student Welfare);

५—किसी सम्बद्ध कालेज का एक प्रिंसिपल;

६—विभागाध्यक्षों (Heads of Departments) से भिन्न विश्वविद्यालय के तीन अध्यापक;

७—५ ऐसे व्यक्ति जो कोर्ट द्वारा अपने ऐसे सदस्यों में से, जो विश्वविद्यालय, किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में न हों एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा निर्वाचित किये जायंगे;

८—कुलपति द्वारा नाम निर्देशित तीन व्यक्ति।

(२) शीर्षक (५) तथा (६) के अधीन तथा फैकल्टियों के डीनों की संख्या ४ से अधिक होने पर शीर्षक (३) के अधीन सदस्यों के चुनने की रीति नियत की जायगी।

(३) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार और कर्तव्य।

१८—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार तथा कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को अपने कब्जे में रखना, उन पर नियंत्रण रखना तथा इस सम्बन्ध में सामान्य आदेश (general directions) प्रचारित करना;

(ख) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल अथवा अचल संपत्ति के हस्तान्तरण (transfer) को स्वीकार करना;

(ग) विशिष्ट उद्देश्यों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी निधियों को प्रकाशित करना (administers);

(घ) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(ङ) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार फेलोशिप (fellowship), छात्रवृत्तियों (scholarships), निर्धन छात्रवृत्तियां (bursaries), पदक (medals) तथा अन्य पारितोषिक (rewards) प्रदान करना;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य सेवकों को नियुक्त करना, उनके कर्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करना तथा उनके पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना;

(छ) परीक्षक नियुक्त करना तथा परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षाफलों के प्रकाशन का निर्देशन करना;

(ज) कुलपति की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुये, निर्दिष्ट (specified) उपाधियों के निमित्त अध्यापन कार्य के लिये किसी कालेज को संबद्ध करने की स्वीकृति देना तथा ऐसी संबद्धता (affiliation) को वापस लेना;

(झ) कालेजों, हालों तथा छात्रावासों और विद्यार्थियों के रहने के अन्य स्थानों के निरीक्षण की व्यवस्था तथा उनका निर्देशन करना;

(ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आधार (form) तथा प्रयोग का निर्देशन करना;

(ट) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से संसक्त सभी मामलों का विनियमन तथा निर्धारण (to regulate and determine) तथा ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उसे दिये गये अथवा उस पर आरोपित किये गये हों।

(२) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर कार्यकारिणी परिषद् को परामर्श देने के निमित्त एक समिति नियुक्त करेगी [जो एतद्पश्चात् वित्त समिति (Finance Committee) कहलायेगी], यह समिति कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी परिषद् के ४ सदस्यों--जिनमें से दो से अधिक विश्वविद्यालय या किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में न होंगे--वे मिलकर बनेंगी। कोषाध्यक्ष वित्त समिति का अध्यक्ष (Chairman) होगा।

(३) कार्यकारिणी परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक (recurring and non-recurring) व्ययों को उन सीमाओं से अधिक व्यय नहीं करेगी जो परामर्श समिति द्वारा निर्धारित की गये हों।

(४) विद्वत् परिषद् तथा संबद्ध फैकल्टियों के बोर्ड के परामर्श पर विचार किये बिना कार्यकारिणी परिषद् अध्यापकों की संख्या, योग्यताओं एवं उपलब्धियों (emoluments) तथा परीक्षकों की नियुक्ति और परीक्षकों को देय शुल्क के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(५) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के संकल्पों पर यथोचित विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे वह उचित समझे और उसकी सूचना कोर्ट में देगी। यदि किसी दशा में कार्यकारिणी परिषद् किसी संकल्प के अनुसार कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह कोर्ट को यह सूचित करेगी कि वह किन कारणों के आधार पर ऐसा करने में असमर्थ है।

(६) ऐसी शर्तों के रहते हुये जो परिनियमों में निर्दिष्ट की जायेंगी, कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपने ऐसे अधिकार प्रतिनिधानित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे।

परामर्श समिति

१९—(१) परामर्श समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

१—उप-कुलपति,

२—कोषाध्यक्ष,

३—कोर्ट के तीन सदस्य जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य न हों और जो एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और जिनमें से एक विश्वविद्यालय का अध्यापक होगा तथा अन्य दो ऐसे व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में न हों,

४—दो व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार नाम निर्देशित करे।

(२) उप-कुलपति समिति का सभापति (Chairman) तथा रजिस्ट्रार सचिव (Secretary) होगा।

(३) परामर्श समिति विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों (resources) को ध्यान में रखते हुये आगामी वर्ष के लिये कुल आवर्त्तक (recurring) तथा अनावर्त्तक (non-recurring) व्ययों की सीमा निश्चित करेगी तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी, जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा नियत किये जायं।

(४) परामर्श समिति किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष में उस व्यय की सीमा को पुनरीक्षित (revise) कर सकती है और जो उसने उपधारा (३) के अधीन निश्चित की हो।

विद्वत् परिषद्

२०—(१) विद्वत् परिषद् विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्था (Academic Body) होगी, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय शिक्षण, अध्यापन तथा परीक्षा के स्तर तथा अन्वेषण (research) का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके रक्षण के लिये उत्तरदायी होगी और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग

तथा अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जो परिनियमों द्वारा उसे प्राप्त हों या उस पर आरोपित किये जायं। उसे शिक्षा संबंधी समस्त विषयों (academic matters) पर कार्यकारिणी परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(२) विद्वत् परिषद् का संगठन (constitution) तथा पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों का कार्यकाल नियत किया जायगा, किन्तु सदस्यों की कुल संख्या ५० से अधिक न होगी।

२१—(१) विश्वविद्यालय में वे फैकल्टियां होंगी, जो नियत की जायं।

(२) प्रत्येक फैकल्टी में अध्यापक के वे विभाग होंगे जो नियत किये जायं। विभिन्न विभागों के लिये पाठ्य विषय (subjects of study) अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किये जायं।

(३) प्रत्येक फैकल्टी का एक बोर्ड होगा, जिसका संगठन और जिसके अधिकार नियत किये जायं।

(४) प्रत्येक फैकल्टी के लिये एक डीन होगा, जो फैकल्टी में पढ़ाये जाने वाले विषय के किसी विभाग का अध्यक्ष होगा, और जो ज्येष्ठता (seniority) को ध्यान में रखते हुये ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के लिये चुना जायगा जो नियत की जाय।

(५) डीन, फैकल्टी के बोर्ड का सभापति होगा और फैकल्टी से सम्बद्ध परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक अनुपालन के निमित्त उत्तरदायी होगा। वह फैकल्टी के विभागों में अध्यापन तथा अन्वेषण के कार्यों के संगठन और संचालन के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो अपने विभाग में अध्यापन की व्यवस्था के लिये डीन के प्रति उत्तरदायी होगा। विभाग का सब से ज्येष्ठ (senior most) प्रोफेसर विभाग का अध्यक्ष होगा और यदि किसी विभाग में प्रोफेसर न हो तो विभाग का सब से ज्येष्ठ रीडर अध्यक्ष होगा।

(७) विभागाध्यक्षों के कर्त्तव्य, अधिकार और कृत्य अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायेंगे।

(८) एक या एकाधिक पाठ्य विषयों के संबंध में पाठ्यक्रम और अध्ययन समितियों (Committees of Courses and Studies) की स्थापना की जायगी। इन समितियों का संगठन अध्यादेशों द्वारा नियत किया जायगा।

डेलीगेसी

२२—किसी हाल या छात्रावास में, अथवा उसकी देखरेख में न रहने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रबन्ध का अधीक्षण करने के निमित्त एक डेलीगेसी होगी। डेलीगेसी का संगठन, अधिकार और कर्तव्य नियत किये जायं।

२२—(क) विश्वविद्यालय अपने छात्रों के आवास, स्वास्थ्य तथा कल्याण संबंधी प्रबन्धों की देख-रेख एवं उनमें सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन की अभिवृद्धि के लिये एक छात्र कल्याण परिषद् की स्थापना करेगा।

(ख) उक्त परिषद् के संगठन (constitution) तथा उसके कृत्यों की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी।

(ग) छात्र संरक्षक परिषद् का सभापति (Chairman) होगा।

बोर्ड

२३—विश्वविद्यालय ऐसे बोर्डों को संगठन करेगा जो नियत किये जायं, बोर्डों का संगठन, अधिकार तथा कृत्य अध्यादेशों में निर्धारित किये जायेंगे।

अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति की रीति।

२४—(१) इस संबंध में स्पष्ट रूप से की गयी किसी प्रतिकूल व्यवस्था को छोड़कर, विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा प्राधिकारियों (authorities) के सदस्यों को यथाशक्य निर्वाचन से भिन्न रीतियों से चुना जायगा।

(२) यदि इस अधिनियम में निर्वाचन की व्यवस्था की गयी हो तो ऐसा निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा किया जायगा तथा ऐसी व्यवस्था किसी परिनियम में की गयी हो तो यह निर्वाचन परिनियमों में नियत की गई रीति से किया जायगा।

(३) यदि इस अधिनियम या परिनियमों में बारी से (by rotation) या ज्येष्ठता (seniority) के अनुसार या अन्य किसी योग्यता के आधार पर किसी नियुक्ति की व्यवस्था की गयी हो, तो ऐसी बारी तथा ज्येष्ठता के अवधारण की रीति और अन्य योग्यतायें नियत की जायेंगी।

अध्यापकों की नियुक्ति।]

२५—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और उपधारा (३) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर विश्वविद्यालय के अध्यापक संबद्ध निर्वाचन समिति के परामर्श से कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक, प्रबन्धक द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अध्यापक प्रथमतः (in the first instance) परीक्षण पर (on probation) ऐसे काल तक रहेगा जो नियत किया जाय तथा वह तब तक अपनी नियुक्ति पर पुष्ट (confirmed) न होगा जब तक कि—

(क) विश्वविद्यालय का अध्यापक होने की दशा में, उप-कुलपति और सम्बद्ध विभाग के अध्यक्ष तथा डीन के प्रतिवेदनों (reports) पर विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद् इसकी आज्ञा न दे दे, तथा

(ख) संबद्ध कालेज का अध्यापक होने की दशा में उस विषय के ज्येष्ठ अध्यापक तथा उस कालेज के प्रिंसिपल के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् प्रबन्धक इसकी आज्ञा न दे दे।

(३) कार्यकारिणी परिषद् दस मास से अधिक अवधि के लिये किसी कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत किये जाने की दशा में रिक्त स्थान पर निर्वाचन समिति को बिना अभिदेश किये ही स्थानापन्न नियुक्ति (officiating appointment) कर सकती है। किन्तु वह अन्य किसी रिक्त या ऐसे पद की पूर्ति जिसके ६ मास से अधिक चलने की संभावना हो, बिना उक्त अभिदेश के, नहीं करेगी।

(४) किसी ऐसे संबद्ध कालेज में जो केवल राज्य सरकार द्वारा ही संधारित न हो, किसी अध्यापक की प्रभृत नियुक्ति (substantive appointment) के लिये किये गये प्रत्येक निश्चय की सूचना प्रबन्धक द्वारा उस नियुक्ति के दिनांक से १५ दिन के भीतर समस्त प्रार्थना-पत्र तथा

संबद्ध पत्रादि सहित उप-कुलपति को दो जायगी। यदि संबद्ध निर्वाचन समिति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उप-कुलपति किसी नियुक्ति का अनुमोदन न करें तो प्रबन्धक द्वारा वह नियुक्ति यथाशक्य शीघ्र, किन्तु परीक्षण काल की अवधि की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही समाप्त कर दो जायगी ।

(५) प्रत्येक पाठ्य विषय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिये एक निर्वाचन समिति होगी ।

(६) निर्वाचन समितियों का संगठन, उनके अधिकार और कृत्य तथा नियुक्तियों के संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया नियत की जायगी।

सदस्यता संबंधी अनुपूरक उप-बन्ध ।

२६—(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में होने वाली सभी आकस्मिक रिक्तियों (casual vacancies) की पूर्ति तथा सुविधा शीघ्र ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा की जायेगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका पद रिक्त हुआ हो, नियुक्त, निर्वाचित अथवा संयोजित (co-opted) किया हो, तथा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्ति निर्वाचित अथवा संयोजित व्यक्ति उसी शेष कार्यकाल तक के लिये उक्त प्राधिकारी या निकाय का सदस्य रहेगा जब तक कि पद रिक्त करने वाला व्यक्ति उसका सदस्य रहता।

(२) यदि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहर का, तो वह विश्वविद्यालय के उस प्राधिकारी का तभी तक सदस्य रहेगा जब तक वह उस अन्य निकाय का सदस्य बना रहे, जिसके द्वारा वह नियुक्त या निर्वाचित हुआ था और तत्पश्चात् जब तक कि उसके उत्तराधिकारी को यथाविधि नियुक्ति न हो जाय

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्य-वाहियां, रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी।

२७—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अवैध न होगी कि उसमें सदस्यों की रिक्त या रिक्तियां विद्यमान थीं या किसी ऐसे व्यक्ति ने कार्यवाहियों में भाग लिया था, जिसके विषय में कार्यवाही के पश्चात् यह सिद्ध हो कि वह ऐसा करने का अधिकारी न था ।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना ।

२८—(१) कार्यकारिणी परिषद् के दो-तिहाई से अन्यून (not less than) सदस्यों की सिफारिश पर कोर्ट किसी भी व्यक्ति का नाम पंजीवृद्धि स्नातकों के रजिस्टर से हटा सकता है।

(२) कोर्ट किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या बोर्ड की सदस्यता से इस आधार पर हटा सकता है कि उस व्यक्ति का ऐसा अपराध सिद्ध हुआ है जो कोर्ट के मत में नैतिक पतन समन्वित एक गम्भीर अपराध (serious offence involving moral turpitude) है या कि वह अपवादजनक दुराचार (scandalous conduct) का दोषी है या कि उसने ऐसे ढंग से व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय है तथा इन्हीं आधारों पर वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी व्यक्ति की उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकता है।

२९—यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विशेष विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि सदस्य निर्वाचित या नियुक्त हुआ है या नहीं अथवा ऐसा सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं, या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों

के अनुरूप हैं या नहीं, तो यह विषय कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

समितियों का संगठन।

३०—यदि इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को समितियां नियुक्त करने का अधिकार दिया गया हो तो ये समितियां जब तक कि इसके प्रतिकूल कोई विशेष व्यवस्था न हो, सम्बद्ध प्राधिकारी के सदस्यों तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों से (यदि कोई हों) जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक दशा में उपयुक्त समझे, मिल कर बनेगी।

संबद्ध कालेज

३१—(१) किसी कालेज की सम्बद्धता की शर्तें वे होंगी, जो कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियत या आरोपित की जायं।

(२) किसी भी कालेज के लिये उसी स्थान पर स्थित किन्हीं अन्य कालेजों या विश्वविद्यालयों से अध्यापन कार्य में सहयोग देने या प्राप्त करने की व्यवस्था करना वैध (lawful) होगा।

(३) इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर किसी भी कालेज के प्रबन्धक कालेज के कार्यों के प्रबन्ध और नियंत्रण में स्वतंत्र होंगे तथा उसके संधारण और रखरखाव (maintenance and upkeep) के लिये उत्तराधिकारी प्रत्येक कालेज का प्रिंसिपल उसमें यथोचित रूप से अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(४) प्रत्येक कालेज ऐसे प्रतिवेदन, विवरण तथा अन्य ब्योरे प्रस्तुत करेगा, जिसे कार्यकारिणी परिषद् स्वतः अथवा विद्वत् परिषद् के अनुरोध पर मांगे।

(५) कार्यकारिणी परिषद् इस संबंध में अपने द्वारा प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से प्रत्येक कालेज का पांच वर्ष से अनधिक कालान्तरों (intervals) में समय-समय पर निरीक्षण करवायेगी।

(६) कार्यकारिणी परिषद् उक्त प्रकार से निरीक्षित किसी भी कालेज से निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी कार्यवाही करने को कह सकती है, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(७) यदि कोई कालेज कार्यकारिणी परिषद् के निर्देशों (directions) या सम्बद्धता की शर्तों का अनुपालन न करे तो परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार उसकी सम्बद्धता रद्द की जा सकती है।

निवृत्ति वेतन (Pension) अथवा भविष्य निधि (Provident Fund) ऐक्ट, १९, १९२५।

३२—(१) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वृन्द (clerical staff) तथा अन्य नियोजित व्यक्तियों के लाभार्थ ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं ऐसे निवृत्ति, वेतन, बीमे तथा भविष्य की निधियों (pension, insurance and provident funds) की व्यवस्था कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

(२) यदि उक्त कोई भविष्य निधि इस प्रकार स्थापित की जाय या यदि कुलपति द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन कोई कालेज भविष्य निधि स्थापित करे तो कुलपति यह घोषणा कर सकते हैं कि प्राविडट फंड्स एक्ट, १९२५ के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, मानो वह कोई गवर्नमेंट प्राविडेंट फंड हो।

सेवा की शर्तें

३३—उन दशाओं को छोड़कर जिनकी व्यवस्था परिनियमों में की गयी हो, विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतन भोगी अधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा (written contract) के अधीन नियुक्त किया जायगा। संविदा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पास रखा जायगा तथा उसकी एक प्रति सम्बद्ध अधिकारी अथवा अध्यापक को दी जायगी। संविदा इस अधिनियम तथा परिनियमों और अध्यादेशों में सेवा की शर्तों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों से असंगत न होगा।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण।

३४—विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अध्यापक के बीच संविदा से सम्बद्ध कोई विवाद उठने की दशा में सम्बद्ध अधिकारी या अध्यापक की प्रार्थना पर मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण (tribunal of arbitration) के पास अभिदिष्ट किया जायगा। यह न्यायाधिकरण कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य सम्बद्ध अध्यापक या अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णेता (umpire) से मिलकर बनेगा। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत विषयों के बारे में किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई भी वाद प्रस्तुत न किया जा सकेगा। ऐसे प्रत्येक प्रार्थना आरबीट्रेशन ऐक्ट, १९४० के अर्थ में इस धारा की शर्तों के अनुसार उक्त मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रस्तुत की गयी प्रार्थना (submission to arbitration) समझी जायगी, तथा उस अधिनियम की धारा २ को छोड़ कर उसके सब उपबन्ध तदनुसार प्रवृत्त होंगे।

परिनियम

३५—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिनियमों में किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकेगी तथा उनमें विशेषतः निम्नलिखित के लिये व्यवस्था अवश्य की जायगी :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संगठन, उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का, जिनके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पदासीन रहना भी है, निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा उनकी अपने पद पर स्थिति तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं उक्त प्राधिकारियों से सम्बद्ध ऐसे अन्य सभी विषय जिनकी व्यवस्था करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पद व नाम (designation) उनकी नियुक्ति की रीति उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य;

(घ) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति की रीति ;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये सेवा-निवृत्ति या भविष्य निधि की तथा बीमा योजना की स्थापना ;

(च) उपाधियों तथा डिप्लोमों का स्थापन;

(छ) सामान्य उपाधियों (honorary degrees) का प्रदान;

(ज) उपाधियों डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों (certificates) तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं (academic distinctions) का वापस लेना;

(झ) फैकल्टियों की स्थापना, एकीकरण (amalgamation), उप-विभाजन (sub-division) तथा उनका बन्द किया जाना (abolition)

(ञ) फैकल्टियों में अध्यापन विभागों की स्थापना ;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित हालों और छात्रावासों की स्थापना तथा उनका बन्द किया जाना;

(ठ) शर्तें, जिनके अधीन कालेज तथा अन्य संस्थायें विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकें तथा जिनके अधीन उनकी संबद्धता वापस ली जा सके ।

(ड) फेलोशिप, छात्रवृत्तियों, विद्यार्थी वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों का स्थापन;

(ढ) पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना ;

(ण) अन्य समस्त विषय जिनके लिये परिनियमों द्वारा इस अधिनियम में व्यवस्था होना चाहिये या हो सकती है ।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे ?

३६—(१) प्रथम परिनियम (statutes) राज्य सरकार द्वारा बनाय जायेंगे, किन्तु उनका पांडुलेख (draft) राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष दस दिन तक, जब कि सदन का सत्र हो रहा हो, रखा जायगा और वे ऐसे परिष्कारों, परिवर्तनों एवं परिवर्द्धनों के अधीन बनाये जायंगे, जिनके बारे में दोनों सदन सहमत हों।

(२) इस धारा में आगे दी हुई रीति से कोर्ट समय-समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है तथा उन्हें संशोधित अथवा निरस्त (repeal) भी कर सकता है ।

(३) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के समक्ष, उसके द्वारा पारित होने के निमित्त किसी भी परिनियम का पांडुलेख (draft) प्रस्तावित कर सकता है और ऐसे पांडुलेख पर कोर्ट की अगली बैठक में विचार किया जायगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कार्यकारिणी परिषद् किसी ऐसे परिनियम का या किसी परिनियम के ऐसे संशोधन का पांडुलेख प्रस्तावित नहीं करेगी जिससे विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकारी की प्रस्थिति (status) अधिकार या संगठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर न दिया जा चुका हो तथा इस प्रकार व्यक्त मत पर कोर्ट विचार करेगा ।

(४) कोर्ट धारा (३) में अभिदिष्ट किसी भी पांडुलेख को अनुमोदित कर सकता है तथा उस परिनियम को पारित कर सकता है, अथवा उसे कार्यकारिणी परिषद् को अंशतः या पूर्णतः पुनर्विचारार्थ ऐसे संशोधनों सहित वापस कर सकता है, जिनका वह सुझाव दे ।

(५) कोर्ट का कोई सदस्य कोर्ट के समक्ष किसी परिनियम का पांडुलेख प्रस्तावित कर सकता है, तथा कोर्ट या तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है या उस पांडुलेख को कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ अभिदिष्ट कर सकता है । कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट को प्रतिवेदन (report) दे सकती है कि वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है या यह उक्त पांडुलेख को कोर्ट के पास उस रूप (form) में प्रस्तुत कर सकती है जिसे वह अनुमोदित करे और इस प्रकार प्रस्तुत पांडुलेख पर इस धारा के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे कि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कोर्ट के पास प्रस्तावित पांडुलेख के विषय में प्रवृत्त होते हैं ।

(६) किसी भी नये परिनियम या परिनियमों के परिवर्द्धन पर या किसी परिनियम के संशोधन या निरसन (repeal) पर कुलपति के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। कुलपति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं अथवा उसे और विचार के निमित्त वापस भेज सकते हैं।

अध्यादेश

३७—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय की, जिसके लिये अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था किये जाने की अनुज्ञा इस अधिनियम अथवा परिनियमों में दी गयी हो, तथा किसी अन्य विषय की जिसके लिये कार्यकारिणी परिषद् अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना उचित समझे, व्यवस्था की जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकती है; अर्थात—

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा नामांकन (enrolment) और उनका इस प्रकार बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमों के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शर्तें जिनके अधीन उपाधियों (degrees), डिप्लोमों तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छात्र प्रविष्ट किये जायेंगे, तथा वे उपाधियां और डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों तथा हालों में आवास के लिये शुल्कों का लिया जाना;

(ङ) ऐसे हालों तथा छात्रावासों की अभिज्ञा (recognition) तथा प्रबंध जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतन भोगी अधिकारियों की संख्या, अर्हतायें (qualifications), उपलब्धियां (emoluments) तथा सेवा की अन्य शर्तें [जिनके अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति का व्यय (age of retirement) भी है] तथा उनकी सेवा तथा कार्यकलापों (activities) के अभिलेख तैयार करना और उनका रखा जाना;

(छ) शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिये लिये जा सकें;

(ज) शर्तें, जिनके अधीन व्यक्तियों को कालेजों, हालों तथा छात्रावासों में शिक्षण के निमित्त अर्हता अभिज्ञात (recognized as qualifying) किया जाय;

(झ) परीक्षण संस्थाओं, परीक्षकों तथा परिमार्जकों (moderators) की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्त्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रा, भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं, जो उन व्यक्तियों को दिये जायेंगे, जो विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित (employed) हों;

(ठ) फेलोशिप, छात्रवृत्तियां (scholarships), विद्यार्थी-वृत्तियां (studentships), निर्धन छात्र-वृत्तियां (bursaries), पदक तथा पारितोषिक प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ड) अन्य समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो या व्यवस्था की जाय।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे।

३८—(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी इस धारा में कोई अन्यथा व्यवस्था की गई हो, अध्यादेश कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे और वे उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिसे परिषद् निर्दिष्ट करे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायगा जिससे—

(क) विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े, या जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के पाठ्यक्रम (degree courses) के निमित्त प्रवेश के लिये धारा ४१ की उपधारा (१) में उल्लिखित अतिरिक्त (further) अर्हताओं को निर्धारित करे, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख विद्वत् परिषद् ने प्रस्तावित न किया हो;

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति पर और उनके कर्त्तव्यों तथा किसी परीक्षा या पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर प्रभाव पड़े, जब तक कि वह संबद्ध फैकल्टी या फैकल्टियों के बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार न हो और साथ ही जब तक कि उसका पांडुलेख नियत रीति से विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित न हुआ हो; अथवा

(ग) विद्यार्थियों की निवास की शर्तों पर प्रभाव पड़े, जब तक कि नियत की जाने वाली शर्तों का अनुपालन न किया जाय।

(२) कार्यकारिणी परिषद् को विद्वत् परिषद् द्वारा उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावित किसी पांडुलेख को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकती है अथवा उस सम्पूर्ण पांडुलेख या उसके किसी भाग को ऐसे संशोधनों सहित, जिनका कार्यकारिणी परिषद् सुझाव दे, विद्वत् परिषद् के पास पुनर्विचार के लिये वापस कर सकती है।

(३) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त अध्यादेश तुरन्त कुलपति और कोर्ट को प्रस्तुत किये जायेंगे और कोर्ट उन पर अपने आगामी अधिवेशन में विचार करेगा। कोर्ट को संकल्प द्वारा, जो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों को दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित किया गया हो, उक्त किसी भी अध्यादेश को रद्द (cancel) कर देने का अधिकार होगा और ऐसा अध्यादेश उक्त संकल्प (resolution) के दिनांक से निरर्थक (void) हो जायगा।

(४) कुलपति, कोर्ट द्वारा किसी अध्यादेश पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् किसी भी समय कोर्ट तथा कार्यकारिणी परिषद् को यह सूचना दे सकता है कि उसमें उक्त अध्यादेश की अनुज्ञा नहीं दी है और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा उक्त अनुज्ञा के निषेध (disallowance) की सूचना (intimation) प्राप्त होने के दिनांक से उक्त अध्यादेश निरर्थक हो जायगा।

(५) कुलपति यह आदेश दे सकता है कि किसी अध्यादेश का प्रवर्तन (operation) उस समय तक के लिये निलंबित (suspended) रहेगा जब तक कि उसे अपने निषेधाधिकार (power of disallowance) के प्रयोग करने का अवसर न मिल जाय। इस उपधारा के अधीन निलंबन की आज्ञा, ऐसी आज्ञा के दिनांक से एक मास व्यतीत होने पर या कोर्ट द्वारा अध्यादेश पर विचार किये जाने के दिनांक से १५ दिन व्यतीत होने पर इनमें से जो भी अवधि बाद को व्यतीत होती हो, निष्प्रभाव हो जायंगी।

(६) यदि कार्यकारिणी परिषद् ने विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के पांडुलेख को अस्वीकृत कर दिया हो तो विद्वत् परिषद् कोर्ट के समक्ष अपील कर सकती है और यदि कोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त करने के पश्चात पांडुलेख को अनुमोदित करे, तो वह अध्यादेश बना सकता है और उसे कुलपति को प्रस्तुत कर सकता है।

विनियम

३९—(१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा बोर्ड इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत विनियम (regulations) बना सकते हैं, जिनमें—

(क) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति (quorum) के लिये अपेक्षित सदस्य संख्या निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जो इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन विनियमों द्वारा व्यवस्थित किये जाने वाले हों; और

(ग) किन्हीं अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था की जाय जो केवल उक्त प्राधिकारियों या बोर्डों से संबंध रखते हों और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों में व्यवस्था न की गई हो।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनायेगा, जिनमें उक्त प्राधिकारी के सदस्यों को उन दिनांकों का, जिन पर अधिवेशन होंगे और ऐसे कार्य का, जिस पर अधिवेशनों में विचार किया जायगा, नोटिस देने तथा अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख (record) रखने की व्यवस्था की जायगी।

(३) कार्यकारिणी परिषद् ऐसी रीति से, जिसे वह निर्दिष्ट करे कोर्ट से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी विनियम में संशोधन या उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किसी विनियम के खंडन (annulment) का आदेश दे सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या बोर्ड जो ऐसे आदेश से असंतुष्ट हो, कुलपति के समक्ष अपील कर सकता है। कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी आज्ञायें पारित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

(४) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विद्वत् परिषद् संबद्ध फैकल्टी के बोर्ड से तत्संबंधी पांडुलेख प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं तथा उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है।

विद्युत् परिषद् फंकल्टी के बोर्ड से प्राप्त पांडुलेख में परिवर्तन नहीं कर सकती है, किन्तु प्राप्त पांडुलेख को अस्वीकार कर सकती है या उसे अपने सुझावों सहित और अधिक विचार करने के लिये बोर्ड को वापस कर सकती है।

विद्यार्थियों का प्रवेश।

४०—(१) विद्यार्थी किसी भी उपाधि के पाठ्यक्रम में उस समय तक प्रवेश पाने के पात्र न होंगे, जब तक कि उन्होंने बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की या तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा निगमित किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड की इंटरमीडियेट परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा उसके समकक्ष अभिज्ञात (recognized) कोई परीक्षा पास न कर ली हो, तथा वे अतिरिक्त अर्हतायें यदि कोई हों, न रखते हों जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं।

(२) विश्वविद्यालय, कुलपति की पूर्व स्वीकृति बिना, किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी भी उपाधि को अपनी उपाधि के समकक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा को बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडियेट परीक्षा के समकक्ष (किसी उपाधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के निमित्त), अभिज्ञात न करेगा।

विद्यार्थियों की निवास व्यवस्था।

४१—(१) हाल और छात्रावास ऐसे होंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय संधारित करे अथवा जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् ऐसी सामान्य अथवा विशेष शर्तों पर अनुमोदित तथा अभिज्ञात करे जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं। विश्वविद्यालय द्वारा संधारित हालों तथा छात्रावासों का नाम परिनियमों में उल्लिखित किया जायगा।

(२) हालों और छात्रावासों के वार्डन तथा अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(३) कार्यकारिणी परिषद् को ऐसे छात्रावास या हाल की अभिज्ञा (recognition) को निलंबित करने या वापस लेने (suspend or withdraw) का अधिकार होगा, जो नियत शर्तों के अनुसार संचालित न किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी कार्यवाही उस समय तक नहीं की जायगी जब तक कि ऐसे हाल या छात्रावास के प्रबन्धक को ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया जाय जिसे वह उचित समझे।

परीक्षाएं

४२—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परीक्षाओं के संचालन के समस्त प्रबन्ध विद्युत् परिषद् द्वारा ऐसी रीति से किये जायेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निर्धारित की जाय।

(२) यदि कोई परीक्षक किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो उपकुलपति उस रिक्ति की पूर्ति के लिये परीक्षक नियुक्त करेगा। प्रत्येक ऐसी नियुक्ति का प्रतिवेदन (report) कार्यकारिणी परिषद् को दिया जायगा।

(३) किसी उपाधि के निमित्त नियत प्रत्येक विषय के लिये नियुक्त परीक्षकों की यथाशक्य आधी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो विश्वविद्यालय या कालेज की सेवा में न हों।

(४) प्रत्येक फैकल्टी का बोर्ड फैकल्टी को निर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विषय के लिये एक परीक्षा समिति (Examination Committee) नियुक्त करेगा। समिति ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेंगी जिन्हें बोर्ड, विद्वत् परिषद् के अनुमोदन के अधीन रहते हुये अपने सदस्यों में से या बाहर से नियुक्त करें। समिति को परीक्षा के प्रश्नपत्रों का परिमार्जन करने (to moderate), परीक्षा के अभ्यर्थियों (candidates) द्वारा प्रस्तुत कार्य के गुण दोषों (qualities) की समीक्षा करने (review) साफल्य स्तर (standard of attainment), के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने तथा इनमें से किसी भी विषय के संबंध में सिफारिशें करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा की गई कोई भी समीक्षा, प्रतिवेदन या सिफारिश विद्वत् परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखी जायगी।

वार्षिक प्रतिवेदन

४३—विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन (annual report) कार्यकारिणी परिषद् के निर्देशाधीन तैयार किया जायगा तथा कोर्ट को वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायगा और कोर्ट उस पर अपने वार्षिक अधिवेशनों में विचार करेगा। कोर्ट उस पर संकल्प पारित कर सकता है तथा उन्हें कार्यकारिणी परिषद् को ज्ञापित (communicate) कर सकती है।

लेखे और लेखे की परीक्षा (audit)।

४४—(१) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और पक्का चिट्ठा (Balance Sheet) कर्यकारिणी परिषद् के निर्देशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्त या प्राप्त हुई (accruing to or received by) समस्त धनराशियां और ऐसी धनराशियां जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो, लेखे में दर्ज की जायगी।

(२) लेखे और पक्के चिट्ठे की एक-एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी, जो उत्कृष्ट कोटि के लेखा-परीक्षकों (auditors of high standing) द्वारा उसकी लेखा परीक्षा करवायेगी।

(३) लेखा-परीक्षा होने के पश्चात् लेखे को मुद्रित किया जायगा और उसकी प्रतिलिपियां तथा लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन (audit report) की प्रतिलिपियां कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कोर्ट और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायंगी।

(४) विश्वविद्यालय के लिये वह वैध होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विषय में यह पता चले कि उसने बजट में व्यवस्थित धनराशि से अधिक अथवा इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध की उपेक्षा करते हुये कोई धनराशि व्यय की है या ऐसा करने का अधिकार दिया है, आदेश दे कि वह इस प्रकार व्यय की गई धनराशि से भरपाई करे (reimburse), और राज्य सरकार इस विषय में ऐसी सभी कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त आदेश देने के पूर्व अभ्यावेदन (representation) करने का समुचित अवसर देगी।

(५) कार्यकारिणी परिषद् उस दिनांक के पूर्व, जो नियत किया जाय आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(६) वार्षिक लेखे और बजट पर कोर्ट अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगा, और उसके संबंध में कोर्ट संकल्प पारित कर सकेगा और उसकी सूचना कार्यकारिणी परिषद् को देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (६) के अधीन परामर्श समिति को अभिदिष्ट व्यय की किसी मद के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् और परामर्श समिति में मतभेद हो, तो उसके संबंध में कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा।

(७) उस दशा को छोड़कर जब धारा २० की उपधारा (१) के खंड (ग) के अधीन उपलब्ध किसी निधि में से कोई व्यय किया जाय, उपकुलपति या कार्यकारिणी परिषद् के लिये यह बंध न होगा कि वह कोई ऐसा व्यय करे, जिसकी बजट में स्वीकृति न दी गई हो।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

४५—इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुये भी—

(क) कालेज के किसी भी विद्यार्थी को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व आगरा यूनिवर्सिटी की किसी भी परीक्षा के निमित्त अध्ययन कर रहा हो, तदर्थ तैयारी करने के लिये पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जायगी, तथा विश्वविद्यालय और कालेज उस विश्वविद्यालय की अध्ययन नियमावली (prospectus of studies) के अनुसार उस विद्यार्थी के शिक्षण और परीक्षा की व्यवस्था करेगा; तथा

(ख) जब तक ऐसी परीक्षा की व्यवस्था न की जाय तब तक ऐसा कोई विद्यार्थी आगरा यूनिवर्सिटी की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकेगा तथा उसे उस यूनिवर्सिटी की वह उपाधि प्रदान की जा सकेगी, जिसके लिये वह परीक्षाफलों के आधार पर अर्हता प्राप्त करे।

(ग) इस अधिनियम या परिनियम में किसी बात के होते हुये भी कुलपति के लिये यह बंध होगा कि वह इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय एक उपकुलपति नियुक्त करे और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये पदासीन रहेगा।

४६—(१) इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय तथा उस समय तक जब तक विश्वविद्यालय प्राधिकारी यथावत् संगठित न हो जाय—

(क) कोषाध्यक्ष कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य अधिकारी की नियुक्ति कुलपति की पूर्व स्वीकृति से उपकुलपति द्वारा की जा सकेगी;

(ग) प्रत्येक विषय की मंत्रणा समिति (Advisory Committee) की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति कर सकेंगे। मंत्रणा समिति में उप-कुलपति तथा सम्बद्ध विषय के तीन विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें कुलपति उन व्यक्तियों में से चुनेंगे जिनके नाम वे किन्हीं भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा निकायों (academic bodies) से प्राप्त करेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन की गयी समस्त नियुक्तियां तीन वर्ष के परीक्षण (probation) पर होंगी।

४७—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारणार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा—

(क) आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित कोई परिनियम ऐसी अवधि में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक और इष्टकर (expedient) समझे, प्रभावी होंगे; अथवा

(ख) आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त या सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य, शक्तियां तथा कृत्य उस समय जब तक कि उक्त प्राधिकारी यथोचित रूप से संगठित न हो जायं। किसके द्वारा और किस रीति से प्रयुक्त या सम्पादित किये जायेंगे:

(ग) किसी ऐसी कठिनाई के निवारणार्थ ऐसे ही अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से चौबीस मास के पाश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी भी आज्ञा पर किसी भी विधिक न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि ऐसी कोई कठिनाई जिसका उक्त उपधारा में अभिदेश है, विद्यमान नहीं थी, या उसके निवारण की आवश्यकता नहीं थी।

उद्देश्य और कारण

विगत कई वर्षों से नैनीताल में कुमायूं विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की निरन्तर मांग रही है। कुमायूं प्रदेश की विशेष स्थिति को देखते हुये उस क्षेत्र की शैक्षिक उन्नति पूर्ण-रूपेण वांछनीय है। देश के ख्यातनामी विद्वान स्वर्गीय डा० ए० एन० सिंह ने अपनी असामयिक मृत्यु के पहले इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एक संगठन स्थापित करने का आयोजन भी किया। नैनीताल में देव सिंह विष्ट राजकीय डिग्री कालेज को आधार मानते हुए अनेक ऐसे कालेज विद्यमान हैं जो एक शिक्षण प्रधान (teaching) विश्वविद्यालय के सम्पुष्ट अंग बन सकते हैं, उदाहरणार्थ सेंट जोजेफ कालेज, शेरवुड कालेज, बिड़ला कालेज, चेतराम शाह कालेज आदि, रुद्रपुर में कृषि महाविद्यालय भी स्थापित किया जा सकता है। तदनुसार स्थापित किया जा सकने हेतु इस कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक को प्रस्तुत किया जा रहा है।

नारायणदत्त तिवारी,
एम० एल० ए०।

२५ जुलाई, १९५६।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१५५ एल० ए०—१९५६—७९६।